खण्ड-215, अंक-6
सोमवार, 31 श्रावण, शक संवत् 1882
(22 अगस्त, 1960 ई0)

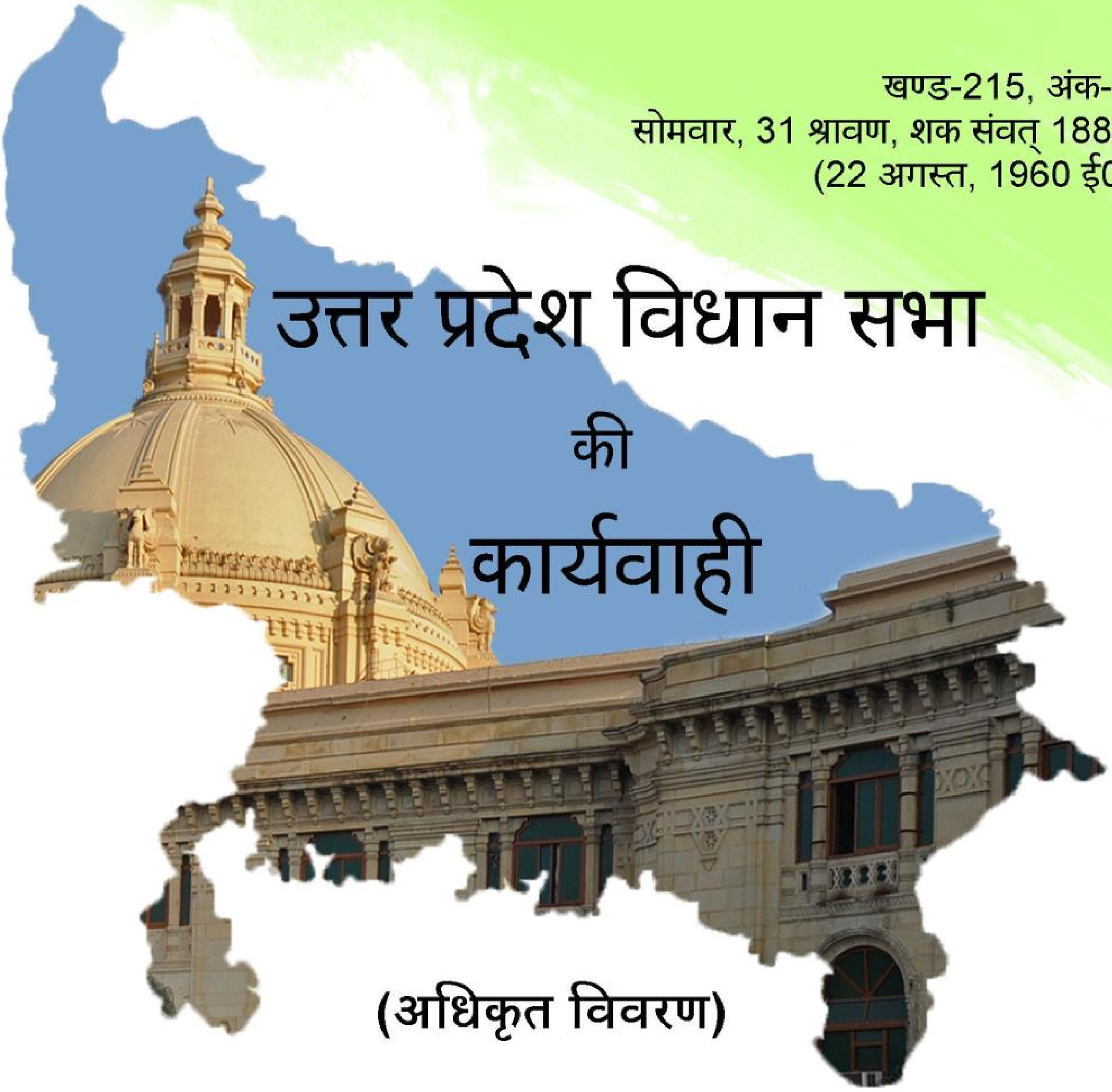

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 215 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २२ अगस्त, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३५६

अक्षयवरसिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतज़ा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
ग़रीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री

गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयाल करुण, श्री
दीनदयाल शर्मा, श्री
दीनदयाल शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नरायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री

बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामजीलाल सहाय, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री

रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण , श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगविहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती बाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री

सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २२ अगस्त, १९६०

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

****१—श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—[स्थगित किया गया।]**

श्री अध्यक्ष—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न नं० १ जो है वह श्री रामसुन्दर पांडेय जी का है। इस सिलसिले में न्याय मंत्री जी ने यह कहा है कि उनके पास पूरी इत्तिला, जो पूरक प्रश्नों के लिये आवश्यक है, नहीं आ पाई है। इसलिये वह कुछ समय चाहते हैं। सात रोज वह चाहते हैं। यह अल्पसूचित तारांकित प्रश्न है और ४ अगस्त को मंत्री जी के पास पहुंचा था। १८ रोज तो वैसे ही हो चुके हैं। लिहाजा तीन रोज मंत्री जी और ले लें। लखनऊ यूनिवर्सिटी का है, आप वहां से मंगा सकते हैं।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—शुक्रवार को रख लीजिये।

श्री अध्यक्ष—शुक्रवार को रख लें।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—पूरक प्रश्न भेज दें तो उसकी सूचना भी वे मंगा लेंगे?

श्री अध्यक्ष—यह तो आप हमेशा कर सकते हैं। अगर आप के पास कोई सवाल है और आप समझते हैं कि मंत्री जी सूचना मंगा सकते हैं आपके पूरक प्रश्नों की तो उन्हें पहले से उनके पास भेज दें। कारेसपोंडेंस करने में कोई रुकावट नहीं है। लेकिन यह नहीं समझा जायगा कि पूरक प्रश्न आप ने यहां पूछा, जब तक कि आप सदन में नहीं पूछेंगे।

औद्योगिक प्रशिक्षण विद्यालय, आलमबाग, लखनऊ, के प्रबन्ध के सम्बन्ध में शिकायत

****२—श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)**—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक प्रशिक्षण शिक्षालय (Industrial Training Institute) आलमबाग, लखनऊ, के मशीनिस्ट ट्रेड (Machinist Trade) के शिक्षार्थियों ने उनके पास दिनांक ८-८-६० को कोई प्रार्थना-पत्र प्रेषित किया है जिसमें इस बात की शिकायत की गई है कि नवम्बर, १९५९ से अब तक उनके शिक्षण के लिये किसी अध्यापक या विशेषज्ञ की नियुक्ति नहीं की गई?

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ। अलबत्ता उप-मंत्री श्रम से शिक्षार्थियों का एक डेपूटेशन अवश्य मिला था और उन्होंने इस बात की शिकायत की कि उनके शिक्षण के लिये कोई अध्यापक की नियुक्ति अब तक नहीं हुई

है। जांच करने पर ज्ञात हुआ कि योग्य अध्यापक (Qualified Instructor) के न मिलने पर अब तक सुपरवाइजर (Supervisor) शिक्षण देते रहे हैं। ऐसी आशा की जाती है कि योग्य अध्यापक की नियुक्ति जल्द ही हो जायगी।

**३—श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—क्या मुख्य मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि उक्त शिक्षालय (Institute) में शिक्षण हेतु मंगाई गई मशीनें अभी तक चालू नहीं की गयीं और चालू करने के लिये आवश्यक विद्युत शक्ति भी नहीं प्रदान की गयी?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मशीनें तो लगी हुई हैं परन्तु विद्युत की कमी के कारण आवश्यकतानुसार ही चालू की जाती हैं।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार की ओर से कोई भी प्रयास किसी योग्य अध्यापक की नियुक्ति के सम्बन्ध में नहीं हुआ और क्या यह भी सही है कि वहां के जो १७, १८ शिक्षार्थी हैं उन्होंने मुख्य मंत्री के पास नेता विरोधी दल के कार्यालय के जरिये शिकायती दरख्वास्त भिजवाई?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इस वक्त यह याद नहीं है कि माननीय मुख्य मंत्री के पास नेता विरोधी दल के द्वारा कोई प्रार्थना पत्र भेजा गया है, लेकिन यह कहना सही नहीं है कि सरकार ने योग्य अध्यापक को रखने का कोई प्रयास नहीं किया।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—करीब साल भर से शिक्षार्थियों को कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं दी गयी, उस कमी को पूरा करने के लिये सरकार क्या सोच रही है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—साल भर की बात ग़लत है। नवम्बर, १९५९ से यह कोर्स यहां शुरू हुआ और तब से सुपरवाइजर ने उन्हें शिक्षा दी है। सुपरवाइजर और इंस्ट्रक्टर दोनों की योग्यता में थोड़ा सा ही अन्तर है। जितना शुरू-शुरू का काम होना चाहिये था और करना चाहिये था वह किया भी गया है। इसलिये यह भी ग़लत है कि कोई हरजा लड़कों का हुआ है। यह ज़रूर है कि योग्य अध्यापक अगर शुरू से हो जाता तो अधिक लाभ और हो सकता था।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—जो प्रयास किया गया योग्य अध्यापक के लिये और बिजली का कनेक्शन मिल जाने के लिये, उसको कृपा कर मंत्री जी बतलायेंगे?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जैसा मैंने कहा, आवश्यकता के लिये हमारे पास बिजली है। अगर सब मशीनों को इकट्ठा चलाना न पड़े, अलग-अलग मशीनों को चलाने के लिये हमारे पास बिजली उपलब्ध है। इसलिये बिजली की कोई शिकायत हमारे पास नहीं है।

जहां तक योग्य अध्यापक का प्रश्न है, एम्पलायमेंट एक्सचेंज के जरिये से जानने की कोशिश की कि कोई इंस्ट्रक्टर मिल जाय। जब नहीं मिला तो अखबारों में छापा। उसके बाद अभी थोड़े दिन हुए लड़कों के इंटरव्यू का रिज़ल्ट हमारे पास आया है। उस पर आदेश हो गये होंगे और उनकी नियुक्ति हो जायगी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब बिजली उपलब्ध है और उसकी कमी नहीं है तो ये मशीनें बेकार क्यों पड़ी रहती हैं?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, मैंने तो कहा नहीं कि मशीनें बेकार पड़ी रहती हैं।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—माननीय मंत्री जी ने बताया कि ९ महीने से प्रयत्न करने पर भी वहां अध्यापक नहीं मिला और इतनी बिजली उपलब्ध नहीं है कि सब मशीनें एक साथ चलायी जा सकें, कुछ मशीनें ऐसी भी हैं जो चालू नहीं की गयी हैं, तो क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार इस विद्यालय की उपयोगिता में कोई संदेह करती है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी नहीं, उपयोगिता में कोई सन्देह नहीं है। ४५ हार्स पावर बिजली वहां हमार पास मौजूद है। सवाल का उत्तर इस तरह दिया गया कि सदन के सामने वस्तुस्थिति आ जाय। सारी मशीनों को इकट्ठा चलायें तो ४५ हार्स पावर बिजली काफ़ी नहीं है लेकिन जिस प्रकार मशीनों को चलाया जाना चाहिये उस तरह से ४५ हार्स पावर से हमारा काम चल रहा है। इसलिये विद्यालय की क्षमता में उसकी आवश्यकता में कोई संदेह नहीं है।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—जो सुपरवाइज़र महोदय वहां हैं वह अभी तक केवल थ्योरी का हिस्सा ही शिक्षार्थियों को पढ़ा सके हैं, प्रैक्टिकल की कोई ट्रेनिंग नहीं दी गयी है। इस तथ्य को सामने रखते हुये क्या सरकार प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिये, जो कि उस शिक्षा का एक मुख्य अंग है, निकट भविष्य में कोई व्यवस्था करेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, इस प्रकार की शिक्षा के सम्बन्ध में जो आल इंडिया कौंसिल आफ़ टेक्निकल एजूकेशन की गाइडेन्स आदि से सिलेबस दिया गया है उसमें प्रैक्टिकल का जितना काम होना है वह इन विद्यार्थियों से उनके ट्रेनिंग काल में अवश्य पूरा कराया जायगा। १८ महीने की ट्रेनिंग होती है। यह कहना कि पहले कुछ भी नहीं हुआ, सही नहीं है। पहले भी कुछ हुआ है और अब जबकि हमारे इंस्ट्रक्टर वहां जा रहे हैं तो वह पूरा पूरा काम करा लेंगे, इसमें संदेह नहीं है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्वालीफ़ाइड टीचर की क्या क्वालिफ़िकेशन्स हैं और उस क्वालिफ़ाइड टीचर को प्राप्त करने के लिये कितनी बार विज्ञप्ति निकाली गयी और कितनी अर्जियां सरकार के पास आयीं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—एक तो उसकी क्वालिफ़िकेशन यह होनी चाहिये कि जिस ट्रेड को पढ़ाना है उसका डिप्लोमा कम से कम हमारे इंस्टीट्यूट वाला उसके पास हो। दूसरे, उस ट्रेड का तीन साल का काम करने का अनुभव उसके पास हो किसी वर्कशाप, फ़ैक्टरी या स्कूल में और हाई स्कूल पास हो। ऐसे ही व्यक्ति को प्रिफ़रेंस दिया जाता है।

बरेली जेल में हड़ताली

४—श्री शिवराजबहादुर** (जिला बरेली) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि केंन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल के सिलसिले में बरेली जिले में कुल कितनी गिरफ्तारियां हुईं ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—३२।

५—श्री शिवराजबहादुर** (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि लखनऊ जिले में ऐसे तमाम गिरफ्तार किये गये लोगों को जाती मुचलके पर छोड़ दिया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं। केवल उन्हीं लोगों को जाती मुचलके पर छोड़ा गया जिनके खिलाफ़ मुक़दमें वापस लेने के लिये न्यायालय की अनमति प्राप्त करने का निर्णय किया गया था।

नोट—अल्प सूचित तारांकित प्रश्न ४–५ श्री मदन पांडेय ने पूछे।

श्री गेंदासिंह—क्या कोई जानकारी माननीय मुख्य मंत्री जी को इस समय तक हुई है कि इस वक्त भी २२ आदमी बरेली जेल में बन्द हैं और उनसे जमानत का बड़ा हैवी एमाउन्ट मांगा जा रहा है और जाती मुचलके का भी वेरीफिकेशन कराया जा रहा है और इसलिये वह छूट नहीं पाये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुझे इस बात की इत्तला तो है कि ११ आदमियों ने जमानत और मुचलके देना मंजूर कर लिया है और उसका वेरीफिकेशन हो रहा है ।

श्री गेंदासिंह—यह वेरीफिकेशन किस प्रकार का हो रहा है, इस सम्बन्ध में कोई जानकारी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—साधारण तौर पर तहसील से जांच कराई जाती है कि जो मुचलके और जमानतें दे रहे हैं वह उचित भी हैं या नहीं और वह दे भी सकते हैं या नहीं ।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि इस प्रकार के बन्दियों से और स्थानों पर जितनी जमानतें मांगी गई हैं उससे कई गुनी ज्यादा यहां पर जमानत मांगी जा रही है, इसलिये क्या वह वहां के जिलाधीश को यह आदेश देने की कृपा करेंगे कि वह जमानत की रकम को घटा दें ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कानूनी तरीके से मुझे आदेश देने का अधिकार नहीं है, यह वहां के स्थानीय अधिकारियों के डिस्क्रीशन और विवेक में है ।

श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)—हर आदमी से कितने की जमानत मांगी जा रही है, क्या यह मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—हर आदमी से जमानत अलग-अलग मांगी जा रही होगी । उसकी इत्तिला मेरे पास इस समय नहीं है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुछ लोगों के बारे में एस० पी० से यह रिपोर्ट आने पर भी कि वे निर्दोष हैं और छोड़ दिये जाने चाहिये, उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है ? उसके बारे में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अदालत के हुकुम से ही मुकदमा उठाया जा सकता है । उसके लिये लिखा गया है । जिनसे पर्सनल मुचलका लेने की बात है, अगर वे नहीं देते हैं तो उन पर मुकदमा चलाना ही होगा ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जाती मुचलके का वेरीफीकेशन जब किसी भी केस में नहीं कराया जाता है तो रेलवे कर्मचारियों के मामले में क्यों कराया जा रहा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह तो कानूनी प्रोसीज्यर की बात होगी । मैं इसका उत्तर इस वक्त ठीक दे नहीं सकता हूं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—हड़ताली कर्मचारियों के साथ क्या व्यवहार किया जाना चाहिये, इस हेतु सरकार ने बरेली जिलाधीश को क्या आदेश भेजे हैं, क्या यह बताने की कृपा माननीय मुख्य मंत्री जी करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—आदेश यही हैं कि अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाय ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कितने व्यक्ति लखनऊ में पर्सनल बांड पर छोड़ दिये गये हैं और कितने ऐसे हैं जो अभी जमानत पर नहीं छोड़े जा सके हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—लखनऊ में इस वक्त जेल में कोई भी हड़ताली नहीं है।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बतायेंगे कि बरेली में वे कौन-सी विशेष परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से वहां मुकदमा भी चलाया जा रहा है और विशेष प्रकार की जमानतें विशेष ढंग से ली जा रही हैं, जबकि अन्य स्थानों पर इस प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—हर जगह एक ही प्रकार की कार्यवाही हुई है।

श्री गेंदासिंह—क्या मुख्य मंत्री जी को जानकारी है कि बरेली में ४,४ हजार की जमानत और मुचलके लिये जा रहे हैं और मुचलकों का वेरीफीकेशन कराया जा रहा है जो कहीं भी नहीं कराया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस बात की जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन इतना कह सकता हूं कि अगर कोई यह कहता है कि सरकारी आदेश है कि बरेली में ४, ४ हजार की जमानत या मुचलका लिया जाय तो वह गलत कहता है।

श्री नन्दराम—यह जानते हुये कि बरेली में जमानत और मुचलके भारी मांगे जा रहे हैं, सरकार उनके हल्का करने का आदेश जारी करेगी ?

श्री अध्यक्ष—इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—जमानत की दरख्वास्त अदालत में कब पड़ी और किस तारीख को स्वीकार हुई और कब तहसील में वेरीफीकेशन के लिये भेजी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं नहीं कह सकता। जहां तक मुझे मालूम है, ११ आदमियों की दरख्वास्तें थीं। किसकी किस तारीख को पड़ी, यह मुझे इस समय नहीं मालूम है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली के अलावा कहीं और इतनी बड़ी रकम जमानत को रखी गई है ?

श्री अध्यक्ष—जब उन्हें यही मालूम नहीं है कि कितनी रकम की है, तो यह कैसे बता सकते हैं ?

श्री गौरीशंकर राय—क्या उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव ने प्रति ५,७ दिन बाद बरेली के अधिकारियों को आदेश भेजे हैं कि रेलवे कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाय और उन्हीं के अनुसार वे कार्य कर रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जो कुछ भी सरक्यूलर भेजे गये हैं मेरी जानकारी में भेजे गये हैं और हर सरकारी अहलकार उनके मुताबिक काम करता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मुख्य मंत्री कम से कम यह आदेश बरेली के जिलाधीश को देने की कृपा करेंगे कि वेरीफीकेशन जल्दी करा लें, जिसमें १५, १५ और २०, २० दिन से भी अधिक लग रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अगर देर हो रही है तो उसे मैं देखूंगा।

सहजनवां, जूट मिल में कोयले की कमी

**६—श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़) तथा श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या सहजनवां जूट मिल के प्रबन्धकों ने कोयले के अभाव के फलस्वरूप ९ अगस्त, १९६० से मिल बन्द कर देने की घोषणा कर दी है ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---जी हां। ऐसी घोषणा कर दी थी।

****७---श्री झारखडेराय तथा श्री मदन पांडेय**---यदि हां, तो इस स्थिति को संभालने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---इस संबन्ध में डिप्टी कोल कन्ट्रोलर को तुरन्त कार्यवाही करने के लिये तार दे दिया गया था, जिसके फलस्वरूप कुछ गाड़ियां एलाट कर दी गईं। जिलाधीश ने भी स्थानीय लोको से १० गाड़ी लेने का प्रबन्ध कर दिया था।

श्री मदन पांडेय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कोयले के इंतजाम करने की जो सूचना उत्तर में दी गई है, उसके बाद मिल ने बंदी की घोषणा को वापस ले लिया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---मिल बंद नहीं हुई हैं और १५ दिन का स्टाक उनके पास इन हैंड है।

श्री मदन पांडेय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मिल ने कोयले की कमी की सूचना कब दी थी और प्रबंध कब किया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---यहां तो ६ तारीख को पहुंची थी और तुरंत कोल कंट्रोलर से बात की गई। १० तारीख को कोल मूवमेंट आफिसर कलकत्ता गये और वहां से तुरन्त इन्तजाम हो गया। इसी बीच में डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट ने १० गाड़ियां लोको से काम चलाने के लिये दिलवा दी थीं।

श्री गेंदासिंह---क्या यह सही है कि एक दिन पहले खाद्य मंत्री जी ने हाउस में बयान दिया था--फिलहाल मिलों के लिये कोयले का बंदोबस्त कर दिया गया है और उनके बंद होने की सम्भावना नहीं है और दूसरे ही दिन मिल ने बंद होने का नोटिस दिया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---यहां नहीं, कौन्सिल में किया होगा। सब से बड़ी भारी बात तो यह है कि मिलें अपने स्टाक रिटर्न्स कभी नहीं भेजती हैं जिससे बड़ी दिक्कत होती है। अखबारों में जब यह खबर निकली थी तो मुख्य मंत्री जी ने मुझ से बात की थी और मैंने तुरन्त फोन कर दिया था, जिससे दस दिन का इंतजाम कर दिया गया था।

श्री प्रतापसिंह---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मिल ने कितना अभाव बताया और कितना इंतजाम किया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---मैंने बता दिया कि मिल स्टाक रिटर्न्स नहीं भेजती हैं, यह उनकी गलती है। लेकिन इस समय १५ दिन के लिये स्टाक 'इन हैंड' है।

श्री मदन पांडेय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ३ तारीख को कोयले की कमी की सूचना दी और ९ तारीख से बंद करने की सूचना दी तो इसके लिये उनसे जवाब तलब किया गया है कि इतने अल्पकाल में बंद करने की उन्होंने सूचना क्यों दी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस समय इसकी इत्तला नहीं दे सकते। इसके लिये सूचना की जरूरत होगी।

श्री देवनारायण भारतीय---प्रदेश में कोयले के संकट की स्थिति क्या है, इसके सम्बन्ध में सरकार प्रकाश डालेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---इस समय जहां तक इंडस्ट्रीज का कंसर्न है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब नहीं कही जा सकती है और संतोषजनक है। जहां तक भट्ठों का सवाल है, हालत बहुत खराब है और इस समय तक काफी मात्रा में कोयला आ जाना चाहिये था, पर बार-बार

सैन्ट्रल गवर्नमेंन्ट के एश्योरेन्स के बावजूद भी ऐसा नहीं हो पा रहा है। जहां तक साफ्टकोक का सवाल है जो डोमेस्टिक यूज में आता है, उसकी हाल में कोई शिकायत नहीं आई। इससे मालूम होता है कि हालत ज्यादा खराब नहीं है।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि साफ्ट कोक प्रोक्योर करने की उनको कभी जरूरत पड़ी है ?

श्री अध्यक्ष—आप उनके घर के प्रश्न न पूछिये।

श्री सुरथबहादुरशाह—श्रीमन्, इसलिये कहा है कि उनको मालूम नहीं है कि इसके प्रोक्योर करने में कितनी दिक्कत होती है।

श्री अध्यक्ष—कायदे के अनुसार सवाल कीजिये, दूसरों का अनुभव लीजिये।

श्री सुरथबहादुरशाह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि साफ्ट कोक के प्राप्त करने में जो दिक्कत होती है उसका उन्हें अनुभव है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—अध्यक्ष महोदय, मैं भी वही इस्तेमाल करता हूं। अगर मैं यह कहता तो फौरन आप कहते कि मैंने ज्यादा ले लिया होगा। इस समय कोयला राशण्ड तरीके पर मिल रहा है, ज्यादा इफरात में नहीं है लेकिन काम चल रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कोयले की दिक्कत है और सेन्ट्रल गवर्नमेंट से नहीं मिल पा रहा है, इसके लिये वह क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—उन्होंने एक सुझाव दिया था डम्प करने का और हम भी सोच रहे हैं कि ऐसा करें। लेकिन क्या करें, जब हमारा पुराना कोटा ही नहीं आ रहा है तो कहां से डम्प करें। इसलिये मुख्य मंत्री जी ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया है। सरदार स्वर्णसिंह साहब ने स्टेटमेंट भी दिया था लेकिन अफसोस है कि कोई फल नहीं निकल रहा है। हमारे हाथ की बात नहीं है। हम रोज तिकतिका रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कोयले की कमी का जो संकट उपस्थित हो रहा है उसको दूर करने के लिये कोई कदम उठाया गया जिससे यह दूर हो सके प्रभावकारी रूप से और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी समझा सकें ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं इतना जानता हूं कि केन्द्रीय मंत्री यह कहते जरूर हैं और मैं समझता हूं कि ठीक ही कहते होंगे कि उनको हमारी कठिनाइयों का पूरा-पूरा पता है। जहां तक कदम उठाने का सवाल है, सिवाय बातचीत करने के और खत लिखने के और कोई कदम उठाने का सवाल नहीं है, और वह लेते ही रहते हैं।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय पूर्ति मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस प्रकार सहजनवां की मिल ने बन्दी की घोषणा की थी, इस प्रकार किसी और फैक्ट्री की तरफ से सूचना आयी है, जिसके कोयले के अभाव में बन्द होने की सूचना है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—कुछ और मिलों के पास कोयले की कमी मालूम होती है—सिंघल आइस फैक्टरी, अलीगढ़, लार्ड कृष्ण टैक्स्टाइल मिल्स, सहारनपुर। पहले वाले का स्टाक निल हो गया है और दूसरे का पांच दिन का स्टाक है। इसी प्रकार किसी का आठ दिन का है, किसी का सात दिन का और किसी का १४ दिन का। त्रिवेणी ग्लास वर्क्स, नैनी, में स्टाक निल हो गया है। डिस्पैच अरेंज्ड बट रिपोर्ट नाट रिसीव्ड (Despatch

arranged but report not received.) । भारत ग्लास फैक्टरी, नैनी डिस्पैच अरेंज्ड बट रिपोर्ट नाट रिसीव्ड (Despach arranged but report not received.) ? अयोध्या डिस्टिलरी, मुरादाबाद और प्रयाग आइस एंड आयल मिल्स, अलीगढ़, इलाहाबाद डिस्टिलरी—शार्टेज रिपोर्टेड, डिस्पैचेज अरेंज्ड, बट रिपोर्ट नाट रिसीव्ड, (Despach arranged but report not received.) श्री राधाकृष्ण मिल्स, मिर्जापुर में भी यही है । हरगांव, शामली, मोदीनगर, दौराला, डायर मेंकिन, रामपुर डिस्टिलरीज में स्टाक एग्जास्ट हो गया है । डिस्पैचेज अरेंज्ड बट रिपोर्ट नाट रिसीव्ड (Shortage reported. Despatches arranged but report not received.) ।

श्री कृष्णदत्त पालीवाल—क्या केन्द्रीय मंत्री से सरकार की जो बातचीत हुई उसमें सरकार ने यह भी बताया कि हमारी सरकार के बार-बार कहने पर और उनके द्वारा बार-बार आश्वासन देने पर भी क्या कारण है कि हमारी कठिनाइयां दूर नहीं होती हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुझसे उन्होंने यह कहा कि पहले तो वैगन की कठिनाई थी और अब वैगन की कठिनाई नहीं हैं । लेकिन जहां पर कोयले की खुदाई होती है वहां पर दिक्कतें पड़ रही हैं । खास तौर से जो कोयले की खानों के मालिक हैं, कुछ उनकी तरफ से दिक्कतें हैं जिनकी वजह से जितना कोयला होना चाहिये उतना नहीं मिल रहा है ।

श्री गौरीशंकर राय—क्या प्रदेशीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार को यह सूचना दे दी है है कि प्रदेश में इतने कारखाने या तो बन्द हो गये हैं या बन्द होने की स्थिति में हैं कोयले के अभाव में ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां, मैंने आपसे कहा, रोज तार दे रहे हैं, अपने आदमी वहां भेज रहे हैं । एक आफिसर कलकत्ते भेज रखा है । रोज बात करते हैं । वह कहते हैं कि अब भेजा, तब भेजा ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—कोयले की दिक्कतों को देखते हुए माननीय मंत्री जी अपने प्रान्त में जो मिर्जापुर में कोयले की बात है उसे डेवलप करने के लिये कोई विचार कर रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—हां, उसको डेवलप करने की बात सोच सकते हैं लेकिन उसमें दो तीन वर्ष लग जायेंगे, तब तक यहां कोयले की दिक्कत दूर हो जायगी ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३०(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

गल्ले की राज्य-व्यापार-योजना के अन्तर्गत कार्य

*१—**श्री चन्द्रजीत यादव** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थिति)—क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, १९६० के बाद से राज्य सरकार ने 'गल्ले की राज्य व्यापार योजना' लागू करने के लिये क्या-क्या कदम उठाये हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—गल्ले के राज्य व्यापार की अन्तरिम योजना पिछले वर्ष से इस प्रदेश में लागू है । इस योजना के अन्तर्गत अप्रैल, १९६० से निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :

(१) अप्रैल, १९६० के आरम्भ में लाइसेंस-प्राप्त गल्ला व्यापारियों तथा चावल मिलों की संख्या क्रमशः ११,३६९ तथा ८६५ थी और अब १६,२५१ तथा १,१४३ है ।

(२) उत्तर प्रदेश चावल प्राप्ति (उगाहने) का आदेश, १९५९ के अन्तर्गत ३०,४६२ टन चावल की खरीदारी की गई है ।

(३) उत्तर प्रदेश गेहूं प्राप्ति (उगाहने) का आदेश, १९५९ के अन्तर्गत ३७,८०४ टन गेहूं खरीदा गया । ८ अगस्त, १९६० से गेहूं की खरीद स्थगित कर दी गई है ।

नोट—तारांकित प्रश्न १ श्री भीखालाल ने पूछा ।

(४) सरकारी गोदामों से अप्रैल से जुलाई तक निम्नलिखित मात्रा में खाद्यान्न वितरण हेतु दिया गया है :

विदेशी गेहूं	.. ४३,४८६ टन
देशी गेहूं	.. १२,२८१ ,,
चावल	.. २९,०४२ ,,
मोटे अनाज	.. ६,८१२ ,,
कुल योग ..	.. ९१,६२१ टन

श्री भीखालाल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गल्ले की कीमतों में सन्तुलन लाने के लिये जो कदम सरकार ने उठाये हैं उन्हें वह काफी समझती है और अगर नहीं, तो उनको विस्तृत करने की सरकार ने क्या रूप रेखा बनाई है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—सरकार को रूपरेखा में पूर्णतया सफलता मिली है। हाल ही में जिस दिन से मैंने लेवी उठाने तथा प्रदेश भर में गेहूं के आने-जाने पर कोई रोक न रखने का एलान किया उस दिन से २ रुपये के लगभग गेहूं का भाव गिर कर १७ रुपये प्रति मन के लगभग रिटेल में आ गया है।

श्री गौरी शंकर राय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जरूरत के मुताबिक खरीदने के बाद जब राज्य व्यापार की योजना पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद और खरीदने की योजना है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह अन्तरिम व्यवस्था है। इसमें बफर स्टाक बनाते हैं, जससे हम कीमतों पर नियंत्रण रख सकें। पूरी स्टेट ट्रेडिंग का नक्शा पहले ही बतलाया जा चुका है कि जब सहकारी समितियां बन जावेंगी तब ही उस योजना का पूर्ण रूप होगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या माननीय मंत्री जी जांच करावेंगे कि उनके एलान के कारण २ रुपये घटे हैं या किसी और कारण से ?

श्री अध्यक्ष—आपके प्रश्न के कारण से !

[२२ अगस्त, १९६० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

पौष्टिक आटा

*१—**श्री ताराचन्द्र माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)—क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में सेन्ट्रल फूड टेक्नोलाजिकल रिचर्स इंस्टीट्यूट (केन्द्रीय खाद्य प्रोद्योगकीय गवेषणा संस्था) ने कोई कृत्रिम खाद्य पदार्थ तैयार किया है और यह कृत्रिम खाद्य पदार्थ राज्य के पूर्वीय तथा पर्वतीय क्षेत्र और लखनऊ में गेहूं के आटे में मिलाकर सस्ते गल्ले की दुकानों पर बेचा जाता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इस वित्तीय वर्ष में तो नहीं परन्तु गत वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय खाद्य प्रोद्योगकीय गवेषणा संस्था द्वारा बनाया गया पौष्टिक आटा मंगाकर केवल लखनऊ में सस्ते गल्ले की दूकानों द्वारा वितरित किया गया था। यह आटा उक्त संस्था से बना बनाया आया था और इसमें यहां पर कोई मिश्रण नहीं किया गया था।

*२—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—यदि हां, तो क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त कृत्रिम खाद्य पदार्थ किस वस्तु से तैयार किया गया है तथा क्या स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इसकी जांच कर ली है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—पौष्टिक आटा में ७½ भाग गेहूं का आटा १७ भाग टैपिओका का आटा और ८ भाग कम चर्बी वाला खाने योग्य मूंगफली का आटा सम्मिलित होता है।

पूर्वोक्त संस्था के विशेषज्ञ तथा डाक्टर संस्था द्वारा बनाई गई वस्तुओं के प्रशासन परीक्षण करते हैं और उन्हीं वस्तुओं को सर्वसाधारण के उपयोग में लाये जाने के लिये कहते हैं जिनका पौष्टिक तत्व पूर्णतया निश्चित हो जाय।

पौष्टिक आटा की बनावट तथा उसके पौष्टिक तत्व इस प्रकार है :—

	(प्रति १०० ग्राम)
कैलोरिफिक वैल्यू (Calorific Value)	३५२
प्रोटीन (ग्राम) (Protein) (g)	१३.३५
फैट (ग्राम) (Fat) (g)	२.०४
कारबोहाइड्रेट (ग्राम) (Carbohydrate) (g)	७०.००
कैलशियम (ग्राम) (Calcium) (g)	०.०४६
फासफोरस (ग्राम) (Phosphorus) (g)	०.२९४
आइरन (मि० ग्राम) (Iron) (Mg)	६.७३
थियामिन (मि० ग्राम) (Thiamin) (Mg)	०.५१
निकोटिनिक एसिड (मि० ग्राम) (Nicotinic Acid) (Mg) ..	५.६२
रिबोफ्लाबिन (मि० ग्राम) (Reboflabin) (Mg) ..	०.१३

पौष्टिक आटा काम में लाकर उक्त संस्था द्वारा जो प्रयोग किये गये हैं उनसे यह पता चला है कि जिस आहार में पौष्टिक आटा होता है वह उस आहार की तुलना में जिसमें गेहूं होता है अपेक्षाकृत अधिक स्वास्थ्यवर्द्धक होता है।

*३—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृत्रिम खाद्य पदार्थ को गेहूं के आटे में मिलाकर बेंचने के कारण आर्थिक दृष्टि से ३०-९-५९ तक क्या हानि-लाभ हुआ है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—२० टन पौष्टिक आटे को सस्ते दाम पर बेंचने में लगभग १,९३० रुपये की हानि हुई है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ की गल्ले की दुकानों से यह आटा जिन लोगों ने खरीदकर इस्तेमाल किया, उनके स्वास्थ्य की भी जांच कराई गई है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जिन लोगों ने उसको खरीद कर के खाया, वह मुझसे उसकी बड़ी तारीफ कर रहे थे।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि टैपिओका कोई टेकिनकल शब्द है या कोई पदार्थ है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह एक झाड़ी से जड़ निकाली जाती है, मेरी सूचना के अनुसार यहां यू० पी० में भी उसको लगाने की चेष्टा की जा रही है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या इन कृत्रिम खाद्य पदार्थों की पौष्टिकता को देखते हुये, जिनका वर्णन शुरू में माननीय मंत्री जी ने किया है, सरकार और मंत्रिमंडल के सदस्य जनता के सामने आदर्श उपस्थित करेंगे उसका प्रयोग स्वयं करके ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह (जिला गोंडा)—क्या खाद्य मंत्री जी को मालूम है कि इस कृत्रिम आटे को खाने से बहुत से लोगों को पेचिश और गैस्ट्राएंट्राइटिस की बीमारियां हो गयीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मुझे तो ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है और मुझे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि आप तो खाकर के काफी मोटे दिखाई दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि ऐसा कहना उचित नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब कोई दूकानदार या पब्लिक का आदमी गेहूं के आटे में कोई चीज मिलाकर बेचता है तो उसका फूड एडल्टरेशन ऐक्ट में चालान किया जाता है, तो सरकार यह किस कानून के आधार पर गेहूं के आटे में इसे मिलाकर बेचती है ?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह अदालत में आप केस ले जाते तो ज्यादा अच्छा होता।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या खाद्य मंत्री जी इस प्रयोग की सफलता को देखते हुये सभी सस्ते गल्ले की दूकानों पर इस प्रकार का आटा बिकवाने का प्रबन्ध कर रहे हैं ? या लखनऊ के अलावा प्रदेश में दूसरे स्थानों पर यह बिक रहा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—पहले करीब २ टन सेम्पुल के रूप में फ्री डिस्ट्रिब्यूशन के लिये भेजा था। उसमें मक्का और चावल भी होता है और आटा भी। उसको हमने ३ रीजन में रखा था। पहाड़ों के लिये जहां पर चावल अधिक इस्तेमाल होता है और पूर्वी क्षेत्र में गोरखपुर वगैरह में, मगर चूंकि बरसात अचानक आ गई, इसलिये उसको लखनऊ लौटाना पड़ा, क्योंकि बाद में वह खराब हो जाता। अब उम्मीद यह है कि इसका अधिक प्रचार होगा, क्योंकि गवर्नमेंट आफ इंडिया का प्रोग्राम यह है कि इसका ज्यादा प्रचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—तीसरे नम्बर पर लिखा है कि २० टन आटा सस्ते दाम पर बेंचने के लिये भेजा और १६३० रुपया की हानि हुई। अब आप २ टन फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिये कहते हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—वह २ टन अलग था। यह २० टन बेंचने के लिये था और २ टन फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि वह झाड़ी जो सरकार लगाने वाली है वह कहां-कहां लगाई जायगी और उसको खाद्य विभाग लगायेगा या जंगल विभाग के द्वारा वह लगाई जायगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मुझे ऐसा मालूम होता है कि एग्रीकल्चर विभाग इसका परीक्षण कर रहा है। बंगलौर से जो सज्जन आये थे वह इस प्रकार से बतला रहे थे।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कम चर्बी वाला खाने योग्य मूंगफली का आटा प्राप्त करने की विधि क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इसके लिये कुछ दिनों के लिये यदि आप उस इंस्टीट्यूट में चले जायं तो अच्छा रहेगा।

डी० सी० एफ० आजमगढ़ की स्पेशल आडिट रिपोर्ट

*४—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या सहकारिता मंत्री २१-३-६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९२-९३ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि स्पेशल आडिट रिपोर्ट कब प्राप्त हुई थी और अब तक निराकरण न होने का कारण क्या है ?

सहकारिता उपमंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)--स्पेशल आडिट रिपोर्ट जिला कोआपरेटिव फेडरेशन आजमगढ़ को २२-५-५९ को प्राप्त हुई थी। इसका निराकरण फेडरेशन के बोर्ड द्वारा २९-३-६० को स्वीकृत हो चुका है।

*५—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या स्पेशल आडिट रिपोर्ट में २,५७,३७१ रुपये की गड़बड़ी बताई गई है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--जी नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सहकारिता मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह स्पेशल आडिट रिपोर्ट तामील करने में १० महीने का समय क्यों लगा?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—मैंने अभी बतलाया कि २२-५-५९ को प्राप्त हुई थी फेडरेशन के कार्यालय में और २८-१०-५९ को फेडरेशन कार्यालय तामील की अपनी रिपोर्ट दे चुका था। फिर उसे बोर्ड को स्वीकार करना था। बोर्ड की बैठक कुछ देर से हुई। उसने २४-३-६० की बैठक में एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई जिसने अपनी स्वीकृति की रिपोर्ट ३१-३-६० को दी।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यदि स्पेशल आडिट रिपोर्ट में २,५७,३७१ रुपये की गड़बड़ी नहीं बतलाई तो कितने रुपये की गड़बड़ी बतलाई?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--मैं तो इसका उत्तर पांचवें प्रश्न के उत्तर में दे चुका हूं कि "जी नहीं"।

श्री प्रतापसिंह--क्या सहकारिता मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस स्पेशल आडिट रिपोर्ट में किन चीजों की ओर इशारा किया गया था?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--कुछ भट्ठे की गड़बड़ी थी और कुछ उधार में कोयला, सिमेंट, भूसा, लोहा आदि दिया हुआ है। इसी प्रकार की गड़बड़ी थी।

श्री गेंदासिंह--क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि सिमेंट या ईटों में कितने रुपये की गड़बड़ी थी?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--आडिट रिपोर्ट में बतलाया गया था कि १,४०,०३० रुपये बाकी पड़े हैं लोहा, कोयला, सिमेंट और ईटों वगैरह के। इसमें ४०,४२७ रुपये की ऐसी रकम थी जिसको हमारे संघों पर संदिग्ध ऋण समझा जा सकता है लेकिन चूंकि हमारे संघ सभी संचालित हैं इसलिये कुछ संदिग्ध नहीं समझते।

चावल का तस्कर व्यापार रोकने के उपाय

*६—**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसने अवैध चावल के आयात निर्यात की रोक करने के लिये अब तक क्या-क्या उपाय किये हैं तथा इसमें क्या सफलता मिली है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--निम्नांकित उपाय अब तक किये गये हैं—

(१) चावल के अवैध रूप से आयात तथा निर्यात के सम्भावित स्थानों पर नाकाबन्दी कर दी गयी है। इन पर पुलिस एवं खाद्य विभाग के कर्मचारी तैनात कर दिये गये हैं।

(२) Movement Control Orders के अन्तर्गत जिला अधिकारियों एवं पुलिस कर्मचारियों को यह अधिकार दे दिया गया है कि वे तस्कर व्यापारियों की तलाशी ले सकें तथा उनके माल को पकड़ सकें जिससे कि उन पर मुकदमा चलाया जा सके।

(३) रीजन तथा जिले के अधिकारियों से तथा उनके अधीनस्थ कर्मचारी, चोरी छिपे चावल ले जाने के मार्गों पर रात्रि में गश्त लगाते हैं और अचानक छापा भी मारते हैं।

(४) सवारी गाड़ी (Passenger Trains) पर भी अचानक छापा की व्यवस्था की गई है ताकि डिब्बों में सामान के खाद्य अवैध रूप से चावल ले जाने वाले व्यक्ति पकड़े जा सकें।

(५) तस्कर व्यापारियों से गठबंधन करने वाली ट्रांसपोर्ट कम्पनियों के गोदामों पर छापे मारे जाते हैं जिससे कि अवैध रूप से भेजने वाला एकत्रित चावल पकड़ा जा सके।

(६) खाद्यान्न तथा चावल मिल लाइसेंसदारों को यह आदेश है कि वे अपनी बिक्री का रजिस्टर रखें जिसमें कि बेचे गये चावल का पूरा विवरण दिया रहे और खरीदार के हस्ताक्षर एवं पूरा पता हो।

(७) खाद्य एवं रसद विभाग के कर्मचारियों के प्रवर्तन जत्था (Enforcement Squads) बना दिये गये हैं जो कि मुख्य मार्गों तथा कुख्यात व्यापारियों के बहीखातों एवं स्टाक का निरीक्षण करते हैं।

(८) तस्कर व्यापारियों के मुकदमों की पैरवी अदालतों में उचित रूप से की जाती है।

इन उपायों के फलस्वरूप ऐसी शिकायतें पहले की अपेक्षा बहुत कम हो गई हैं। तस्कर व्यापारियों में एक भय-सा पैदा हो गया है और वे यह भली-भांति समझ गये हैं कि सरकार पूर्ण रूप से सजग है तथा कानूनों के बन्धनों को वे आसानी से तोड़ नहीं सकते हैं। पकड़े गये व्यापारियों के विरुद्ध बहुत से मुकदमें अदालत में चला दिये गये हैं और बहुतों में या तो जुर्माना हो गया है या उनका गल्ला जब्त कर लिया गया है।

तस्कर व्यापार को पूर्णरूप से खत्म करने के लिये अन्य उपायों पर भी सरकार विचार कर रही है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह व्यवस्था कब से हुई और कितने आदमी और कितना चावल पकड़ा गया?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इस संबंध में हमारे दो आर्डर थे—एक तो फूड ग्रेंस मूवमेंट कंट्रोल आर्डर, १९५८ और दूसरा यू० पी० पैडी रिस्ट्रिक्शन आफ मूवमेंट आर्डर, १९५८। तो इनमें लखनऊ रीजन में नम्बर आफ केसेज डिटेक्टेड अंडर बोथ आर्डर्स १०८ थे और इन १०८ में से ५७ तो अनडिसाइडेड हैं और ५१ डिसाइड हो चुके हैं।

श्री अध्यक्ष—पूरे प्रांत के एक साथ हों तो दे दीजिये, नहीं तो उसके लिये सूचना मांग लीजिये।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—चार रीजन हैं और उनमें से तीन रीजन्स के फिगर्स मेरे पास हैं। आप अगर इजाजत दें तो मैं बतला दूं।

श्री अध्यक्ष—उसमें बहुत समय लगेगा।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन हिस्सों में यह नाकेबन्दी की गयी है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—वैसे तो हर जगह है लेकिन बार्डर एरियाज में खासकर देवरिया, गोरखपुर, बलिया, मेरठ, आगरा, आदि के पास जहां से चावल बाहर जाता है, वहां है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि तस्कर व्यापारियों से गठबंधन करने वाली ट्रांसपोर्ट कंपनियों को दोषी मान कर पकड़ा गया? और क्या उनको दोषी पाने पर उनके लाइसेंस कैंसिल करने के लिये लिखा गया? यदि हां, तो ऐसी कौन-कौन कंपनियां हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—प्रदेश भर में अभी तक इस प्रकार का कितना चावल पकड़ा गया है और कितने लोगों को सजा मिल चुकी है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इसके लिये तो रीजनवाइज ही देना पड़ेगा, और सारे प्रदेश के लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

सगड़ी तहसील में कोल डिपो बढ़ाने की प्रार्थना

*७—**श्री मुक्तिनाथराय** (जिला आजमगढ़)—क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ की सगड़ी तहसील से १९५९ व जनवरी, १९६० में कुछ साफ्ट कोल के डिपो उक्त तहसील में बढ़ाने के निमित्त आवेदन-पत्र आये थे? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—ऐसा कोई भी आवेदन-पत्र नहीं प्राप्त हुआ। अतः किसी भी कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुक्तिनाथराय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसके पास ऐसी कोई रिपोर्ट है कि उक्त अवधि में उक्त जिले में कितने कोल डिपो खोले गये हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मैं उक्त अवधि से तात्पर्य नहीं समझा।

श्री मुक्तिनाथराय—मेरा मतलब है कि सन् १९५९ से जनवरी, सन् १९६० तक आजमगढ़ जिले में कितने कोल डिपो खोले गये हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—अनुमान से कह सकता हूं कि दो खोले गये होंगे।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसने जिलाधीश आजमगढ़ के पास कोई इस प्रकार के आदेश भेजे हैं कि जनता या किसी व्यक्ति की ओर से साफ्ट कोल डिपो खोलने के लिये अगर कोई दरख्वास्त आये तो वे उसे सरकार को फारवर्ड न करें?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—ऐसा कोई आदेश नहीं है।

*८—**श्री सजीवनलाल** (जिला उन्नाव)—[५ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन दिल्ली से स्किम्ड मिल्क पाउडर की प्राप्ति

*९—**श्री त्रिलोकीसिंह** (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)—क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन, दिल्ली, द्वारा कितना स्किम्ड मिल्क पाउडर उत्तर प्रदेश के हिस्से में आता है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इसका कोटा नियत नहीं है।

*१०—श्री त्रिलोकीसिंह (अनुपस्थित)—क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त माल के उत्तर प्रदेश में लाने की क्या व्यवस्था है और गत वर्ष तथा इसके पहले कितना माल उत्तर प्रदेश के हिस्से में रखा गया था और उसमें से कितना प्रदेश में आया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जिलाधीश द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से एजेंट की नियुक्ति की जाती है जो इस माल को प्रदेश में लाने की स्वयं व्यवस्था करते हैं। सन् १९५९ में ७५० टन तथा सन् १९५८ में १८५ टन का कोटा इस प्रदेश को मिला था। १९५९ के कोटे में से अब तक १९४.५ टन तथा १९५८ का पूरा कोटा प्रदेश में आ गया है।

*११—श्री त्रिलोकीसिंह (अनुपस्थित)— [हटा दिया गया।]

*१२-१४—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—[५ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

केन्द्र से कोयले की प्राप्ति

*१५—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपाकर बतायेगी कि केंद्रीय सरकार से १९५७ से लेकर प्रत्येक वर्ष १९६० जनवरी तक कितना-कितना कोयला प्रदेशीय सरकार को प्राप्त हुआ है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—सूची संख्या १ संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क', आगे पृष्ठ ५४० पर)

*१६—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपया कर बतायेगी कि प्रदेश के पांच कबाल टाउन्स में १९५८ से ३० जून, १९६० तक कितना-कितना साफ्ट कोक तथा हार्ड कोक का कोटा दिया गया?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—सूची संख्या २ संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क', आगे पृष्ठ ५४० पर)

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि उन्होंने जो सूची संख्या २ दी है उसके अनुसार कानपुर तथा बनारस के मुकाबले में, सन् १९५८-५९ में वैगनों की संख्या आगरे और इलाहाबाद में क्यों कम रही है? क्यों कानपुर में ज्यादा तथा इलाहाबाद में कम रही?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—अब यह तो रेलवे वालों पर ज्यादा मुनहसर है कि वह कहां के लिये ज्यादा देते हैं और कहां के लिये कम।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या यह सही है कि केंद्रीय सरकार ने इस सन् में कोयला ज्यादा भेजा था, क्योंकि कोयले की यहां पर कमी थी, तो फिर उसी के अनुसार वैगनों की कमी की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया गया?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखते रहते हैं कि जहां पर वैगनों की कमी है वहां के लिये वैगन दिये जायें। अब वे डिस्ट्रीब्यूशन करने में गड़बड़ी कर देते हैं।

*१७-१८—श्री सजीवनलाल—[५ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*१९-२०—श्री मुक्तिनाथराय—[५ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

हसनगंज विकास खण्ड में राजकीय कृषि फार्म के लिए हस्तगत भूमि

*२१—श्री भीखालाल—क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनायी है कि प्रत्येक विकास खंड के अन्तर्गत एक राजकीय कृषि फार्म खोला जाय और उसके लिये भूमि हस्तगत की

जा रही है ? यदि हां, तो प्रदेश के कितने विकास खंडों में कितनी-कितनी भूमि हस्तगत की जा चुकी है और कितने में कार्यवाही चल रही है ?

*२२—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हसनगंज विकास खंड, जिला उन्नाव, में उक्त फार्म के लिये कितनी भूमि हस्तगत की गई है और उसमें कितने किसानों की अलग-अलग कितनी जमीन ली गई है और उसके पास अब कितनी कितनी भूमि शेष रह गई है ?

*२३—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हसनगंज विकास खंड में जो भूमि हस्तगत की गई है उसमें कोई बाग भी है ? यदि हां, तो बाग की भूमि को फार्म के लिये लेने का क्या कारण है ?

कृषि उपमंत्री (श्री कालीचरण अग्रवाल)—सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री भीखालाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसने कोई ऐसी योजना बनाई है कि हर एक ब्लाक में राजकीय फार्म खोले जायं ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—जी हां, इस प्रकार की योजना है कि प्रत्येक ब्लाक में एक सीड मल्टीप्लीकेशन फार्म हो ।

श्री भीखालाल—क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि उस फार्म को खोलने के लिये बजाय इसके कि किसानों की जमीनें एक्वायर की जायं, वह कुछ समय रुकी रहे और फिर सीलिंग का विधेयक लागू होने के बाद उससे जो जमीन प्राप्त हो, उस पर फार्म खोला जाय ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—इस तरह की कोई बात नहीं है । हमको तो बहुत जल्दी यह फार्म खोलने हैं । सेंट्रल गवर्नमेन्ट की ओर से हमको कई लाख रुपया इस योजना के लिये मिला है । हम कोशिश यह करते हैं कि जमीन जो ली जाय वह उन लोगों से ली जाय जिनको उसके देने के बाद कोई परेशानी न हो ।

श्री कृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार जिन लोगों की भूमि इस कार्य के लिये लेगी, उनको उसके बदले में कोई आल्टरनेटिव भूमि देगी या कोई और साधन प्रोवाइड करेगी ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—इस प्रकार का लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट में कोई कायदा नहीं है । लेकिन पीलीभीत कालोनाइजेशन में हमारे पास जमीन है और उसमें अगर लोग चाहेंगे तो हम नियमानुसार दे सकेंगे ।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि भूमि उन लोगों से न ली जाय जिनके पास भूमि अधिक नहीं है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—परेशानी यह है कि जब हम राजा लोगों की जमीन लेते हैं तो वे कहने लगते हैं कि हम लोग तो पनाह गुजीर हैं, हमारी जमीन न लो, जब छोटे लोगों की जमीन लेते हैं तो वे लोग कहते हैं कि हमारी जमीन न लो । तो हमारे सामने यह सब परेशानी भी है ।

श्री गेंदासिंह—क्या सरकार यह भी बतलाने में समर्थ है कि उसने अब तक कितने कृषि फार्म खोले ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा कि सूचना एकत्रित की जा रही है । पूरी बात इसलिये नहीं कह सकता कि जो छतरम जिल की बिल्डिंग थी सारी इनफार्मेशन उसमें थी, उसमें बहुत से रेकार्ड बन्द हो गये । जब वह इकट्ठा हो जायेंगे तो बता सकूंगा कि कितने फार्म खोले गये ।

आचार्य दीपंकर—क्या सरकार बतायेगी कि चूंकि जमीन काश्तकारों से लेकर सहकारी फार्म खोलने की जरूरत है, क्या उन्हीं किसानों को सहकारी फार्मों में काम करने के लिये अवसर नहीं दिया जायगा ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—यह कहां तक सम्भव हो सकेगा, यह तो सोचने की बात बाद को होगी ।

श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग में ऐसे आवेदन-पत्र भी आये हैं कि पास में जो कैंटोनमेंट की सेंट्रल गवर्नमेन्ट की जमीन पड़ती है, उसको ले लिया जाय और किसानों की जमीन न ली जाय ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—आवेदन-पत्र, मुमकिन है आये हों और उन पर विचार भी हो रहा होगा ।

केन डेवलपमेंट यूनियन, बस्ती, के संचालक मंडल का चुनाव

*२४—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि केन डेवलपमेन्ट यूनियन, बस्ती, के संचालक मंडल का चुनाव किस सन् से तथा क्यों नहीं हुआ है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—केन डेवलपमेन्ट यूनियन, बस्ती, के संचालक मंडल का पिछला चुनाव नवम्बर ५८ में हुआ था । उसके उपरान्त कुछ वैधानिक कठिनाइयों के कारण पुनः साधारण सभा न बुलाई जा सकी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किन-किन वैधानिक कठिनाइयों के कारण सब आदमियों की साधारण सभा नहीं बुलायी जा सकी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—जो २९-११-५८ को चुनाव हुआ था, उसमें ३ चुनाव होने थे । दो आदमी एक सीट के लिये खड़े थे, उनके नामजदगी के पर्चे रद्द हो गये । गलती से डी०सी०ओ० बस्ती, जो साधारण सभा थी, उसको ऐडजर्न नहीं कर सके और चूंकि वार्षिक साधारण सभा में ही चुनाव होता है इसलिये एक रिक्त स्थान का चुनाव नहीं हो सका, दो का तो हो गया था । इसके अलावा बोर्ड ने तय किया था कि जनवरी, १९६० में वार्षिक साधारण सभा की मीटिंग बुलाई जाय लेकिन फिर आपत्ति खड़ी कर दी कि ३१२ गांव ऐसे हैं जो गन्ना सप्लाई वर्क्स यूनियन के जरिये से कर रहे हैं, लेकिन उन्हें प्रतिनिधित्व भेजने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिये उनके रेप्रेजेन्टेशन पर विचार किया गया, एक सब-कमेटी बनी । सब-कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट दी, बोर्ड ने रिपोर्ट देखी । फिर सब-कमेटी ने दोबारा रिपोर्ट दी, लेकिन फिर गवर्नमेन्ट के लीगल डिपार्टमेन्ट से यह आपत्ति उठ खड़ी हुई कि एक आदमी की जो कमी है उसकी वजह से अवैधानिक तौर पर वह बोर्ड बैठ नहीं सकता ।

सहकारी समितियां

*२५—**श्री महेशसिंह** (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में ३० जून, १९५९ को अ-श्रेणी ("A" Class) की प्रारंभिक (primary) व क्षेत्रीय (large-sized) सहकारी समितियों की तथा 'स' श्रेणी ("C" Class) की सहकारी समितियों की संख्या क्रमशः क्या थी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—यह सूचना जिलों से सहकारी समितियों की ५९-६० की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त होने पर उपलब्ध हो सकेगी ।

सहारनपुर जिले में खुलने वाले कृषि फार्म

*२६—**श्रीमती शकुन्तलादेवी** (जिला सहारनपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सहारनपुर जिले की प्रत्येक तहसील में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कहां-कहां कृषि फार्म सरकार की तरफ से खुलने वाले थे और उनमें से अब तक कितने खोले जा सके ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—१६ एन० ई० एस० ब्लाकों में प्रत्येक में एक-एक फार्म खोलने की योजना है। तहसीलवार ब्यौरा इस प्रकार है :

नाम तहसील	कितने फार्म खुलने हैं
सहारनपुर	३
देवबन्द	४
नकुड़	३
रुड़की	६

ब्लाक में जहां उपयुक्त जमीन उपलब्ध हो, फार्म खोला जा सकता है। अभी तक जमीन न मिल सकने के कारण केवल एक फार्म धनौरी में खुला है जहां एक बड़ा सरकारी फार्म पहले से ही था। बाकी जमीन उपलब्ध होने पर ही खोले जा सकते हैं।

आजमगढ़ जिले में बलिया बार्ली की कीमत की वसूली

*२७—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या सहकारिता मंत्री २२-२-६० के तारांकित प्रश्न संख्या १६ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि आजमगढ़ जिले में बलिया बार्ली की कीमत मय सूद के वसूल हो चुकी है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि आजमगढ़ जिले में १३,९७८ मन ३२ सेर १५ छ० बलिया बार्ली का बीज सवाई पर बांटा गया जो सवाई लगाने पर १७,४७३ मन २१ सेर ३ छ० हो गया। इसमें से १३,४३६ मन २० सेर १३ छ० बीज उसी वर्ष समय पर वसूल हो गया और ४,०३७ मन ६ छ० बाकी रह गया। उसकी वसूली नियमानुसार नकद में की जा रही है, जिसमें असल और सूद शामिल हैं। सन् १९५८-५९ तथा १९५९-६० में ५,३४२·८८ रु० असल और २४४.७६ रु० सूद के वसूल हुये।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि क्या यह सही है कि उन्होंने इस सदन में आश्वासन दिया था कि आजमगढ़ जिले और बलिया जिले में बलिया बार्ली सप्लाई किया गया था, वह खराब था और यह कहा कि उसके मूल्य की वसूली मुल्तवी की गयी है और माफी पर विचार किया जायगा ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—जहां तक मैंने देखा और पढ़ा, यह तय किया था कि हम डिप्टी डायरेक्टर्स के जरिये से इंक्वायरी करा रहे हैं कि स्थिति क्या है और स्थिति जानने के बाद अगर देखा जायगा कि वास्तव में कोई नुकसान हुआ है तो कलेक्टरों से पूछा जायगा रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट के जरिये से कि बतायें किसको कितनी-कितनी छूट देनी है। यह कहना कि बार्ली खराब था, यह गलत है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि बलिया बार्ली का बीज काफी तादाद में उगा नहीं था और किसानों को उससे काफी क्षति हुई थी ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—स्थिति यह है कि १९ जिलों में यह बीज बांटा गया, चार जिलों से ही शिकायतें आईं और बाकी जिलों से शिकायतें नहीं आईं। बीज तो उगा, उसमें कल्ले भी फूटे लेकिन बाद में वह बढ़ नहीं पाये क्योंकि सूखा था। जब जनवरी, १९५८ में मेह पड़ा तो उसमें इम्प्रूवमेन्ट भी हुआ। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि बीज खराब था बल्कि सूखे के कारण से ऐसा हुआ।

श्री गौरीशंकर राय--क्या माननीय मंत्री जी को स्मरण है कि पहले कई बार इस सदन में प्रश्न हुये इसके सम्बन्ध में और यह उत्तर दिया गया कि किसानों को बलिया बार्ली के नाम पर दूसरा बीज दिया गया, जिसके फलस्वरूप काफी तादाद में किसानों के खेत मारे गये और इसको सरकार ने स्वीकार भी किया था और आश्वासन दिया था कि इस प्रकार से जिन किसानों के खेत मारे गये हैं उनको कुछ न कुछ छूट दी जायगी लेकिन उसके बावजूद भी छूट नहीं दी गई ?

श्री कालीचरण अग्रवाल--इस प्रकार के दो प्रश्न पहले आये थे, एक श्री झारखंडे राय का था और एक और था, उसमें आश्वासन दिया गया था कि इंक्वायरी की जायगी और उसके बाद अगर यह मालूम होगा कि ऐसे किसी प्रकार के कारण या सूखे वगैरह से लास हुआ तो उसके लिये जैसे कि रेवेन्यू लाज बने हुये हैं कि ८ आने से ज्यादा की कमी हो तो कलेक्टर लिखकर भेजता है उस पर कार्यवाही की जाती है। लेकिन आजमगढ़ से जो रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की आई है उसमें यह है कि इस प्रकार का कोई लास नहीं हुआ है जिसमें छूट दी जा सके।

फर्रुखाबाद जिले में नये कोल डिपो

*२८--**श्री राजेन्द्रसिंह यादव** (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष फर्रुखाबाद जिले में कितने कोल-डिपो बढ़ाये गये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--दो।

*२९-३०--**श्री भीखालाल**--[स्थगित किये गये।]

श्री वीरेन्द्र वर्मा--अध्यक्ष महोदय, उत्तर में लिखा गया है कि सूचना एकत्र की जा रही है लेकिन मेरे पास सूचना आ गई है इसलिये यदि आप आज्ञा दें तो मैं सूचना भी दे सकता हूं और सप्लीमेन्टरी क्वेश्चन्स का उत्तर भी दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष--अभी माननीय सदस्य के पास यह सूचना नहीं पहुंची है इसलिये वह पूरक प्रश्न नहीं कर सकेंगे। मैं इसको अगले हफ्ते के लिये मुल्तवी कर देता हूं।

बुलन्दशहर जिले में दिल्ली-दूध-योजना की शाखा

*३१--**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)--क्या सहकारिता मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि रेलवे स्टेशन दादरी व दनकौर, जिला बुलन्दशहर, में केन्द्रीय सरकार जो अपनी दूध योजना चला रही है, उसमें प्रदेशीय सरकार से कोई विचार विमर्श हुआ है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--प्रश्न में उल्लिखित योजना देहली-दूध-योजना का एक अंश है जिस पर केन्द्रीय सरकार राजकीय सरकार से विचार विमर्श कर रही है। दादरी व दनकौर में अभी कोई योजना चालू नहीं की गयी है।

*३२-**श्री रामचन्द्र विकल** (अनुपस्थित)--क्या सहकारिता मंत्री उपरोक्त दूध योजना को इस क्षेत्र के दूध वालों की सहकारी समिति द्वारा चलाने के लिये केन्द्रीय सरकार से बातचीत कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या कोई निर्णय हुआ ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--जी हां। परन्तु अभी इस पर निर्णय नहीं हुआ है।

प्रतापगढ़ जिले में सरिया का मूल्य निर्धारण करना

*३३-**श्री हरकेश बहादुर** (जिला प्रतापगढ़)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उसने प्रतापगढ़ जिले में विक्रेता स्टाकिस्ट को मई तथा जून, १९६० में ३/८ इंची सरिया उसी मूल्य पर बेचने का आदेश दिया था जिस मूल्य पर वह खरीदी गयी थी ? यदि हां, तो क्या वह आदेश बदल दिया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जी हां, चूंकि यह सरिया का कोटा प्रतापगढ़ जिले को प्रांतीय लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के जारी किये हुये ब्लाक परमिट पर कालम ३ के मूल्य पर दिया गया था जो कि लोहा तथा इस्पात की अधिकाधिक निर्धारित मूल्य है, इसलिये इस पर नियमानुसार वास्तविक खर्च के अतिरिक्त कोई लाभ नहीं लिया जा सकता था। अतः आदेश बदलने का प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका लेखा नियमावली में प्रख्यापित संशोधन*

स्वायत शासन उपमन्त्री (श्री जयराम वर्मा)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर-महापालिका लेखा नियमावली में नगरपालिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या २०४-म/११-ग-१-कार्य (७)-५७, दिनांक ११ जुलाई, १९६० के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका अधिनियम, १९५९, की धारा ५४० की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--यहां भी नहीं है और हमारे पिजन होल्स में भी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--मैं इस संबंध में जांच करा लूंगा ।

प्रदेश में हैजा तथा गैस्ट्रोइनट्राइटिस से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष--नियम ५२ के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकृष्ट करने की जो सूचना मैंने स्वीकार की है वह श्री कल्याणचन्द मोहिले जी की है । यद्यपि वह उस फार्म में नहीं है जिसमें यह होनी चाहिये थी लेकिन चूंकि उसमें विषय लोक महत्व का है इसलिये मैंने उसको स्वीकार कर लिया है । वह इस प्रकार है--

"प्रदेश में ३ सप्ताह में जुलाई १६, १९६० से अगस्त ६ तक ३,६०४ और १,२७६ नागरिक क्रमशः कालरा तथा गैस्ट्रोइनट्राइटिस के रोग से बीमार हुये तथा मृत्यु के शिकार हो चुके । इस बीमारी का मेरठ, लखनऊ, कानपुर तथा बहुत से जिलों में बुरी तरीके पर प्रभाव पड़ रहा है और प्रत्येक वर्ष यह बीमारी प्रदेश में हजारों नागरिकों की हत्या करती है । सरकार ने अभी तक इसके निवारण के कौन-कौन से उपाय किये तथा अब तक इस बीमारी के कारण कितने आदमी मरे तथा बीमार पड़े, सदन में बताने की कृपा करेंगे ?"

अब इसमें कई बातें हैं जैसे--कितने बीमार पड़े और कितने मृत्यु के शिकार हुये, इसका पता लगाना बड़ा मुश्किल है । दूसरी चीज यह है कि उन्होंने पूछा कि कितने बीमार पड़े लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि वे किस समय के बारे में यह बात जानना चाहते हैं । लेकिन जो मियाद उन्होंने ऊपर बतायी है १६ जुलाई से ६ अगस्त तक, मेरे खयाल से उसी समय की वह सूचना चाहते हैं ।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी इसके बारे में कब वक्तव्य देंगे ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--आज भी दे सकता हूं, लेकिन चूंकि यह सवाल कुछ इन्डेफिनिट-सा था, इसलिये कल दे दूंगा ।

श्री अध्यक्ष--एक चीज तो मैंने डेफिनिट कर ही दी कि किस समय की इनफार्मेशन आपको देना है ।

---

*छापे नहीं गये ।

माताटीला बांध की रक्षक दीवार और पिचिंग के बह जाने से उत्पन्न परिस्थिति पर नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

सार्वजनिक निर्माण मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करता हूं—

"माताटीला बांध झांसी से ३० मील दक्षिण में बेतवा नदी पर सन् १९५७ में बना था। सन् १९५८ के वर्षाकाल में जबकि अति उच्च बाढ़ आयी थी स्पिल वे के अनुस्रोत नदी के दाहिने किनारे के उस क्षेत्र में जो कि बाढ़ लेविल से नीचा था पानी भर गया था, जिसके फलस्वरूप बैंक में कटाव हो गया था तथा डाउन स्ट्रीम गाज और सीढ़ियां बह गयीं। इसके बचाव के लिये १,००० फीट मिट्टी का बांध बनाया गया था।

२—१९५९ के वर्षाकाल में भी कुछ बाढ़ आयी। उपरोक्त मामलों के लिये सुरक्षा हेतु पुनः विचार करने पर बैफिल वाल तथा विंग वाल के संगम के स्थान पर २०० फीट की लम्बाई में स्टोन मेसनरी वाल का बनाना निश्चय हुआ और इसके अलावा मार्जिनल बांध के बने हुये भाग में पिचिंग तथा टो-वाल बनाने का भी निश्चय हुआ।

३—मार्जिनल बांध के क्षतिग्रस्त भाग का पुनर्निर्माण टो-वाल, पिचिंग और गाइड वाल का काम जो मार्च, १९६० में प्रारम्भ किया गया था, वह प्रायः जुलाई में पूर्ण हो गया।

४—३१ जुलाई, १९६० के बाद जलाशय में पानी का लेविल तीव्रता से बढ़ने लगा और ३-४ अगस्त की रात्रि में पानी स्पिल वे के ऊपर से बहने लगा, जिससे १९० फीट की लम्बाई में ऊपरी भाग में क्षति पहुंची। गाइड वाल की लागत ६५,००० रुपया थी तथा इस क्षति से लगभग १०,००० से १५,००० रुपये की हानि हुई।

५—क्षति होने के कारणों की छानबीन की जा रही है।

६—बांध के दाहिने किनारे पर कोई बस्ती नहीं है। केवल कुछ विभागीय स्टोर्स तथा अस्थायी घर इत्यादि हैं जो प्रायः २ फर्लांग की दूरी पर स्थित हैं। इन विभागीय अस्थायी घरों को इस बाढ़ से किसी प्रकार की क्षति की कोई आशंका नहीं है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें इस बात की सूचना है कि ३ अगस्त के बाद यानी बाढ़ के बाद वह पक्की दीवार और पिचिंग भी बह गई है?

श्री धर्मसिंह—ऐसी बात नहीं है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस दीवार के बहने का एक कारण यह भी है कि जितनी ऊंची दीवार बनाना चाहिये थी उतनी ऊंची न बनाकर कम ऊंची दीवार बनाई गई?

श्री धर्मसिंह—जैसा मैंने निवेदन किया, इस बात की बाद में जब पानी उतर जायगा तो जांच होगी, अभी नहीं कहा जा सकता कि इसका क्या कारण था।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस बांध के टूटने से कितने की क्षति हुई है?

श्री अध्यक्ष—यह तो उन्होंने बताया कि दस हजार से पन्द्रह हजार के करीब हुई है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चूंकि मौजूदा इंजीनियर की अनुभवहीनता के कारण पिछले साल में पिचिंग और दीवार आदि तमाम चीजों को लाखों का नुकसान हुआ है इसलिये क्या वह माताटीला के इंजीनियर के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने जा रहे हैं?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—अभी बताया गया कि इन सबकी इन्क्वायरी की जायगी कि ऐसा क्यों हुआ और उस के बाद जो भी मुनासिब कार्यवाही होगी वह की जायगी। बाकी इस साल के अन्दर सिवा इसके और कोई नुकसान नहीं हुआ है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी— जब वहां प्रति वर्ष सन् ५७ से पानी भरता है तो क्या कारण है कि उसके बाद सन् ५८ से इंतजाम नहीं किया गया कि वहां पानी न भरे ?

श्री अध्यक्ष—यह तो बगैर समझे हुये ही आप कह रहे हैं, उनका कथन है कि वहां तो, बांध में पानी भर गया था।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—जो दीवार बनाई गई उसकी ऊंचाई कम थी. . . .

श्री अध्यक्ष—आप फिर से प्रश्न करें।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब उक्त घटना सन् ५८ में हुई कि माता घाट जो सन् ५८ में १५ हजार की लागत से बना और जो प्लेटफार्म वहां नींव के उद्घाटन के लिये बना वह सब पहले ही बह गया, तो उस घटना को देख कर वह दीवार ऊंची क्यों नहीं बनाई गई ?

श्री गिरधारीलाल—वह चीज महकमे की बनवाई हुई नहीं थी, उसके खर्च से नहीं बनाई गई थी बल्कि वह जनता ने बनाई थी। यह घाट इसी साल बना है जिसका जिक्र माता घाट के नाम से किया गया है। विभाग ने उसको नहीं बनाया।

श्री अध्यक्ष—उस को किसी भक्त सिंचाई मंत्री ने बनाया हो, ऐसा हो सकता है।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—मौजूदा इंजीनियर की देखरेख में जो काम ३ साल से हो रहा है और प्रति वर्ष कोई न कोई बात बिगड़ जाती है और सरकार की हानि होती है, इसको देखते हुये क्या सरकार वहां के लिये किसी योग्यतम इंजीनियर की नियुक्ति करेगी जो वहां के कार्य को सुचारु रूप से सम्पन्न करा सके ?

श्री गिरधारीलाल—अध्यक्ष महोदय, इस बांध के कार्य में करीब ३ लाख रुपया साल व्यय होता है, उससे सम्भव है कि दस पांच हजार का इस प्रकार का नुकसान हो जाय, मैं इसको डिफेंड नहीं करता लेकिन फिर भी इसकी जांच कराई जायगी कि इस तरह का नुकसान क्यों हुआ, क्या कारण है कि सन् ५७ में और बाद में बकेट में यह हुआ और अबकी भी इस प्रकार का छोटा सा नुकसान हो गया है। तो इस तरीके से देखभाल बाद में करके अगर कोई टेक्निकल या इंजीनियरिंग में कमी होगी तो उसको दूर किया जायेगा और मुनासिब कार्यवाही की जायगी।

श्री देवनारायण भारतीय—मेरा प्रश्न यह था कि इस बात को देखते हुये कि जो मौजूदा इंजीनियर हैं उनको असफलता प्राप्त हुई है तो किसी योग्य इंजीनियर को मंत्री जी वहां नियुक्त करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—यह तो आपने मान लिया कि उनको असफलता प्राप्त हुई। परन्तु वह कहते हैं कि जांच के बाद सही बात मालूम होगी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या सरकार बतायेगी कि उस बांध पर जो सार्वजनिक सभा के लिये प्लेटफार्म बनाया गया था उसका क्या उद्देश्य था ?

श्री गिरधारीलाल—माता घाट या इस प्रकार के प्लेटफार्म की विभाग को कोई वाकफियत नहीं है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—माताटीला जो पहले इलाहाबाद के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के मातहत था अब उसे झांसी के एस० ई० के मातहत कर दिया और उक्त इंजीनियर ने मौजूदा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के खिलाफ कोई रिपोर्ट सरकार के पास भेजी है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री गिरधारीलाल—एस० ई०, झांसी के सुपुर्द तो यह काम है लेकिन क्या रिपोर्ट भेजी इसकी कोई इत्तला मेरे पास नहीं है ।

गाजियाबाद में ली जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—अब माननीय स्वायत्त शासन मंत्री श्री तेजा सिंह द्वारा पूछे हुये विषय पर वक्तव्य देंगे ।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—अध्यक्ष महोदय, यह सर्व-विदित तथ्य है कि स्वाधीनता के बाद से अनेक कारणों से देहली की जन संख्या अत्यधिक तेजी से बढ़ती जा रही है । इस वृद्धि का सीधा प्रभाव देहली व उत्तर प्रदेश की सीमा के पास स्थित गाजियाबाद पर पड़ रहा है, जिसके फलस्वरूप वहां की जनता की सुख-सुविधा तथा नगर नियोजन के सिद्धांतों के प्रतिकूल अनेक कारखाने, भवन आदि तेजी से उत्तर प्रदेश की सीमा में स्थित क्षेत्र में बनने लगे हैं ।

जमीन का मूल्य बढ़ जाने से वहां के निवासियों और कृषकों ने बिना अपने भविष्य पर ध्यान दिये अपनी बहुत सी जमीन उद्योगपतियों और दलालों के हाथ बेच दी है, यहां तक कि गाजियाबाद-देहली रोड के दोनों तरफ दूर तक आगे को एक पहली पंक्ति करीब-करीब सब बिक चुकी है । इसका फल यह हुआ है कि पीछे की जमीन पर जाने का कोई रास्ता नहीं रह गया है और इस जमीन का विकास कठिन ही नहीं वरन् दुर्लभ सा प्रतीत होने लगा है ।

देहली प्रशासन ने देहली तथा उससे प्रभावित एक विस्तृत क्षेत्र के सुनियोजित विकास के हेतु एक मास्टर प्लान तैयार किया, जिसमें यह भी दिखलाया गया था कि उसके अनुसार देहली के विकास के साथ-साथ उत्तर प्रदेश की सीमा में स्थित उक्त क्षेत्र का कैसा विकास हो सकता है । देहली प्रशासन ने यह भी सुझाव दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार स्वंय गाजियाबाद आदि नगरों का मास्टर प्लान बना कर उसके सुनियोजित विकास की व्यवस्था करे ।

उत्तर प्रदेश के नगर तथा ग्राम नियोजक द्वारा तैयार किया गया गाजियाबाद का मास्टर प्लान तैयार हो चुका है और शीघ्र ही प्रकाशित किया जायेगा । मास्टर प्लान के प्रस्तावों के अनुसार तात्कालिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये मास्टर प्लान को अन्तिम रूप दिये जाने के फौरन बाद ही सम्भवतः कुछ क्षेत्रों को औद्योगिक, आवासिक तथा अन्य सार्वजनिक कार्यों जैसे सड़क, नाली, पार्क, खेल के मैदान, स्कूल, चिकित्सालयों आदि के हेतु अवापन करने की आवश्यकता होगी । अतः जिन क्षेत्रों में भूमि की आवश्यकता पड़ने की सम्भावना है उनको लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ की धारा ४ (१) के अधीन १६-७-१९६० की विज्ञप्ति द्वारा (जो २३-७-१९६० के गजट में प्रकाशित हुई है) जनता की सूचना के लिये विज्ञापित किया है । इसके दो प्रभाव होंगे, एक तो इन क्षेत्रों में अनियोजित विकास रुक जायगा, दूसरे दलालों द्वारा भूमि का क्रय और विक्रय भी बन्द हो जायगा ।

केवल वही भूमि इन क्षेत्रों में वास्तव में अवापित की जायेंगी जिनकी मास्टर प्लान के अनुसार विकास अथवा प्रयोग की आवश्यकता होगी । उत्तर प्रदेश सरकार जमीन खरीद कर कोई मुनाफा नहीं करना चाहती बल्कि जो जमीन उपलब्ध है उसका नियोजित विकास करना चाहती है जिससे कि वहां के निवासियों और कृषकों को जमीन का पूरा लाभ हो सके । सरकार ने

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

इस क्षेत्र के नियोजित विकास के लिये एक इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट कायम किया है जिसके सभापति (चेयरमैन) कमिश्नर, मेरठ डिवीजन, होंगे और जिसमें दो गैरसरकारी प्रतिनिधि भी होंगे ताकि इस क्षेत्र के विकास में वहां की जनता का पूरा सहयोग हो सके ।

श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस ३६,००० एकड़ में से तत्काल कितनी जमीन अपने कामों के लिये सरकार को चाहिये और जो बाकी जमीन बचती है क्या उसको रिलीज करने की कृपा करेगी ? क्योंकि जब से यह नोटिफिकेशन हुआ है जो कुछ मेरी सूचना है उसके मुताबिक लोगों ने अपने मकानों की मरम्मत बन्द कर दी है, खेतों में हल चलाना बन्द कर दिया है और कई एक गांवों की तो यह भी सूचना है कि उनकी लड़कियों के नाते भी टूटते जा रहे हैं क्योंकि यह खयाल है कि यह तो उजड़े जा रहे हैं और इनको बसाने की कोई योजना सरकार ने बनायी नहीं है । तो इसलिये माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायें कि उनको बसाने की कोई योजना सरकार के पास है या नहीं ? या जो जमीन बाकी बच जायगी वह उनको रिलीज करने की कृपा करेंगे ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—श्रीमन्, जैसा अभी मैंने निवेदन किया है. . .

श्री अध्यक्ष—क्या अभी नोटीफिकेशन नहीं हुआ है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—नोटीफिकेशन दफा ४ में हुआ है और वह इसलिये किया जाता है कि उसमें क्या आब्जक्शन हो सकता है किसी को वह जाना जा सके । दफा ६ के मुताबिक जब नोटीफिकेशन होगा उस पर तब फाइनल डिसीशन किया जाता है कि कौन सी जमीन ली जायगी । सरकार अभी इस स्थिति में नहीं है कि वह बता सके कि जितनी का नोटीफिकेशन किया गया है, वह सारी जमीन ली जायगी या नहीं । इस सारे डेवलपमेंट से हम समझते हैं कि ५ लाख के करीब आबादी बढ़ेगी, बहुत से उद्योग खुलेंगे, इसमें ५, ७, १०, १५ और २० साल भी लग सकते हैं । इसलिये सरकार अभी नहीं कह सकती है कि इतनी तमाम जमीन ली जायगी या नहीं । फिलहाल जो जमीन हम ले रहे हैं वह ले रहे हैं जिसकी हमें तत्काल आवश्यकता होगी । वह बहुत कम है और वह जमीन करीब-करीब बिक भी चुकी है और वह खेती के अन्दर भी नहीं है । जो गांव दूर पर हैं उन्हें कोई चिन्ता करने की आवश्यकता भी नहीं है ।

जहां तक विस्थापितों को फिर से बसाने का प्रश्न है, अगर गाजियाबाद का शहर बढ़ता है तो बहुत सारे आदमी इसमें ही समा जायेंगे । नये नये उद्योग खुलेंगे, वहां पर क्लर्क्स रखे जायेंगे, दूसरे काम करने वाले रखे जायेंगे, व्यापार खुलेंगे, दूकानें खुलेंगी, तो इसमें बहुत से आदमी आ जायेंगे । इसके बाद भी अगर आदमी बचेंगे तो उनको कम्पेन्सेशन दिया जायगा ।

जहां तक कम्पेन्सेशन क्या होना चाहिये इस बात का प्रश्न है, हमारी ख्वाहिश है कि जहां तक ज्यादा से ज्यादा दिया जा सकता है, जो बाजार के मूल्य को देखते हुये उनको मिलना चाहिये वह उनको मिले । यह भी स्मरण रखना चाहिये कि जो बाजार का मूल्य है वह भी बहुत दर्जे तक यह जो शरह बढ़ रहा है उसकी वजह से बढ़ रहा है वरना वहां पर जो बंजर जमीन थी जिससे एक पैसा भी फायदा नहीं हो सकता था उसका मूल्य बढ़ गया है और इससे तो किसानों को लाभ होगा ही । तो जो दाम कम थे वह खासतौर से बढ़ते जा रहे हैं, इसका फायदा किसानों को ही हो और मिडिलमैन को न मिले, यही सरकार चाहती है । सरकार खुद कोई प्राफिट नहीं करना चाहती लेकिन यह प्रदेश के भी फायदे में होगा कि वहां उद्योग लगें, वहां की बस्ती बढ़ लेकिन तरतीब से बढ़े । वहां बेतरतीब से विकास हो रहा है, सरकार चाहती है कि वह न हो और इस सत्र के बाद तो लोगों में किसी किस्म की हलचल नहीं होनी चाहिये । जब सेक्शन ६ में नोटिस दी जायेगी तब यह सवाल उठेगा कि कौन सी जमीन सरकार लेने जा रही है । फिलहाल उसकी जमीन लेने का सवाल हमारे सामने नहीं है ।

श्री कैलाशप्रकाश (जिला मेरठ)—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जो मास्टर प्लान बना हुआ बताया जाता है वह कब तक प्रकाशित होने वाला है और उसके प्रकाशित होने से पहले और फाइनल होने से पहले इन गांवों में विज्ञापित कराने की क्या आवश्यकता पड़ी और क्या वह यह भी कृपा करके बतायेंगे....

श्री अध्यक्ष—आप कई प्रश्न एक साथ कर रहे हैं। एक एक प्रश्न कीजिये।

श्री कैलाशप्रकाश—दोबारा कर लूंगा।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, मास्टर प्लान तो बहुत ही अनकरीब दस पंद्रह दिन में प्रख्यापित हो जायगा। बन चुका है, तैयार हो चुका है।

जहां तक सवाल है कि इसकी जरूरत क्या पड़ी, तो मैं अभी निवेदन कर चुका हूं कि दिल्ली से लेकर गाजियाबाद और उसके आगे गाजियाबाद-मेरठ सड़क पर करीब दोनों तरफ जमीन बिक चुकी है और कोई भी रास्ता पीछे की जमीन पर जाने के लिये छोड़ा नहीं गया है। कम से कम जितना व्यवस्थित रीति से छोड़ना चाहिये था नहीं किया गया है। यह शिकायत भी है कि मिडिलमैन ने जमीनें खरीद ली हैं और प्लाट बना-बना कर अधिक दामों पर बेंच रहे हैं, यानी नालियों और सड़क तक के लिये जो जमीनें छोड़नी चाहिये वह भी नहीं छोड़ रहे हैं, यह न हो इसी के लिये यह किया गया है।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो ग्रामीणों की बस्तियां बसी हुई हैं वहां, उनको मार्केट रेट्स पर मुआवजा दिया जायगा या जो खेती करते हैं जिस जमीन के ऊपर, उसके रेट्स पर मुआवजा दिया जायगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, मुआविजा तो कानून के मुताबिक दिया जाता है जिसमें पहली शर्त यह है कि जो वहां पर मार्केट रेट्स हों उसके मुताबिक या जो आमदनी मिलती है उसके मुताबिक, लेकिन यह तो अन्त में अदालत निश्चित करती है। इसके अलावा इस सदन को हमेशा अधिकार है कि इस चीज के द्वारा जो शिकायतें लोगों को हो रही हैं उसमें उनकी क्या मदद की जा सकती है उसके लिये सरकार सदा सदन के अधीन है और उसके मुताबिक तो वह चलती ही है।

श्रीमती प्रकाशवती सूद (जिला मेरठ)—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि मास्टर प्लान को बनाने के लिये १० या १५ वर्ष का जो भी समय लगे इस बीच में अपने गुजारे के लिये वे कौन से जरिये अख्तियार करेंगे, इसके ऊपर भी उन्होंने विचार किया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मैंने निवेदन किया कि इनसे जमीन तब तक ली नहीं जायगी और गुजारा जैसे आज तक करते रहे वैसे करते रहेंगे।

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)—जिस जमीन का नुकसान नोटीफिकेशन में हुआ है वह कितने एकड़ में नुकसान हुआ है और कितने किसान परिवारों पर उसका असर होता है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—लोगों ने जो दरख्वास्त दी है उसके हिसाब से ३६ हजार एकड़ के करीब जमीन है और यह मैंने ठीक पता नहीं लगाया कि कितने आदमी हैं लेकिन दरख्वास्त के हिसाब से करीब डेढ़ लाख के ऊपर होंगे जिन पर उसका प्रभाव होगा।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—जो डेवलपमेंट कमेटी बनेगी उसमें क्षेत्र के मेम्बर रहेंगे या किसी शहर के आदमी रहेंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—शहर तो उसी क्षेत्र में है। तो क्षेत्र जब मैं कहता हूं तो इसमें कोई कांट्रेडिक्शन नहीं हुआ।

श्री दीनदयालु शर्मा—जो ३६ हजार एकड़ भूमि का नोटीफिकेशन दफा ४ में हुआ है उसमें कितनी खेतिहर भूमि है और कितनी बंजर भूमि है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी ।

श्री तेजासिंह—हो सकता है कि इस योजना में २० साल लग जायं तो २० साल तक किसानों के सामने अनिश्चितता रहेगी और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकेगा । दो साल, चार साल के बाद हो सकता है कि ले लें तो डेवलपमेंट में दिलचस्पी न लेने से जो फर्क पड़ेगा इसकी तरफ सरकार ने कोई ध्यान दिया है और इसके लिये कोई इन्तजाम किया है ?

श्री अध्यक्ष—उनके वक्तव्य के बाद यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—मास्टर प्लान को बनाते समय सरकार ने इस पर भी विचार किया कि इस प्लान को कार्यान्वित करने से कितने लोग डिस्प्लेस होंगे और दूसरे जो कम्पेन्सेशन मिलता है वह यहां भारतवर्ष के सभी प्रदेशों से कम मिलता है, इसलिये जो कम्पेन्सेशन दिया जाय वह ऐसा दिया जाय जिससे लोग आबाद हो सकें ?

श्री अध्यक्ष—वह उत्तर दे चुके हैं कि कायदे के हिसाब से कम्पेन्सेशन मिलेगा और अगर सदन ज्यादा दिलवाना चाहे तो जो सदन का हुक्म होगा उसे वह मानने को तैयार हैं ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—मास्टर प्लान का जिक्र करते हुए माननीय मंत्री जी ने कहा कि ३६ हजार एकड़ जमीन और डेढ़ लाख जन-संख्या इससे प्रभावित है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उस मास्टर प्लान में इस बात का भी समावेश किया गया है कि ३६ हजार एकड़ जमीन जो खत्म हो जायगी वह वहां के उन डेढ़ लाख निवासियों को दूसरी जगह दी जायगी । उनको बसाने के लिये कोई प्लान बना लिया गया है या ऐसे ही बात छोड़ दी गयी है जैसे कि रिहन्द बांध के निवासियों को बसाने का प्रश्न थोड़े दिन पहले सदन के सामने आया था कि वहां पर पानी बढ़ रहा है और उनके बसाने का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया ? मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मास्टर प्लान के साथ उन्होंने वहां के निवासियों के पुनर्वास का भी कोई प्रबन्ध कर लिया है ।

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न यहां नहीं उठता है । वे कोई वहां बड़ा भारी बांध नहीं बांध रहे हैं कि जो लोगों को भागना पड़ेगा ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मास्टर प्लान अन्तिम रूप में जैसा तय हुआ है उसमें भी ३६ हजार एकड़ ही भूमि ली जा रही है या उससे ज्यादा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, मैंने निवेदन किया था कि अभी यह निश्चित नहीं हुआ है कि कितनी जमीन ली जायगी । अभी तो सिर्फ यह प्रख्यापित किया गया है कि इतनी जमीन इस मास्टर प्लान में आ सकती है । इसके अलावा मैं यह भी साफ कर दूं कि सरकार की कोई ऐसी स्कीम नहीं है कि वह एक दम सब लोगों को हटा दे । वास्तव में वहां आज भी लोग जमीनें बेचते जा रहे हैं और बहुत सी जमीनें बिक चुकी हैं । तो यह प्रोसेस जो वहां पर स्वयं हो रहा है उसको सरकार रेगुलेट करना चाहती है, कोई अपनी तरफ से नहीं करना चाहती है । जो प्रोसेस वहां हो रहा है वह व्यवस्थित हो, सिर्फ इतना ही सरकार का ध्येय है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—मान्यवर, या तो अपने प्रश्न का ठीक अर्थ मैं नहीं समझा सका या मंत्री महोदय समझे नहीं । मेरा प्रश्न यह नहीं था कि भूमि कितनी ली जा रही है । प्रश्न यह था कि मास्टर प्लान अन्तिम रूप से बन जाने के बाद उसमें जो जमीन ली जा रही है, चाहे वह ५० वर्ष बाद ली जाय, वह कितनी है, ३६ हजार एकड़ ही है या उससे ज्यादा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—सरकार के लिये यह बतलाना बिलकुल नामुमकिन है क्योंकि यह एक्सपैंडिंग टाउन है जो बढ़ेगा और यह मास्टर प्लान भी बदलती रहेगी। तो कोई फाइनल जवाब सरकार दे ही नहीं सकती है।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—३६ हजार एकड़ जमीन का मुआवजा देने के सम्बन्ध में उन्होंने जो उत्तर दिया, तो लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट के अन्दर प्रतिपादित नियमों के अनुसार ही मुआवजा देने का विचार है या उसके लिये विशेष नियम बनाये जायंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—फिलहाल तो उसी के मुताबिक है लेकिन हम यह महसूस जरूर करते हैं कि उसके मातहत भी यह मुमकिन हो सकता है कि उनको ज्यादा पैसा मिल सके क्योंकि मार्केट रेट उसके अन्दर है। लेकिन सरकार इस पर हमेशा विचार करने के लिये तैयार होगी यदि किसी प्रकार से किसानों को आर्थिक फायदा पहुंच सके। सरकार का सिर्फ एक खयाल रहेगा कि जो इंडस्ट्रीज आने वाली हैं उनके रास्ते में वह दाम देना बाधक न हो जाय। इंडस्ट्रीज हमारे प्रदेश में आ सकें, यह इंटरेस्ट सामने रखते हुये जो मैक्सिमम दाम दिये जा सकें उसे देने में सरकार को कोई उज्र नहीं होगा और अगर इस सम्मानित सदन के सदस्यों की ओर से कोई ऐसी सलाह आये जिससे किसानों को लाभ हो तो सरकार उस पर अवश्य विचार करेगी।

श्री कैलाशप्रकाश—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि तत्काल वह किस-किस गांव की भूमि लेने का विचार कर रहे हैं और उसमें कितने परिवार हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—तत्काल तो जो सड़क के दोनों तरफ जमीन है और जो नयी सड़क बनने वाली है, जमुना का जो नया पुल बनेगा उससे मिलेगी, उसके चारों तरफ की जमीन लेना चाहते हैं और अधिक जमीन नहीं ले रहे हैं।

श्री कैलाशप्रकाश—श्रीमन्, मेरा प्रश्न था कि वह कौन-कौन से गांव हैं जिनकी जमीन सरकार तत्काल लेना चाहती है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—गांवों के नाम तो मेरे पास हैं नहीं। जो जो गांव सड़क के किनारे पड़ते हैं उनकी जमीन ली जायगी।

कार्य मंत्रणा समिति में श्री जगवीरसिंह के स्थान पर श्री बिहारीलाल का मनोनयन

श्री अध्यक्ष—एक सचना मैं देना चाहता हूं कि श्री जगवीर सिंह जी ने जो अपना त्यागपत्र कार्यमंत्रणा समिति से दे दिया है, उसको मैंने स्वीकार कर लिया है और उनके स्थान पर श्री बिहारीलाल जी को उक्त समिति का सदस्य मनोनीत किया है, वह शायद पी० एस० पी० पार्टी के सचेतक हो गये हैं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन्, मैं एक जानकारी प्राप्त करना चाहता था। वह यह कि यहां पर जो काम होता है वह इस समिति के कहने के मुताबिक होता है और उसमें बहुत सी पार्टियों का प्रतिनिधित्व नहीं रहता और कह दिया जाता है कि बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी ने यह तय कर दिया, तो इसके लिये, श्रीमन्, कोई व्यवस्था होगी जिससे सब लोग अपनी-अपनी बात रख सकें ?

श्री अध्यक्ष—कई पार्टियों के सदस्य तो उसमें हैं और जो छोटी पार्टियां हैं उनके सदस्यों को रोटेशन से समिति में मैं ले लेता हूं, कभी एक पार्टी का और कभी दूसरी का, इस तरह से हो जाता है। माननीय नेता विरोधी दल जो हैं वह तो इस बात के ठेकेदार हैं कि वह सब

[श्री अध्यक्ष]

विरोधी दलों की भावनाओं को समझ करके अपनी राय प्रकट करें। उनकी तरफ से जो सचेतक आते हैं वह सब विरोधी पार्टियों से राय लेकर प्रगट करते हैं। इसका विचार किया जाता है।

सदन के इर्द गिर्द गुप्तचरों की उपस्थिति के सम्बन्ध में व्यवस्था की जानकारी

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—अध्यक्ष महोदय, १५ दिन से अधिक हुये, आपने कहा था कि सी० आई० डी० के संबंध में जांच कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—उसका जवाब आ चुका है। मैं कल आपको सुना दूंगा, जो जानकारी प्राप्त हुई है उसे आज लाना भूल गया।

दि इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६०*

श्री अध्यक्ष—अब माननीय वन मंत्री "दि इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६० को विचार के लिये पेश करेंगे।

****वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)**—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दि इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६०, पर जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप वन मंत्री के बजाय वित्त मंत्री कहलाना ज्यादा पसन्द करेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर—जैसा भी आप चाहें।

श्री अध्यक्ष—कार्य-सूची में वन मंत्री छप गया है, इसीलिये मैंने कहा कि वित्त मंत्री होना चाहिये।

श्री सैयद अली जहीर—अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक पेश है उसमें ४-५ चीजें तरमीम की जा रही हैं और उनकी तरफ मैं माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं। पहली चीज तो यह है कि जब जमींदारी एबालिशन हुआ और जंगल सरकार ने ले लिये और चूंकि इसकी बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी इसलिये बहुत से जमींदारों ने इस बात की कोशिश की कि कम से कम जंगल की जमीन बचा ली जाय और उससे कुछ फायदा, जायज या नाजायज जैसा भी हो, हासिल किया जाय और इस सिलसिले में बहुतों ने पट्टे लिख दिये जिनमें कहा तो यह गया कि यह पट्टे खेती के लिये हैं, लेकिन दरअसल उनकी मंशा यह थी कि जिसने पट्टा लिया था वह जंगल को बेचे और फायदा जमींदारों को पहुंचायें। चुनांचे इस सिलसिले में बहुत सारे जंगल कट गये और इससे काफी हानि अपने प्रदेश की हुई। नतीजा यह हुआ कि सरकार ने जहां तक हो सका और जो नाजायज चीजें थीं उनको नाजायज करार दिया और उन पर कब्जा किया। बहुत से ऐसे पट्टे भी हैं जो अदालत में जायज माने जा सकते हैं और सरकार भी जायज समझती है। लेकिन सरकार यह चाहती है कि यह जंगल बहैसियत एक जंगल के कायम रहें, और इनके कट जाने की वजह से जो नुकसान पहुंचेगा, वह बात न होने पाये। इसके लिए सरकार के सामने दो रास्ते थे। एक तो यह कि हम उन जंगलों को, मुआविजा देकर, हासिल कर लेते। लेकिन इसमें कई करोड़ रुपये का खर्च शामिल था क्योंकि अन्दाजा यह होता है कि कई जंगल, जिनके पट्टे दे दिये गये, अभी जंगल बाकी हैं। उनकी मिकदार ३३० स्क्वायर मील के करीब है। इसलिए इनका मुआविजा देना मुनासिब नहीं समझा गया।

---

*९ अगस्त, १९६० की कार्यवाही में छापा गया है।

**वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया

दूसरे, एक और विचार हुआ कि हमारे प्रदेश में प्राइवेट जंगलों का रिवाज बहुत कम है। दूसरे मुल्कों में, मसलन् अमेरिका वगैरह में, बहुत बड़ी तादाद में ऐसे जंगल हैं जो कि लोगों की प्राइवेट प्रापर्टी हैं और उससे वे काफी मुनाफा हासिल करते हैं, हिफाजत से रखते है। उससे देश को और उनको भी फायदा होता है। इस किस्म का रिवाज अपने यहां भी चले तो ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए यह सोचा गया कि फारेस्ट ऐक्ट में यह तरमीम कर दी जाय कि सरकार एक मुद्दत के लिए इन जंगलों के इन्तजाम को अपने हाथ में ले ले और हाथ में लेने के बाद इनकी हालत को दुरुस्त करे और किस तरह से जायज तरीके से यह जंगल इस्तेमाल किये जा सकते हैं इसका नमूना सूबे में पेश करे जिससे लोगों की हिम्मत बढ़े और वे जंगल लगायें। इसके लिए १५ वर्ष की मियाद रखी गयी है कि इस मियाद के बाद जंगल मालिकों को वापस कर दिये जायं। चुनांचे जो तरमीमें की हैं उनकी गरज यही है कि ऐसे जंगलों का इंतजाम सरकार अपने हाथ में ले ले।

दफा ६८ में एक और तरमीम की गयी है। पहले यह था कि अगर कोई जंगल में अपराध हो तो उस मामले को तय करके खत्म कर देना चाहिए। इसके लिए जंगल के अफसरों को पचास रुपये का कम्पाउन्ड करने का अधिकार था। यह ५० रुपये की लिमिट बहुत कम थी। यह रकम ५०-६० वर्ष पहले मुकर्रर की गयी थी जिस जमाने में लकड़ी की कीमत बहुत कम थी। अब कीमत बढ़ गयी है। बाज औकात एक दरख्त की कीमत ढाई-तीन सौ आंकी जाती है। अगर कोई दो दरख्त भी काट ले और उसके ऊपर अपराध कायम किया जाय तो पचास रुपये से ज्यादा कीमत होगी। जाहिर है कि इसमें सुलह नहीं हो सकती है और अदालत में जाना पड़ता है। इस वजह से देर होती है। मामला आपस में तय नहीं हो सकता है। इन सब बातों को पेशेनजर रखते हुए यह खयाल है कि उसकी मिकदार बढ़ा करके ५० से ५०० रुपये कर दी जाय।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, मैं यह पूछना चाहता था....

श्री अध्यक्ष—वह बैठ नहीं रहे हैं। जब वह बैठें तब आप पूछ सकते हैं।

श्री सैयद अली जहीर—तीसरी तरमीम इसमें इस गरज से है कि इसकी दफा ५२ में ये अल्फाज थे कि अगर कोई अपराध हो और उस सिलसिले में कोई गाड़ी वगैरह के जरिये से हो जैसे कि बैलगाड़ियां पहले इस्तेमाल होती थीं, तो उसमें लफ्ज कार्ट का इस्तेमाल किया गया है कि जो अपराध करने वाली गाड़ी हो, कार्ट हो, उसको भी पकड़ लिया जाय। जाहिर है कि आजकल के जमाने में कार्ट से, बैलगाड़ी से काम नहीं होता है, अक्सर लोग ट्रक वगैरह ले जाकर उसके जरिये से काम करते हैं। इसलिए उसकी जगह पर वेहिकिल्स शब्द रखा जा रहा है।

एक और तरमीम जो काफी अहम है वह दफा २८ में की गई है। दफा २८ जैसे पहले थी उसमें सरकार को यह अधिकार था कि पंचायतें वह रिजर्व फारेस्ट्स के इन्तजाम के लिए बना सकती थी। लेकिन पता यह चला कि बहुत सी ऐसी जगहें हैं मसलन टेहरी-गढ़वाल में जो कि सोयम फारेस्ट कहलाते हैं। ये फारेस्ट सरकार के हैं लेकिन बहुत अर्से से इनका इन्तजाम गांव वाले और वहां के रहने वाले किया करते थे। तो सरकार ने यह सोचा कि इनका भी इन्तजाम गांव के ही हवाले किया जाय और सरकार स्वयं इन्तजाम न करके पंचायतें बनाकर उनका इन्तजाम उन्हीं से कराये। आजकल जो यह सोयम के जंगल हैं टेहरी में, उनकी आमदनी का इस्तेमाल सरकार नहीं करती बल्कि डिप्टी कमिश्नर, जिलाधीश जो वहां का है उसके यहां यह जमा रहती है। तो हमारा यह इरादा है कि वहां भी हम ऐसी पंचायतें बनायें। लेकिन दफा २८ में हम सिर्फ रिजर्व फारेस्ट के लिए ही बना सकते थे। इसलिए उसको बदल करके ऐसे जंगलों में भी जिनको हम प्रोटेक्टेड फारेस्ट्स कहें या और ऐसे जंगल जो कि सरकार की मिल्कियत हों, वहां भी हम इस अधिकार को ले रहे हैं। यह खास-खास इसमें तरमीमें हैं और मेरे खयाल से हर एक इनमें से इतनी जरूरी और मुफीद है कि माननीय सदस्य उसकी जरूरत को और उसके फायदे को समझेंगे और इस कानून को जल्दी से जल्दी पास कर देंगे।

*श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्न संशोधन प्रस्तुत करता हूं—

"उपर्युक्त विधेयक एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन ७ दिन के भीतर प्रस्तुत करे और इसको परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो।"

मान्यवर, जिस समय यह संशोधन विधेयक इस आदरणीय सदन में रखा गया, मुझे आश्चर्य हुआ इसके संशोधनों को देखकर और वह इसलिए कि, मान्यवर, आपको याद होगा कि आज से साल डेढ़ साल पहले एक फारेस्ट फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी और वह कमेटी इसलिए बनाई गई थी कि जो हमारे परम्परागत हक हकूक थे उनको गवर्नमेंट छीन रही थी और अपने हाथ में ले रही थी। उस बात को देखते हुए माननीय वित्त मन्त्री जी ने और माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह आवश्यक समझा कि फारेस्ट फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी बनाई जाय। मैं यह नहीं समझ पाया हूं कि फारेस्ट फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर में ही सरकार को प्रस्तुत कर दी है लेकिन आज तक वह इस आदरणीय सदन के सामने नहीं आई है। तो मुझे शक है कि जो समिति बिठाई गई थी, जैसा लोगों ने कहा, यह तो केवल आंसू पोंछने के लिए बनाई जा रही है, वह बिलकुल प्रत्यक्ष हो रहा है, प्रत्यक्षम् किम् प्रमाणम्।

पहली बात तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन संशोधनों का माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया उनकी क्या महत्ता है। और यह इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब तक फारेस्ट फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार ने विचार नहीं किया है तब तक कोई भी संशोधन लाने की आवश्यकता, मेरी समझ से नहीं थी। दूसरी चीज यह कि इस समय हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम काल से गुजर रहे हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में वनों की क्या नीति होगी, उसका हमें पता नहीं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम संशोधन रखते तो उचित होता।

अब माननीय मन्त्री जी ने जिन संशोधनों पर प्रकाश डाला उनकी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उनकी क्या महत्ता है। इसमें एक तो यह कहा गया है कि वनों के विकास और वन रोपण—तो विधेयक आता तो किसी भी नाम से है लेकिन लागू वह सब पर हो जाता है। जैसे एक लैंड एक्विजिशन बिल जब आया था तो यह कहा गया कि कुछ जरायम पेशा लोगों के लिए यह लागू किया जा रहा है लेकिन जब बिल पास हो गया तो सारे नागरिकों पर लागू हो गया। आज वही प्रश्न है। विकास के नाम पर वह जंगल भी सरकार लेने जा रही है, जिन पर किसानों का हक है जिन पर कदीमी हक जनता का है।

मैं नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो संशोधन विधेयक माननीय मंत्री जी ने रखा है उसके जरिये से इस बात का इरादा उनका जाहिर होता है कि जो हमारे वहां पर हक हकूक हैं उनको छीना जा सके। कई बार यहां सदन में प्रश्न उठाये जाते हैं कि वहां जनता के हकूक को छीना जा रहा है। सरकार उसके बारे में कई जी० ओ० भी इश्यू कर चुकी है लेकिन उन जी० ओज० के खिलाफ वहां की जनता ने आवाज उठाई है। इसी वजह से इस सरकार ने अब यह सोचा है कि एक ऐक्ट वहां के लिये बनाया जाय जिसके खिलाफ जनता कोई अपनी आवाज न उठा सके। यही मन्शा इससे सरकार का जाहिर होता है और इसी वजह से सरकार अपने हाथ में उन वनों को लेना चाहती है।

मान्यवर, इस विधेयक में धारा ६८ (३) के अनुसार अपराध करने वाले पर ५० रुपये जुर्माना होता है। अब उस ५० रुपये जुर्माने की रकम को ५०० रुपये दंड की शक्ल में यह सरकार बदलना चाहती है। श्रीमन्, माननीय मंत्री जी हमारी बात सुनें तो मैं कहूं....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी को माननीय सदस्य के भाषण को सुनना चाहिये क्योंकि वह उनके विचार के लिये ही कुछ बातें कह रहे हैं।

श्री प्रतापसिंह—श्रीमन्, जब हमने उनके मधुर भाषण को सुना है तो उनको हमारे कटु भाषण को सुनकर अपनी उदारता का परिचय देना चाहिये। मंत्री जी इस जुर्माने की रकम ५० को ५०० रुपये इसलिये कर रहे हैं कि फारेस्ट प्रोड्यूस पर, वह कहते हैं कि दाम बढ़ गये हैं। मैं आपके जरिये मंत्री जी की सेवा में यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह दंड किसको देना पड़ेगा और किससे वसूल किया जायगा, इस पर भी विचार करें। वह दंड किसी पूंजीपति से नहीं लिया जायगा। वह जुर्माना देहात में काम करने वाले गरीब किसान और मजदूर तथा घास छीलने वाली महिलाओं से लिया जायगा जो यह भी नहीं जानते हैं कि फारेस्ट नियम क्या हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस धारा को लाने के पहले फारेस्ट विभाग ने कौन सा ऐसा प्रबंध किया है जिसके द्वारा देहात के लोगों से बतलाया जाता कि इस पेड़ पर इतना दंड होता है। इस बात को हमारे यहां की जनता नहीं जानती है। अंग्रेजों के जमाने में जो उनको हक थे वह बदस्तूर उनको मिलते रहे हैं। आज भी वह उन हकूक पर चल रही है। सरकार की तरफ से जो०ओ० इश्यू किये जाते हैं और उनके खिलाफ जनता आवाज उठाती है तो यह सरकार विधेयक ले आती है। इससे साफ जाहिर है कि सरकार जनता का खून चूसना चाहती है। सरकार कहती है कि फारेस्ट प्रोड्यूस के दाम बढ़ गये हैं। मैं कहता हूं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद भी हमारी जनता की आमदनी नहीं बढ़ी है। अगर आमदनी नहीं बढ़ी है तो फिर वह यह जुर्माना कहां से दे सकती है? इसलिये मेरा निवेदन है कि यह संशोधन विधेयक जनहित और जनतांत्रिक प्रणाली के बिलकुल खिलाफ है और किसी भी प्रजातांत्रिक पद्धति और सामाजिक बराबरी का दावा करने वाली सरकार को यह शोभा नहीं देता है। मैं तो चाहता था कि ऐसा संशोधन आता जिसमें बजाय ५० से ५०० करने के ५० से ५ किया जाता, मगर यह सरकार अपने मन के अनुकूल करती जा रही है।

माननीय मंत्री जी ने टेहरी-गढ़वाल के जंगलों के बारे में जिक्र किया कि वहां पर सोयम फारेस्ट हैं, उनको वह प्रोटेक्टेड बनाना चाहते हैं। मैं भी फारेस्ट फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी का सदस्य होने के नाते जानता हूं कि जनता की मांग है कि वे जंगल उनको दिये जायं। वे सोयम फारेस्ट वहां पर बरबाद हो रहे हैं। वे क्यों बरबाद हुये, माननीय मंत्री जी को इसका जवाब देना चाहिये, वे इसके जिम्मेदार हैं। सरकार अपने जंगल स्वयं बरबाद कर रही है और अगर जनता सरकार के किसी जंगल को बरबाद करती है तो उसके ऊपर जुर्माना किया जाता है। इसलिये जनता की मांग है कि वे जंगल उसके हाथ में जाने चाहिये। इस धारा के अनुसार पंचायती जंगल तब तक नहीं बन सकते जब तक कि उनको प्रोटेक्टेड जंगल डिक्लेयर न किया जाय।

सरकार अपने अधिकार से उन जंगलों को लेना चाहती है लेकिन आज भी जो जंगल सरकार के अधिकार में है वहां पर फारेस्ट पंचायत बनी हुई हैं तो उन जंगलों को प्रोटेक्टेड जंगल बनाने के लिये यह संशोधन हमारे सामने प्रस्तुत किया है। आज सोयम जंगलों को यह सरकार प्रोटेक्टेड जंगल बनाना चाहती है। यह सरकार की पालिसी समाजवाद के सिद्धांत के बिलकुल विपरीत है। इस विभाग के मुख्य अधिकारी की तानाशाही इस विभाग में चल रही है। साढ़े बाईस लाख जनता के उनके खिलाफ आवाज बुलन्द की लेकिन उसका इनाम उनको एक्सटेंशन के रूप में मिला। एक्सटेंशन क्या उनको इसलिये मिला कि आज जनता उनसे नाराज है? मैं इस तरह की किसी बात में नहीं जाना चाहता लेकिन विरोधी दल के सदस्य के नाते यह कहना चाहता हूं कि जिसके खिलाफ आज साढ़े २२ लाख जनता ने आवाज उठाई है उसी को एक्सटेंशन दिया जा रहा है। वहां से फरमान निकलता है कि दिसम्बर १५ तक की जरूरतें १५ जून तक पूरी हो जानी चाहिये। इस तरह के फरमानों के निकलने में कहां तक और कितना न्याय है? और वहां की जनता इतनी गरीब है कि कुछ कर नहीं सकती।

[श्री प्रताप सिंह]

हम तो चाहते हैं कि उनको आई०जी० बना दिया जाय, उनको प्रोमोशन दिया जाय, लेकिन उनको उसी पद पर रखा जाता है। यदि किसी अधिकारी की २० आदमी भी शिकायत कर दें तो उसे वहां से हटा दिया जाता है लेकिन आज साढ़े बाईस लाख जनता की आवाज पर भी उनका कुछ नहीं हुआ। हमारे यहां जितने भी डेवलपमेन्ट के काम होते हैं, स्कूल, आर्ट्स स्कूल आदि खोलने में एक में भी हम को सरकार से कोई सहायता नहीं मिली जब तक कि नियम के अनुसार हम ने पूरा रुपया नहीं जमा किया और वहां के सारे काम इसी प्राइवेट जंगल की आमदनी से हुये हैं। सरकार चाहती है कि अब वह इनको प्रोडेक्टिव फारेस्ट बना दे और तब इनसे जनता लकड़ी और घास भी न ले सकेगी। मुझे मंत्री जी की नीयत पर बिलकुल शक नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने इस तरह की सिफारिश की है उनसे मंत्री जी जरा पूछें तो कि यह सिफारिश उन्होंने किस नियम के आधार पर की है। कहा जाता है कि फारेस्ट रूल्स को समकक्ष लाने के लिये यह किया जा रहा है। मैंने पहले पूछा था कि कुमायूं के फारेस्ट पंचायत के रूल्स किस ऐक्ट के मातहत हैं; ऐसा कौन सा ऐक्ट है जिसके मातहत यह बने हैं और उसे आदरणीय सदन में लाने में मंत्री जी को क्या दिक्कत है और अगर ये चैलेंज हो जायं तो सब गैरकानूनी हो जायेंगे। दूसरे प्रोटेक्टिव फारेस्ट को लेने की बात फारेस्ट कमेटी की सिफारिश के खिलाफ है और फारेस्ट ग्रीवेंस कमेटी में कहा गया है कि इस प्रकार का काम नहीं होगा। आज उस के खिलाफ आप चल रहे हैं। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि विभागाध्यक्ष से आपको पूछना चाहिये और केवल उसके कहने से ही सरकार को अपनी पालिसी नहीं बना लेनी चाहिये।

दूसरी बात, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पेज ९ का कुछ थोड़ा भाग पढ़ना चाहता हूं। वह इस प्रकार है :

"That no facilities should be given other than those given by G. O. no. 690/XIV—312 (5), dated the 1st November, 1932, as these blocks are very important commercially and supply not only the major portion of the 25,000 cubic feet of *chir* timber and 11,000 maunds of charcoal required annually by Ranikhet but some 22,000 maunds of fuel consumed by the Nag Pumping Station and the Brewery each year".

जब यह प्रोटेक्टिव फारेस्ट हो जायेंगे तो उस समय जो सहूलियत हम को मिल रही हैं वे नहीं मिल सकेंगी। यह संशोधन विधेयक जो पेश किया जा रहा है वह जनहित में नहीं है। इसकी धारा ३८(बी) में जंगल की परिभाषा बढ़ा दी गयी है और इसके हो जाने से जंगलों की भूमि को हम चरागाह के रूप में इस्तेमाल नहीं कर पायेंगे। इसके अलावा जिनको गोठ कहते हैं, और जिनको हक मिले हुये हैं, उनको भी कोई सहूलियत नहीं रह जायगी। आज जो जंगल की परिभाषा धारा ३८—बी के मुताबिक इसमें है उसको श्रीमन् देखें। उस परिभाषा को साफ करना चाहिये। जो परिभाषा रखी गयी है उसमें अब पास्चर भी बढ़ा दिया गया है, और जमीनों को भी शामिल कर लिया गया है।

श्रीमन्, हमने यह मांग की थी कि जहां पर इन लोगों को बसाने से चरागाह को कोई नुकसान नहीं होता, ऐसी बहुत सारी जमीन पड़ी हुई है, और वहां पर इन लोगों को बसा दिया जाय। जिस दिन हमने यह मांग की उसके तीसरे ही दिन वहां पर प्लान्टेशन शुरू कर दिया गया। श्रीमन्, आप देखें, जहां पर प्लान्टेशन के लिये जमीन पड़ी हुई है वहां पर तो प्लान्टेशन नहीं होता है मगर जहां पर यह अंदेशा हो जाता है कि वहां पर लोग बस जायेंगे वहां पर यह सरकार प्लान्टेशन शुरू कर देती है। मैं आपको उदाहरण के लिये बताना चाहता हूं कि सन् १९५२ में चुनाव के मौके पर हल्द्वानी के निकट कुछ लोगों को बसा दिया गया था इस खयाल से कि कांग्रेस को कुछ वोट मिल जायेंगे। मगर जब उनको पता चला कि उनको वोट नहीं मिले, तो इस सरकार ने उनको वहां से हटाना शुरू कर दिया। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उनको फारेस्ट ऐक्ट की धारा के मुताबिक नोटिस क्यों नहीं दिया गया। मैंने इसके लिये प्रश्न भी किया था, उसका जवाब यह दिया गया कि कभी-कभी हम ला आफ जंगल भी शुरू कर देते हैं! माननीय मंत्री जी तो कभी-कभी कह भी दिया करते हैं कि हम तो जंगलों के मंत्री हैं!!

(इस समय १२ बजकर ५९ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री गेंदासिंह, पीठासीन हुये ।)

अजीब इस सरकार का कानून है । यह जब चाहते हैं किसी की झोपड़ी जला देते हैं, किती की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, जिसे जब जहां चाहते हैं बसा देते हैं, जब चाहते हैं हटा देते हैं । पहले उनको वहां बसा देते हैं, फिर उनको वहां से हटाते हैं । तो मेरी मांग है कि वहां पर जिन लोगों को बसाया गया था, और जो लोग वहां पर बसे हुये हैं, वह जमीन उनको दे दी जाय ।

आगे, श्रीमन्, इसमें यह भी दिया हुआ है कि सरकार जहां भी चाहे उसे वह जंगल का रूप दे सकती है, वह उसे जंगल घोषित कर सकती है । तो यह मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार इतनी बड़ी पावर्स क्यों अपने हाथ में ले रही है । यही नहीं जंगल की परिभाषा को बढ़ा कर वहां के लोगों का हक छीना जा रहा है । इस सम्बन्ध में फारेस्ट वालों की जो राय है उसको मैं पढ़ देना चाहता हूं:—

"Government see no reason to exempt Gothias and Kabaris from the payment of grazing fee. As regards the opening of new *gots*, they are of opinion that villages concerned may submit applications separately for the consideration of the Forest Department."

तो उन्होंने तो खुली छूट दे रखी है, लेकिन यह सरकार उनके हकों को छीनना चाहती है ।

दूसरी बात यह है कि यह जो विधेयक आया है इसमें प्लान्टेशन के बारे में भी कहा गया है । प्लान्टेशन की पालिसी सरकार की इतनी खराब है कि वह उपजाऊ जमीन पर प्लान्टेशन करना चाहती है और जो जमीन उसके लिये उपयुक्त होती है उस पर प्लान्टेशन नहीं करती । इस हाउस में बार-बार यह मांग रखी गयी है कि भूमिहीनों को बसाने के लिये टनकपुर से हरिद्वार तक की जमीन खाली कर दी जाय । इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव भी वहां से एक मत पास होकर आया । उसके बाद भी यह सरकार कहती है कि वहां पर एक इंच भी जमीन खाली नहीं है । जब पूछा जाता है कि उसने छानबीन की, तो यह भी जवाब देती है, कि हमने छानबीन नहीं की, उनकी जानकारी है ।

जहां पर कोई कायदा कानून नहीं है, जहां पर जनहित का कोई प्रश्न नहीं है, तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह फारेस्ट डिपार्टमेन्ट जनता के लिये है या जनता फारेस्ट डिपार्टमेन्ट के लिये है । उदाहरण के लिये बताना चाहता हूं कि तराई के एरिया में कितने लोग पहाड़ से आते हैं, अंग्रेज के जमाने में जलाने की लकड़ी मुफ्त लोग लेते थे । गवर्नमेन्ट ने पास सिस्टम शुरू किया जो, कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की मांग करने पर कैंसिल किया गया । यह क्या हो रहा है । जहां जी चाहा टैक्स लगा दिया, पाबन्दी लगा दी कि १२ फीट से बड़ी बल्ली नहीं हो सकती है । आपके विभाग के अध्यक्ष कहते हैं कि क्या जरूरत है कि पर्वत के लोगों को फ्री लकड़ी दी जाय ? जैसे वह आटा, चावल खरीदते हैं, वैसे ही लकड़ी भी खरीदें । अंग्रेज के जमाने में फ्री मिलती थी, क्योंकि वह समझते थे कि वह जंगल के बीच में रहते हैं, शेर से मुकाबिला करना पड़ता है, इन तमाम चीजों को देखते हुये यह कह दिया गया था, लेकिन मंत्री जी के जो विभागीय अध्यक्ष हैं वह कहते हैं कि अगर मंसूरी में ८ रुपया मन लकड़ी बिकती है तो नैनीताल में ८ रुपया मन बिकनी चाहिये । साफ तरीके से क्यों नहीं कहते कि सारे हक-हकूकों को एक कर देना चाहिये ? यही नहीं, चीड़ के पेड़ का विकास कैसे किया जाय, जो इस पर लोग रिसर्च कर रहे थे उनका ट्रांसफर तो दर्जनों के दर्जन साल के जंगल में इंतजाम करने के लिये कर दिया गया, ऐसी चीजें हो रही हैं ।

फारेस्ट प्रोड्यूस के बारे में भी कहा गया है । आपको ताज्जुब होगा कि बरेली फैक्टरी को लीसा जो दिया जा रहा है वह १५ रुपये मन के भाव से दिया जा रहा है जबकि बाजार—भाव ३० रुपया मन है । हमें लीसा देने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन क्या वजह है कि उनको इतने

[श्री प्रतापसिंह]

सस्ते दामों पर लीसा दिया जा रहा है ? ४ लाख मन एक साल में उनको दिया जाता है। अगर वह कच्चा माल भी किसी को बेंच दें तो ६० लाख रुपये का नुकसान आज हमको होता है। आज जब चपरासी और क्लर्कों की तनख्वाह बढ़ाने का सवाल उठता है तो कहा जाता है कि पैसा नहीं है, लेकिन बरेली फैक्टरी को इस तरह से लीसा देकर ६० लाख रुपये साल का लास हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता--क्या यह बरेली फैक्टरी सरकार की है ?

श्री प्रतापसिंह--जी हां, सरकार के उसमें हिस्से हैं। जबकि ५० रुपये से ५०० रुपया जुर्माना कर दिया गया, फारेस्ट प्रोड्यूस के दाम बढ़ गये लेकिन लीसा का दाम १५ रुपये से ३० रुपया नहीं हुआ इसका क्या कारण है, मंत्री जी बतायें।

श्री अधिष्ठाता--आपको सिलेक्ट कमेटी में भी भेजने के लिये कुछ कहना है शायद ?

श्री प्रतापसिंह--जी हां, परिधि बढ़ाने के लिये भी मैंने कहा था, उसी के सिलसिले में कह रहा हूं, इन चीजों का भी समावेश करना है।

स्टार पेपर मिल की बात कई बार आयी। सारा बीड़ उनको दे दिया गया लेकिन आजतक कोई कागज का कारखाना नहीं खुला। हमारी मांग है कि इसकी जांच होनी चाहिये। कोई एग्रीमेन्ट उनके साथ नहीं है, लेकिन लकड़ी फिर भी जा रही है। सुना है कि २० साल का समझौता फिर उनके साथ होने वाला है। हमारी मांग है कि काटेज इंडस्ट्री के रूप में और लोगों को भी मौका मिलना चाहिये कि वह छोटे-छोटे गृहोद्योग खोल सकें और इस प्रकार से २० साल और ४० साल के जो गठबंधन सरकार करती है उस नीति को बदलना पड़ेगा। मैं जांच चाहता हूं कि एक भी कागज का पन्ना बना आज तक, कोई मशीन कागज की लगी। हमारी मांग है कि टनकपुर या उसके आस-पास के एरिया में कागज का कारखाना बने, रुपये वालों को वहां भी बुलाया जा सकता है, जैसे कि किछा में एक शुगर फैक्टरी लगा रहे हैं। स्टार पेपर मिल वालों से भी कहा जा सकता है कि तुम इतनी दूर रहकर रा मैटिरियल ले जा रहे हो जिससे इतना नुकसान होता है, यहीं आकर काम करो। लेकिन सरकार करना नहीं चाहती है।

दूसरी बात यह है कि आज रूलों का बड़ा उल्लंघन हो रहा है। यह एक ऐसी चीज है जो बहुतों को बुरी लगेगी। उधर बैठने वाले एक जिम्मेदार आदमी जो कि मिनिस्टर रैंक के करीब-करीब हैं, उन्होंने देहरादून के जंगल में बिना परमिट के शिकार खेला। वह पकड़े गये। बाद में मामला बहुत आगे बढ़ गया। डिप्टी रेंजर या जिसने भी उन्हें पकड़ा है, मुझे डर है कि कहीं उसकी नौकरी न चली जाय। उसने जांच की। उन्होंने कहा कि दो चीतल और दो मुर्गियां मारी, लेकिन ४ चीतल और चार मुर्गियां निकलीं। उन्होंने कहा कि मैं चीफ मिनिस्टर को टेलीफोन करूंगा, इस प्रकार से काम नहीं करना चाहता। उसने कहा कि आप तो मिनिस्टर हो जायेंगे लेकिन मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं ऐसी बेईमान गवर्नमेन्ट में काम नहीं करना चाहता। तो ला आफ जंगल आपके लिये हो तो ठीक है लेकिन हमारे लिये गलत है। मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी जिस प्रकार के आदर्श रखेंगे उसी प्रकार से जंगल के फारेस्टर, रेंजर और पतरौल काम करेंगे। अगर सरकार के मुखिया इस प्रकार से काम करेंगे तो मैं समझता हूं यह फारेस्ट डिपार्टमेन्ट नहीं चल सकता।

सरकार की ओर से जितने संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं उनमें मुझे केवल एक ही संशोधन समझ में आया कि "कार्ट" के स्थान पर "वेहिकिल्स" रख दिया जाय लेकिन जितने और संशोधन हैं वह उपयुक्त नहीं हैं। इसलिये मेरा पहला सुझाव यह है कि सरकार इस संशोधन विधेयक को वापिस ले ले और यदि वापिस नहीं ले सकती है तो इस संशोधन विधेयक को इस आदरणीय सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ताकि इस बात पर विचार किया जा सके कि कौन संशोधन जनहित में हैं और कौन नहीं। इन शब्दों के साथ, मैं उम्मीद करता हूं कि सदन मेरे सुझाव पर न्यायोचित विचार करके अपनी स्वीकृति प्रदान करेगा।

श्री अधिष्ठाता--मालूम होता है कि माननीय गोविंद सिंह जी अपना संशोधन पेश करने में कुछ ढीले हैं !

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---मैंने यह सोचा था कि अभी सात नाम और हैं, शायद उनके बाद मेरा नाम आये।

(कुंवर श्रीपालसिंह के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--प्रताप सिंह जी ने अभी जो संशोधन पेश किया उसमें आपका भी नाम है। आपको भी बोलने का मौका मिलेगा लेकिन संशोधन तो उन्होंने पेश ही कर दिया। अब श्री गोविंद सिंह जी अपना संशोधन पेश करेंगे, फिर आपको बोलने का मौका होगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---श्रीमन् आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उपर्युक्त विधेयक एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जो एक पखवारे के भीतर इस पर अपनी रिपोर्ट दे तथा जिसे इसकी परिधि बढ़ाने का अधिकार हो।

महोदय, इसमें मैंने दो चीजें रखी हैं। एक तो यह कि मैंने संयुक्त प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव किया है जोकि १५ दिन में अपनी रिपोर्ट दे, करीबन १५ दिन के भीतर काउंसिल बैठेगी, ऐसा मुझे पता चला है। दूसरे यह कि इसका दायरा बढ़ाया जाय क्योंकि फारेस्ट ऐक्ट में कई चीजें ऐसी हैं जिनमें तरमीम होने की बहुत ज़रूरत है। तभी उन बातों का भी इसमें समावेश हो सकेगा। जैसा कि अभी प्रतापसिंह जी ने फर्माया था, फारेस्ट के सम्बन्ध में एक जांच कमेटी बैठी थी। उधर के बैठने वाले एक उपमंत्री उसके सभापति थे। उस कमेटी ने पुराने चार, नये सात जिलों की खाक छानी और शायद कुछ जंगलों में भी घूमने की तकलीफ गवारा की हो। मैं समझता हूं कि उसने बहुत बहुमूल्य सुझाव रक्खे हैं। मुझे पता चला है कि वह रिपोर्ट कब की तैयार हो गई थी और शायद छप भी चुकी है। उसकी सिफारिशें भी इसमें समाविष्ट हो जायं क्योंकि हम यहां पर इस असेम्बली में जनता की गाढ़ी कमाई पर बैठते हैं, हमारा काफी खर्चा रोजाना होता है। इसलिये यह अच्छा होगा कि दोबारा कोई संशोधन न लाना पड़े जिसमें पब्लिक का रुपया बरबाद हो बल्कि एक बार ही सब हो जाय। तो परिधि बढ़ाने में ये सारी बातें आ जायंगी।

श्रीमन्, इस आदरणीय सदन में जब जब फारेस्ट डिपार्टमेन्ट की बातें आती हैं तो उस समय उस बिल को पाइलट करने वाले के अलावा इधर या उधर बैठने वाले सभी सदस्य एकमत उसके विरोध में होते हैं। इसका क्या कारण है ? आदरणीय नरेन्द्र सिंह विष्ट जब डिप्टी मिनिस्टर नहीं थे वे भी वही बातें कहते थे जो कि हम लोग कहते हैं या कांग्रेसी सदस्य पीछे बैठने वाले कहते हैं। आखिर यह जम्हूरियत का जमाना है। इसमें डेमोक्रेसी का गुणगान तो कांग्रेस द्वारा किया जाता है तो फिर जब विरोधी पक्ष के और शासकीय पक्ष के लोग एक ही बात कहते हैं तो फिर सरकार उसको क्यों नहीं सुनती है ? ऐसा मालूम होता है कि एक्जीक्यूटिव अब पार्लियामेंट के ऊपर हावी होती जा रही है।

श्रीमन्, बड़ा विरोध हुआ एक आई० एफ० एस० के अफसर को extension देने के बारे में। उनके ५५ साल हो गये हैं लेकिन उनको रिटायर नहीं किया जा रहा है। अन्य मामलों में जो काबिल लोग भी होते हैं उन तक को एक साल का एक्सटेन्शन सरकार नहीं देती है लेकिन इनको सरकार ३ साल का एक्सटेंशन एकमुश्त दे रही है। यह रिश्तेदारी को निभाने का सबसे बड़ा सबूत है। कौन नहीं जानता कि उनके रिश्तेदार बड़े-बड़े पदों पर हैं ? इस प्रकार से आज जनतंत्र को ठोकर मारी जाती है। मुझे इससे जनतंत्र के ऊपर जो आने वाला खतरा है वह साफ नजर आ रहा है। यही निरंकुशता सर्वत्र है।

आज सरकार जिस प्रकार से नाजायज अधिकार अपने हाथों में ले रही है उसका एक उदाहरण है कुमायूं के निवासियों के वनाधिकारों का अपहरण। वहां जो पहले था वह मैं फारेस्ट मैन्युअल से पढ़ देना चाहता हूं :—

"All *bona fide* residents of Kumaun are permitted to graze cattle without limit or restriction, fell and lop trees, cut grass and exercise all rights of user in Class I reserves save as provided below :"

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

इसके अनुसार, श्रीमन्, उनको गायों को चुगाना, पेड़ गिराना, उनको लौप करना, आदि के पूरे अधिकार थे। सिर्फ देवदार और साइप्रस वगैरा को नहीं काट सकते थे। lopping पेड़ के सिरे के ६ फीट नीचे से ऊपर को छोड़ दी जाती थी। ये अधिकार तो क्लास वन फारेस्ट में हुय। इसी प्रकार से क्लास टू फारेस्ट में भी उनको अधिकार थे जो कि इसी मैन्युअल के पेज २७८,२७९,२८० पर दिये हुये हैं। यह अधिकार उनको इसलिये दिये जाते थे कि वहां पर ठंड बहुत पड़ती है और गरीब लोग लकड़ी को जला कर अपना जाड़ा काटते हैं। इसलिये उन लोगों को लकड़ी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। उनके पास पूरे बिस्तर नहीं हैं। रजाई गद्दे उनको मुहैया नहीं हैं। लेकिन वहां पर आज अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा दिये गये हैं जिनके बारे में रात-दिन हम लोग यहां कहते रहते हैं लेकिन आज तक नक्कारखाने में तूती की आवाज किसने सुनी है ?

श्रीमन्, आपने देखा होगा कि स्टार पेपर मिल को एक आना घन फुट के हिसाब से लाखों घनफीट लकड़ी दे दी गई जो कि ७ पैसा मन पड़ती है। उसके बारे में कहा जाता है कि वह बेकार लकड़ी थी। लेकिन जहां लोगों को गिरी पड़ी लकड़ी को उठाने का हक है वहां के लिये सरकार ने यह स्वीकार किया है कि रुपया सवा रुपया मन जलाने के लिये लकड़ी उनको दी जाती है। लेकिन स्टार पेपर मिल को ७ पैसा मन लकड़ी दी गयी। श्रीमन्, मैंने इसकी भी जांच की जैसा कि कहा जाता है कि गिरी पड़ी लकड़ी थी, किसी काम की नहीं थी। मैंने जांच की कि सरकार की बात कहां तक सत्य है। ऐसा नजर आता है कि बात ऐसी नहीं है, अल्मोड़े जिले में एरादेव में जंगल है और एक जगह और भी, इस तरह से कई जगह नीलाम हुये, ८ आने से १२ आने प्रति घनफुट तक खराब लकड़ी के मिल गये और बड़े पैमाने पर वह मिले लेकिन स्टार पेपर मिल को दो आने से कम में सरकार ने अच्छी लकड़ी भी क्यों दी, यह नहीं मालूम। तथाकथित पेंचदार चीड़ की लकड़ी पिछले दस साल में अल्मोड़ा के डाल पर १० लाख घनफुट बिकी और १ रुपये के रेट से अमीर व गरीब दोनों ने उसको खरीदा, गरीबों ने उसको इसलिये ज्यादा लिया क्योंकि उनके पास जाड़े से बचने के लिये कपड़े कम थे और उनको रात भर आग सेंकने को चाहिये थी। यहां पर कहा जाता है कि वह लकड़ी किसी काम की नहीं है इसलिये हम उसे सस्ती बेंचते हैं। यह भी कहा गया कि बहुत सी जगह तो ठेकेदारों ने काम किया और अच्छी लकड़ी पहले ही निकाल ली और जो बाकी खराब रह गई वह स्टार पेपर मिल ने ली। मैं बताता हूं जो ३८ नं० कम्पार्टमेंट के अवशेष का नीलाम ५,००० रुपये में हुआ और वह हिसाब १२ आना घनफुट से नीचे नहीं आता है और इस पर भी कहा जाता है कि स्टार पेपर मिल को देने से काफी लाभ हो रहा है। गोरखपुर, देवरिया के स्टेशनों पर आपने देखा होगा, सागौन और शीशम तक बरसात में खराब हो जाती है, हमारा अनुभव है कि ३ साल में तो लकड़ी शेड में भी खराब हो जाती है। स्टार पेपर मिल की मशीनरी आज तक नहीं आई लेकिन उसको लकड़ी ३–४ साल पहले ही दे दी गई और कह दिया गया कि उद्योग को पनपाने के लिये हम ऐसा कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता---क्या वह लकड़ी आज भी उसी फैक्ट्री के पास है ?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---सरकार की ओर से कहा तो यही जाता है लेकिन हमने सुना है कि इस फैक्ट्री ने उसमें से काफी लकड़ी को ढाई रुपया प्रति घनफुट के हिसाब से बेंच कर नफा कमाया है। चेक का नंबर भी मेरे पास था, मिल नहीं रहा है इसलिये मैं उसका जिक्र नहीं करता। बरेली की रेजिन व टरपेनटाइन फैक्ट्री की भी यही दशा है, इतने दिनों बाद बैलेंस शीट आया। उसमें थोड़ा नफा दिखलाया गया है, सरकार तो जैसे यह प्रिज्यूम कर के चलती है कि उद्योग से उसको नुकसान जरूर होगा। वित्तीय वर्ष ५७–५८ में २,५९,५४७ रुपये का मुनाफा इस फैक्ट्री को हुआ यह सरकारी आर्गुमेंट है, अगर देखा जाय तो यहां ७१ लाख रुपये का capital blocked है, पर नफा होता है केवल २,५९,५४७ रुपये का। ध्यान रहे ३ लाख २० हजार की रायेल्टी केवल है और २,६२,३५९

मन लीसा काम में आया और मुनाफा हुआ है केवल ३ लाख के करीब यानी सवा रुपया फी मन का लाभ हुआ। लीसा बाजार में ३० रुपया मन बिकता है। इतना बड़ा धंधा करने के बाद इतना कम मुनाफा उस पर भी सरकार कहती है कि कैपेसिटी बढ़ाई जाय। वह कहते हैं कि इस समय हमारी क्षमता २ लाख २५ हजार मन लीसा खपाने की है और पौने ६ लाख मन सालाना खपत तक वह बढ़ाना चाहते हैं।

श्री अधिष्ठाता—आप इंडस्ट्रीज विभाग को ब्लेम कर रहे हैं, जंगल विभाग का कसूर क्या है ?

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—जंगल विभाग का कसूर यह था कि इस कम्पनी से इसका पहले जो ठेका था उसकी मियाद भी लैप्स हो गई और उसके बावजूद भी अभी सस्ते रेट पर सप्लाई चल रही है, जो नफा फैक्ट्री को हुआ है और जो दिखाया गया है वह भी इसलिये हुआ कि उसको लीसा फ़ाडुलेंट तरीके से दिया गया है। क्योंकि असल कीमत है ३० रुपये मन लेकिन यह फैक्ट्री लेती है १३ रुपये मन के करीब भाव पर, फिर रायल्टी भी लेते हैं तो अगर ३ लाख मन लीसा सालाना ट्रीट होता है तो ९ लाख रुपये के करीब तो केवल नफा पड़ गया। यह लीसे की उस कीमत का हुआ जो सहकारी समितियों को दिये जाने का १६ रुपया फी मन का भाव है, लेकिन बाजार भाव से यहां १७ रुपया फी मन का दाम में फर्क है, अब अगर १७ रुपये को ३ लाख से जरब कीजिये तो कितना केवल सस्ती कीमत पर लीसा खरीदने का हुआ। मैं तो यही कहूंगा कि Forest Department is an abettor in this fraud यह रिपोर्ट इंडस्ट्री विभाग ने इसलिये दी है ताकि हमको मालूम हो जाय कि फारेस्ट विभाग की इसमें साजिश है।

कुमायूं डिवीजन की इंडस्ट्री से संबंधित Regional Evaluation Committee की रिपोर्ट हमारे पास है। यों एक तरफ तो सरकार कोआपरेटिव को बढ़ावा देने की बात कहती है, बेरोजगारी दूर करने के लिये लघु उद्योग पनपाना चाहती है, लेकिन काम उसके बिलकुल उलटे करती है। लघु उद्योगों को प्रोत्साहन न देकर बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज को बढ़ाया जा रहा है कुमायूं के २२।। लाख आदमियों की आवाज को ठुकरा कर। गृह उद्योग सहकारी समिति, कोटद्वारा को ५,२९४ मन २८ सेर लीसा १९५६–५७ में दिया गया जिससे इस समिति ने ३०,१४२ रुपये नफा कमाये। इसी तरह से १९५७–५८ में ९ हजार मन लीसा दिया गया तो ४१ हजार रुपया नफा कमाये। दूसरी सहकारी समिति मुनी की रेती टेहरी में है इसको ५ हजार मन लीसा दिया गया जो इसके लिये चार माह से अधिक के लिये काफी नहीं था लिहाजा फरवरी से चलाकर जून, १९५९ में फैक्ट्री बन्द करनी पड़ी। गौर कीजिये लघु उद्योग से ६८,००० रुपया मुनाफा कमाया केवल ५ हजार मन लीसा ले करके। इससे साफ है कि गृह-उद्योगों के तरीके पर काम करने में ज्यादा फायदा होता है और सरकारी फैक्ट्री में कुछ भी नहीं। मैं कहता हूं कि बरेली फैक्ट्री की बैलेंस शीट एक fraud है क्योंकि उसमें लीसे की पूरी कीमत आंकी नहीं गई। अगर इस विधेयक की परिधि बढ़ायी जाती है तो हम चाहते हैं कि लीसा और अन्य वन उपज के संबंध में ऐसे provisions इस बिल में हों जिनसे कोई उनका दुरुपयोग न कर सके।

इस विधेयक में परिभाषायें बड़ी खतरनाक रखी जा रही हैं। "Forest means a tract of land covered with trees, shrubs, bushes or woody vegetation." यह 'वुडी' क्या होता है यह मेरी समझ में नहीं आता। इसके बाद कहते हैं "..... land covered with stumps of trees.....".

यह स्टम्पस याने खूंट कभी के हों, चाहे वहां अब पेड़ हों या न हों मगर वह जंगल माना जायगा। कैसे कानून बनाये जाते हैं समझ में नहीं आता। कहा जाता है जंगल की पंचवर्षीय योजना है उसमें सिल्वीकल्चर की योजना रक्खी जाती है। फिर क्या बात है कि कहीं जंगल में केवल स्टम्प्स अवशेष रहे पर पेड़ एक भी नहीं। इसमें जंगल की परिभाषा में "Such pasture land .....cultivable or non-cultivable land....." भी

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

शामिल की गयी है । पास्चर के बारे में मैंने कहा था कि कुमायूं के लोगों को जंगलों में गाय चुगाने, वन उपज लेने के हक होते हैं। शायद ऐसा ही देवरिया, लखीमपुर, मिर्जापुर आदि जगहों में भी हों, वहां भी लोगों के हक हों। लेकिन इस परिभाषा से उन्हें समाप्त किया जा रहा है जो गलत है। माननीय वीरेंद्रशाह जी ने बतलाया है कि हर जिले में ऐसे हकूक हैं तो उन अधिकारों में कमी आ सकती है । मेरा तो सरकार पर आरोप है कि जो इतने सारे कानूनों का जंगल बनाया जा रहा है वह इसीलिये कि आने वाले ६२ के एलेक्शन में वह अपनी पार्टी को जिताना चाहती है और अगर कोई कहेगा कि हम कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे तो उसको इन कानूनों से डराया जायगा कि उसकी भूमि जंगल घोषित कर देंगे ।

मुझे एक बात याद आ गयी। सन् १९४८ में कुमायूं नयाबाद वेस्टलैन्ड ऐक्ट उस सरकार ने बनाया। तो वेस्टलैंड में कैसरेहिन्द की तमाम जमीन आ जाती है जिनको प्रोटेक्टेड फारेस्ट्स भी कह सकते हैं । श्रीमन्, इसमें नई जमीन गैरमजरुआ तोड़ने के बारे में एक नियम है:—

"4. The breaking up of waste land for cultivation can be—

(1) by extension, or

(2) by a Nayabad grant.

5. Subject to the rules made under section 25 every person cultivating land in Kumaun has a right to extend his cultivation over adjoining unmeasured land and the person so extending his cultivation shall possess the same rights over such extension as he has in his original cultivation."

यानी वहां पर जितने फारेस्ट्स हैं उनमें फारेस्ट्स के बड़े आफिसर्स के अधिकार अब डिप्टी कमिश्नर में निहित होते हैं। कुमायूं के रहने वाले तीन साल में पांच नाली यानी १/४ एकड़ तक अपनी काश्त से निजी जगह पर जमीन तोड़ सकते हैं। अब सरकार उसको अपने हाथ में ले रही है। वह यह कह सकती है कि अब इसका इंतजाम हम वन विभाग द्वारा करेंगे। आज तक वहां डिप्टी कमिश्नर को इन सुरक्षित बेनाप वनों के अधिकार सौंपे गये थे। लेकिन इसके बावजूद जो परिभाषा यहां रखी गयी है उससे सरकार यह कह सकती है कि अब इस पर इंतजाम केवल वन विभाग का होगा। हम मानते हैं कि ग्राम समाजों को यह ताकत यदि दी जाय कि कुमायूं के किसी भी सिलसिला काश्त भूमि वे ले लें तो क्या यह उचित होगा? यहां तो शक्ति अपरिमित है । चाहे कोई जमीन कल्टीवेबिल लैंड हो या उसमें केवल खूंट हों, या कुछ इसी तरह का हो, सरकार उसको अपने हाथ में ले लेगी। यह सरकार की तानाशाही है। यह बात श्रीमन्, पत्थर पर लिख गयी है कि एक जमाना आयेगा जब कि जनता इनसे इसका जवाबतलब करेगी। अगर कांग्रेसी फ्राड से एलेक्शन जीतना चाहते हैं और गद्दी पर बावजूद जनता के कष्टों के बने रहे तो फिर दूसरा एक तरीका है, एक वालकैनिक इरप्शन होगा जिसको ये रोक नहीं सकेंगे, वह इनके बूते के बाहर की बात होगी। जिस अंग्रेज के पास इतने हथियार थे, तोप, तमंचे थे वह नहीं रह सके, जमाना आया वे खत्म हो गये तो कांग्रेस वाले भला कितने दिन तक इन कानूनों के बल पर टिके रह सकते हैं? इन्होंने सोच लिया है कि ये अमरबूटी खाकर आये हैं तो अब भी मौका है इनके लिये कि इस तरह की बातें न करें और भगवान के लिये ऐसा अन्यायी कानून न लावें।

*राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—सभापति जी, जो संशोधन माननीय प्रतापसिंह जी ने रखा है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। मैंने मंत्री जी के भाषण को बड़े गौर से पढ़ा और सुना। उन्होंने यह कहा कि जमींदारी एबालिशन हुआ उसके बाद जो जंगलात

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के पट्टे हुये वह नाजायज तरीके से किये हुये थे और उसके लेने का उद्देश्य और है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि कितने ऐसे पट्टे थे। वह नाजायज भी कर दिये गये थे। अब मैं जहांतक समझता हूं सरकार यह चाहती है कि जो जंगलात की जमीनें हैं उनकी जमाबन्दी भी नहीं हैं, ग्रामों में जमीन परती थी और इत्तिफाक से या किसी तरीके से उनके कागजात में लिख गयी थीं, उन जमीनों के लिये सरकार चाहती है कि उसको मुआवजा न देना पड़े। इसलिये यह संशोधन सरकार लायी है।

बुंदेलखंड के जिले जालौन में बहुत सी इस किस्म की जागीरें थीं या जमींदारों के पट्टे थे जो दस-दस बारह-बारह साल से मौजूद हैं। तो उन पट्टों के तस्लीम न होने के कारण जैसा मैंने बतलाया कि जमाबन्दी में परती लिखने के कारण वह रह गये, आपने फारेस्ट डिक्लेयर कर दिया। उसमें जितने भी किसान हैं वे सब इसमें आ जायेंगे और उनको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, वह निकाल दिये जायंगे। इससे एक तो यह बड़ी मुश्किल होगी कि जो आप अधिक अन्न पैदा करना चाहते हैं उसमें बड़ी बाधा पड़ेगी क्योंकि जहां कोई जंगल का रूप ही नहीं है, चारों तरफ जोत की जमीन है उसे भी आप जंगल डिक्लेयर कर देंगे। इससे अन्न की पैदावार में कमी होगी और किसान बरबाद होगा। जितनी देर में आप जंगल तैयार कर पायेंगे उतनी देर में उससे कहीं अधिक अनाज उन जमीनों से पैदा हो सकता है। आप बतलायें कि कहां से ऐसी रिपोर्टें हैं जिनके आधार पर आपने यह कहा कि ऐसे पट्टे हैं जिनके लिये आप ऐसा कानून लाना चाहते हैं।

दूसरी बात यह कि इसमें जो परिभाषा हमारे विष्ट जी ने बतलायी कि फारेस्ट को आप बढ़ा रहे हैं उसमें यह भी भय है कि अधिकतम जोत सीमा संबंधी कानून में जो बागात आपने छोड़ दिये हैं उनको भी कहीं आपके अफसरान न घेर लें। इस वजह से हम चाहते हैं कि यह प्रवर समिति में जाय और वहां इस पर अच्छी प्रकार से विचार कर के, जो संशोधन करना हों वह कर के तब सदन के सामने इसे पेश किया जाय। वरना जल्दी-जल्दी में पास करने में क्या आपको यह अच्छा मालूम होता है कि बार-बार उसमें संशोधन आयें और सदन का समय और जनता का रुपया नष्ट हो? इसलिये यह अच्छा होगा कि पहले इस पर अच्छी तरह से विचार करके फिर सदन में पेश किया जाय। आपको मालूम होना चाहिये कि जंगल विभाग के अधिकारी आज भी किसानों पर जमींदारी के तरीके का व्यवहार करते हैं। जंगल के आस-पास गांवों के किसानों से बेगार ली जाती है, आज भी उनको एक रुपये का सेर भर घी देना पड़ता है और एक रुपये का दस सेर अनाज देना पड़ता है चाहे बाजार भाव कुछ भी हो। इन सब चीजों के ऊपर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। सरकार अगर निष्पक्ष जांच कराये तो उसे पता चलेगा कि लाखों रुपये का नुकसान उसका हो गया है और लाखों रुपये की लकड़ी इन लोगों की साजिश से कट गयी और बरबाद हो गयी।

इसी तरह से पास्चर लैंड की बात है। आज एक आदमी को चारू का ठेका दे दिया जाता है और बाकी सब गांव वाले चिल्लाते हैं। हमारे जालौन जिले में कालपी में एक चारू था वह सब को न देकर एक गौशाले के नाम से एक ठेकेदार को दे दिया गया चाहे उनके यहां जानवर २०० हों लेकिन वह एक ही के नाम पट्टा कर दिया गया। यह तो ज्यादती आज जमींदारों की तरह से फारेस्ट डिपार्टमेंट कर रहा है और उसके ऊपर यह कहते हैं कि जनता की सेवा के लिये नाना प्रकार के बिल आते हैं। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि या तो इसको वापस ले लिया जाय या फिर इसे प्रवर समिति को भेज दिया जाय।

श्री हरिदत्त काण्डपाल (जिला अल्मोड़ा)—अधिष्ठाता, महोदय, यह संशोधन विधेयक जो सरकार की ओर से पेश हुआ है और जब किसी कानून को संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती है तो करना ही चाहिये। लेकिन आज हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं तो कोई भी कानून प्रजा के हित में ही संशोधित होना चाहिये। इस कानून के लाने से यही उम्मीद की जाती है कि इसमें कुछ जनता का हित है।

[श्री हरिदत्त काण्डपाल]

जहांतक बनों का ताल्लुक है इनका सबसे ज्यादा असर कुमायूं के चार जिलों पर पड़ता है क्योंकि जंगल की तादाद भी वहीं बहुत अधिक है। उसका सबूत यह है कि पर्वतीय विधायक ही उसमें ज्यादा हिस्सा लेते हैं। फारेस्ट मैनुअल जो बना हुआ है उसमें भी कुमायूं का ज्यादा जिक्र आया है। इसलिये जो भी कार्य इस संबंध में होता है उसका असर कुमायूं और पर्वतीय जिलों पर पड़ता है।

जब हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी उस समय यह कहा जाता था कि जंगल पर्वतीय जनता के हैं और बंदिशों के कारण हमको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। यह हमारे नेताओं ने तब कहा था कि जंगल हमारे हैं। उनकी तकलीफात भी हम सहते हैं। हम उनको उगाते हैं और उनकी हिफाजत करते हैं। लिहाजा ब्रिटिश सरकार जब तक मौजूद रही उसे कोई दर्द नहीं हुआ। हिन्दुस्तान जब आजाद हुआ तो वहां की जनता ने यह समझा कि अब हमारे दुख और तकलीफ दूर हो जायेंगे। लेकिन बात कुछ उलटी हो गयी। अंग्रेजों के वक्त इन जगलों से जितनी तकलीफ थी उससे कई गुनी ज्यादा अब बढ़ गयी है। इस विभाग ने अपनी अलग एम्पायर कायम कर ली है। इसके सबसे बड़े अफसर चीफ कंजरवेटर हैं और उनका ही राज्य है अलग से। उनको कायदे कानून की परवाह नहीं है, ऐक्ट व जी० ओज० की परवाह नहीं है और उस पर मोहर लग जाती है सरकार तथा वन मंत्री की। इसका नतीजा यह हुआ है कि बड़ा भारी आन्दोलन हो रहा है पर्वतीय जनता का। उसका आरोप है कि चीफ कंजरवेटर साहब ने जनता विरोधी कार्य किये हैं। उधर के लोगों ने जो कहा उसे सुन कर और भी तकलीफ हुई कि ऐसे हाकिमों को बतौर इनाम एक्सटेंशन दिया जाता है। आपको उदाहरण के तौर पर एक डी०ओ० सुनाता हूं। चीफ कंजरवेटर आफ फारेस्ट ने एक कंजर्वेटर को लिखा था। उससे उनकी टेंडेंसी जाहिर हो जाती है कि जनता के प्रति यह अपनी जिम्मेदारी किस तरह से महसूस करते हैं और मेरा कहना कहां तक सही है कि जंगलों को वह अपनी एक एम्पायर समझते हैं। चीफ कंजर्वेटर आफ फारेट्स के यहां से जवाब गया है। कंजर्वेटर ने लिखा था कि जनता को यह तकलीफ है, जनता की यह आवाज है और टिम्बर के बारे में वह था। इसके जवाब में यह लिखा है कि --

"D. O. no. 973—Camp/!32-65

OFFICE OF THE CHIEF CONSERVATER OF FORESTS
UTTAR PRADESH NAINI TAL

Dated Camp via Naini Tal, December 22, 1957

MY DEAR JAIN,

You should follow the instructions given by me, viz. to sell lots on the condition that all timber is converted into sleepers and local people on demand supplied sleepers at market rate and the excess is exported, say three months after the work is finished. We are not going to *cater* for actual needs of the people. To-day you are supplying the local people planks and scantlings. To-morrow, the local people may want you to prepare for them frames for doors and windows, etc. This we cannot undertake. It is for the local people to get sawyers for their needs and sawyers are bound to come for work in towns if real demand arises. So, I do not agree that the Commissioner and President, Municipal Board, should be consulted on this score.

Yours sincerely,
(Sd.) R. SAHAI, I.F.S."

उनको इस बात तक की परवाह नहीं है कि कमिश्नर को या म्युनिसपैलिटी के चेयरमैन को कंसल्ट किया जाय। यह क्या बात जाहिर करती है? जो कुछ मैं कह रहा हूं उसको सपोर्ट करती है या नहीं इसको आप लोग स्वयं देखें।

श्रीमन्, मैं पहले ही कह चुका हूं कि जहां तक जंगलों का ताल्लुक है वह पर्वतीय जिलों से संबंधित है और उनकी जिन्दगी से संबंधित है यानी जंगलों का मसला जैसे आदमी को सांस लेने की जरूरत है उसी तरह से जो जंगलों में रहते हैं उनके लिये जंगल जरूरी हैं। उनके चारों तरफ जंगल हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि उनकी जिन्दगी पर इनका कितना असर पड़ता है।

पिछले दिनों २३ अगस्त, १९५५ को एक गजट नोटीफिकेशन हुआ जिसमें प्रोटेक्टेड फारेस्ट्स के लिये नियम बनाये गये और प्रोटेक्टेड फारेस्ट्स की डेफीनीशन ऐक्ट की धारा २९ में दी हुई है। उसमें यह लिखा गया है कि--

"The State Government may by notification in the local official *Gazette*, declare the provisions of this chapter applicable to any forest land or waste land which is not included in a reserved forest, but which is the property of Government, or over which the Government has proprietary rights, or to the whole or any part of forest produce of which the Government is entitled."

वह जमीन भी जिसमें गवर्नमेंट को प्रोपराइटरी राइटस हैं, प्रोटेक्टेड फारेस्ट्स में शामिल है। रूल्स बनाने का जिक्र दफा ३२ में है। १९५५ में एक जी० ओ० हुआ जिसमें प्रोटेक्टेड फारस्ट्स के लिये यह कह दिया गया कि --

"No person shall, without the permission of Forest Officer do, attempt to do, or cause to be done, any of the following acts :

(1) The cutting, sawing, co*k*version and removal of any tree and the collection, manufacture and removal of forest produce from the protected forest ;

(2) the clearing and wreaking of land for cultivation of or for making of any threshing floor (*khalihan*) or tethering cattle, erecting of any temporary or permanent hut or house in such forest ;

(3) the cutting of grass and pasturing of cattle in such forest, and

(4) the lighting, kindling or burning of any fire near such forest."

श्रीमन्, हमारे यहां जो वेस्ट लैंड है, जिसको बेनाप कहते हैं, इस डेफिनीशन के मुताबिक यह सब प्रोटेक्टेड फारेस्ट हैं। इस जी० ओ० का कभी पिछले दिनों तक इस्तेमाल नहीं हुआ और न हो सकता है। यह इम्प्रैक्टीकेबिल है। पर्वतीय प्रदेश में गांवों में जो वेस्ट लैंड है, वह बेनाप है। जिस पर आदमी के अपने राइट्स हैं वह तो नाप है और इसके अतिरिक्त जो जमीन है वह बेनाप है। यानी मकान बना हुआ है तो उसका आंगन प्रोटेक्टेड फारेस्ट में है। गौशालाएं भी बाज वक्त प्रोटेक्टेड फारेस्ट में हैं। अगर उसके बाहर पशु चले जांय तो उसने आफेंस कर लिया। यह १९५५ के बाद आज तक लागू नहीं हुआ। लेकिन जिस कांस्टीटएंसी का मैं हूं, वहां अब इसके अनुसार सैकड़ों प्रासीक्यूशंस हो गये हैं। लोगों पर धड़ाधड़ जुरमाना हो रहा है। अगर पूरा का पूरा लागू हो तो उनके माने होंगे कि लोग गांव छोड़ कर चले जांय या लागू ही नहीं हो सकता। लेकिन इसमें से एक शक्ल निकलती है। पटवारी, को जिसे हमारे यहां पुलिस पावर्स भी होती हैं या फारेस्ट का अधिकारी है उसके खाने-पीने का मौका निकल आता है या अगर किसी से दुश्मनी निकलनी है तो बड़ी आसानी से केस दायर हो जाता है। दफा ३३ के मुताबिक बहुत से केसेज पेंडिंग हैं। मैं कई बार इस बात की शिकायत कर चुका हूं और कई दफा प्रार्थना कर चुका हूं कि यह जी० ओ० वापस लिया जाय। फारेस्ट फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी जो बनी, इधर बैठने वाले कई विधायकों ने लिख कर दिया था, उस पर उसमें भी इस बात का जिक्र था कि यह जी० ओ० वापस कर लिया जाय। इससे लोग सताये जा रहे हैं। सिर्फ करप्शन होता है और कोई नतीजा नहीं निकलता। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--जो विधेयक आपके सामने है, उस विधेयक से इन सब बातों पर असर पड़ेगा ?

श्री हरिदत्त काण्डपाल--जो संशोधन विधेयक मौजूद है इस पर भी इससे असर पड़ सकता है। मेरा इसमें एक संशोधन है और उसमें परिधि बढ़ाने की बात कही है। लिहाजा परिधि बढ़ायी जाय। उसमें यह सब कवर हो जायगा। मैंने पहले कहा संशोधन लाना बुरी बात नहीं है लेकिन लाया जाय तो अपने आप में सम्पूर्ण हो। जो संशोधन बिल सामने है उसे सिर्फ सरकारी अफसरों के नुक्ते नजर से रखा गया है क्योंकि वह सरकार की आंखें हैं। उनके द्वारा जो कुछ देखते हैं, उन्होंने जो कुछ कह दिया उसके मुताबिक अमेंडमेंट आया है। मैं चाहता यह हूं, और जैसा मैंने अपने अब तक के अर्ज करने में जाहिर किया है, यह कोई जनहित का या जनता के सेवकों जैसा रवैया और रुख नहीं हो रहा है बल्कि जनविरोधी कार्य हो रहे हैं इस जनतंत्र में। तो मैं यह चाहता था कि इस संशोधन विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय और उसको यह अधिकार हो कि वह अपनी परिधि भी बढ़ा सके ताकि इन तमाम बातों पर विचार वहां हो जाय और वहां से वापस आने पर यह विधेयक कुछ समझ में आने लायक हो जाय। इसलिये इतनी सब बातों का जिक्र करना मेरे लिये आवश्यक हो गया।

श्रीमान्, माननीय मंत्री जी ने इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए इसकी आमदनी के बारे में जिक्र किया, टेहरी-गढ़वाल के बारे में खास तौर से और वह इसके उद्देश्य और कारण में भी लिखा हुआ है। उन्होंने यह कहा कि जो वहां सोयम जंगल हैं उनकी आमदनी गांव वालों की ही होगी और गांव वालों के लिए ही अब वह फारेस्ट पंचायत बनाना चाहते हैं जिसमें कुछ कानूनी दिक्कत उनको है; हालांकि कोई खास कानूनी दिक्कत तो है नहीं लेकिन जैसा कि उन्होंने बताया कि दफा २८ का संशोधन करने की आवश्यकता उनको इसीलिए पड़ी।

श्रीमन्, आमदनी की बाबत मैं कह दूं, यह बात कहने की ही बहुत कुछ होती है। टेहरी की रियासत तो बाद में विलीन हुई है, लिहाजा टेहरी का नाम लेने का एक बहाना तो अवश्य मिल गया, लेकिन इस बात का हमारा अपना तजुर्बा है, अपने जिले की आज भी जो आमदनी है-अव्वल जंगल जो कि कलेक्टर के प्रबन्ध के अन्दर हैं और वह जंगल जिनका कि इन्तजाम फारेस्ट पंचायतों से होता है, जिसका कि जिक्र माननीय मंत्री जी कर रहे थे कि फारेस्ट पंचायतें टेहरी में भी वह बनाना चाहते हैं, उनकी आमदनी गांव वालों की समझी जाती है और उसका जो मैनेजमेन्ट होता है उसमें जो आमदनी ली जाती है वह फारेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू ली जाती है, फारेस्ट डिपार्टमेंट जितनी उसकी आमदनी होती है उसका एक या दो या तीन परसेंट गांव वालों को देता है और वह भी पैसा खजाने में जमा होता है कलेक्टर के नाम। श्रीमन्, मुझको याद है मेरे अपनी जिले में, मेरी अपनी कांस्टीट्यूएंसी की कई-कई फारेस्ट पंचायतों का, कई गांवों का लाखों और हजारों रुपया खाली जमा पड़ा हुआ है बैंकों में कलेक्टर के नाम, लेकिन वह किसी भी विकास के कार्य पर खर्च नहीं किया जा सकता है जब कि यह एक जी० ओ० है कि विकास के कार्य पर वह खर्च होगा।

बाज दफा हुक्म यह निकला कि आधी आमदनी जंगल के डेवलपमेंट के लिये रखी जाय और बाकी आधी गांव के सामूहिक विकास के कार्यों पर खर्च की जाय और वह गांव वालों का श्रमदान, उनका कंट्रीब्यूशन समझा जाय। लेकिन इधर भी फिर एक नयी चीज सूझी है और उसके मुताबिक यह हो गया कि जो ५० परसेंट गांव वालों का अपना श्रमदान समझा जाता रहा वह सरकार का अनुदान समझा जाय। और श्रीमन्, जो ५० परसेंट जंगल के डेवलपमेंट के लिये रखा जाता है, उसमें शक्ल यह है कि जंगल इतने घने फैले हुए हैं कि बजाय इसके कि उनमें और पेड़ लगाया जांय, जरूरत इस बात की थी कि उनको छांटा जाय और उसके दरख्त कम किये जांय, लेकिन अब चूंकि यही कागज में लिख गया कि वह वन विकास के लिये होगा और वन विकास का तात्पर्य यह समझ लिया गया कि उसमें और पेड़ रोपे जायंगे, लिहाजा वह सभी जैसे का तैसा पड़ा हुआ है और वह रुपया किसी काम नहीं आ रहा है। जब इस ओर ध्यान दिलाया जाता है

कलेक्टर का तो राजी हो जाते हैं लेकिन ज्यों-ज्यों बात आगे बढ़ती है त्यों-त्यों न तो कोई उस प्राब्लम को समझने की कोशिश करता है और न उसके पास इतना समय होता है बल्कि यों कहा जाय तो अनुचित न होगा कि वह उसको समझना नहीं चाहते। वह तो चाहते हैं कि लोग परेशान हों, क्योंकि इसमें उनका मकसद पूरा होता है। तो यह तो जो उन्होंने आदमनी की बात कही थी उसका जिक्र मैंने किया।

अंग्रेजों के जमाने में भी इन फारेस्ट्स का इन्तजाम होता था। इन फारेस्ट ट्रैक्ट्स के लोगों की जिन्दगी पर इनका कितना असर होता है, उनके जिन्दा रहने में उनका कितना असर है, इसके लिये एक फारेस्ट पालिसी डिक्लेअर्ड थी जो कि अब हिन्दुस्तान के आजाद होने के बाद प्रेसीडेंट की फारेस्ट पालिसी के नाम से है और वह फारेस्ट मैनुअल में दर्ज है। फारेस्ट मैनुअल के २६५ पेज पर यह फारेस्ट पालिसी आफ गवर्नमेंट मौजूद है जिसमें इन सब बातों का काफी जिक्र है। उससे यह मालूम होता है कि अंग्रेज, यद्यपि वे विदेशी थे, परन्तु फिर भी उनमें शासन करने की क्षमता थी। वही ऐक्ट अभी तक चल रहा है। अमेन्ड नहीं हुआ है। केवल नाम बदल गया है लेकिन आज इस फारेस्ट पालिसी की खुल्लमखुल्ला अवहेलना हो रही है इस बात को कहते हुये मुझे संकोच नहीं होता है। फारेस्ट फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट अभी हाउस के सामने नहीं आई है। मुमकिन है गवर्नमेंट के पास आ गई हो। उस कमेटी ने घूम-घूम कर सारे तथ्यों की जांच की है। लिहाजा उन्होंने इन सब बातों पर प्रकाश डाला होगा।

फारेस्ट के सिलसिले में जो उद्योग पैदा होते हैं उनके विषय में कई लोगों ने उधर से जिक्र किया है। मैंने यह अर्ज किया कि पहाड़ों पर लोगों की जिन्दगी इन फारेस्ट पर ही मुनहसर है। अगर वहां के रा मैटीरियल को इसी प्रकार से लुटाया जाता रहा और इसी प्रकार से दुर्गति की जाती रही तो चन्द वर्ष के अन्दर पहाड़ के लोगों के पास सिवाय वहां से उठ जाने के और कोई साधन नहीं रह जायगा। यह निश्चित बात है।

कोआपरेटिव सोसाइटी के लिये कहा गया कि उनको लीसा दिया जायगा। एक दो जगह कोआपरेटिव सोसाइटी बनी हैं। उन लोगों ने मांग की और उनको लीसा दिया गया। मैं जानता हूं कि वहां पर सोसाइटी संगठित तो की गई लेकिन उन्होंने उस लीसे का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने कच्चा का कच्चा दूसरों को बेच दिया। उनको रियायत पर मिला था तो उनको बेचने पर कुछ लाभ रहा और उस मुनाफे को उसने ले लिया।

इस विधेयक के सिलसिले में मुझे यह निवेदन करना है कि माननीय मंत्री जी यह कहते हैं कि टेहरी में वन पंचायत बनाने में उनको कुछ दिक्कत है। उन्होंने यह कहा है कि टेहरी गढ़वाल के स्वयं वनों का प्रबन्ध गांव पंचायतों के नियन्त्रण में कर देने की निरन्तर मांग रही इन वनों का प्रबन्ध हस्तांतरित करने के पूर्व उन्हें सुरक्षित वन घोषित करना आवश्यक है जिससे कि सरकार का सम्बन्धित गांव पंचायतों पर नियन्त्रण हो सके और उन्हें कोई ऐसा काम करने से रोका जा सके जिसका इन वनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता हो तो यह पहले से ही रुकावट तैयार कर ली गई है। यह मनोवृत्ति को जाहिर करता है। आगे वह कहते हैं कि "वनों की हालत गिर चुकी है। चूंकि ये वन सरकार के हैं, इसलिये उन्हें इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ की धारा २९ की उपधारा (३) की प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन व्यक्तियों का समुदायों के विद्यमान अधिकारों को प्रभावित या न्यून किये बगैर रक्षित वन घोषित किया जा सकता है। यह भी आवश्यक समझा गया है कि इन सोयम वनों का प्रबन्ध पंचायत आधार पर करने के लिये कुमायूं फारेस्ट पंचायत रूल्स में दी गई रूप रेखा के अनुसार इंडियन फारेस्ट ऐक्ट के अधीन गांव पंचायतें संगठित की जांय। इंडियन फारेस्ट ऐक्ट की धारा २८ में दिये गये उपबन्धों के अधीन ऐसे ग्राम निकाय बनाना सम्भव है, परन्तु कठिनाई यह है कि यह धारा केवल रक्षित वनों पर ही प्रवृत्त होती है। इसका क्षेत्र रक्षित वनों तक बढ़ाने के उद्देश्य से यह निर्णय किया गया है कि इस धारा को विधेयक के, प्रारूप में बताई गई रीति से संशोधित किया जाय"।

[श्री हरिदत्त काण्डपाल]

इस सम्बन्ध में इतना निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायतें यदि बन जांय, जिनका जिक्र हो रहा है, तो इसमें क्या कठिनाई है। कुमायूं के और जिलों में पंचायतें अपना काम कर रही हैं। वहां पर यह इस बात का सबूत है कि कोई कठिनाई उनके सामने नहीं आई है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि लाखों रुपया वनों की रक्षा पर व्यय किया जाता है लेकिन उससे भी ज्यादा काम इन फारेस्ट पंचायतों ने किया है। मैं अपने क्षेत्र की बात बतलाऊं कि वहां पर लोगों ने बड़ी तत्परता के साथ इन जंगलों का संरक्षण किया है और कर रहे हैं और उसमें कहीं ऐसा नहीं हुआ कि कहीं दिक्कत आयी हो। लोगों ने स्वतः अर्जियां दीं। कुमायूं के हर गांव में एक सरहद खिंची होती है जिसे ८० साला कहते हैं और उसमें वन लगाये जाते हैं। एक अर्जी गयी और इंस्पेक्टर साहब आ कर सारी कार्यवाही पूरी करा देते हैं। चूंकि इसमें सरकार का कम से कम इंटरफियरेंस है इसलिये यह ज्यादा से ज्यादा सफल हुई हैं और जंगल ज्यादा लगाये गये हैं और जहां उम्मीद नहीं थी वहां भी जंगल लगे हैं। अब यहां सरकार को शंका है कि उन वनों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े इसलिये इस दफा को संशोधित किया जाय। तो.....

श्री अधिष्ठाता---अब आप तफसील में जा रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि उसूलों पर ही बहस होनी चाहिये। तफसील पर बहस करने का मौका आपको बाद में मिलेगा।

श्री हरिदत्त काण्डपाल---मुझे सिद्धांत के तौर पर केवल इतना ही कहना है कि रोज यहां चर्चा होती है कि शक्ति का विकेन्द्रीकरण किया जाय, लेकिन दूसरी तरफ शक्ति केन्द्रित की जाती है। जहांतक जंगल का ताल्लुक है, मैं तो निश्चित रूप से इस राय का हो चुका हूं कि स्टेट गवर्नमेंट को जंगल के विभाग को खत्म कर के इनका काम जिला परिषद् को दे देना चाहिये। दफा २८ में जो प्रोटेक्टेड फारेस्ट को जोड़ने का प्रयत्न है यह तो ठीक है ताकि वहां भी फारेस्ट पंचायतें बन जांय, लेकिन आगे जा कर जहां लोगों ने तंगी उठा कर वन लगाये हैं और अपनी खास जरूरतों के लिये ही लकड़ी आदि इस्तेमाल करते हैं वहां आप कह रहे हैं कि सरकारी जंगलों पर जो कायदे कानून लागू होंगे वही कायदे कानून उन पर भी लागू होंगे। मैं जानना चाहता हूं कि इसकी क्या जरूरत आ पड़ी है? क्या मंत्री जी इस पर रोशनी डालने की कृपा करेंगे कि जहां-जहां फारेस्ट पंचायतें बन गयी हैं लोगों ने अपने परिश्रम से फारेस्ट पंचायतें बनायी हैं, उगायी हैं, वहां इस कानून के न लागू होने से क्या नुकसान हुआ है? मैं तो निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि सरकारी विभाग ने वन के सम्बन्ध में जितना काम किया है उससे कहीं अधिक काम इन फारेस्ट पंचायतों ने किया है। इसलिये बिना इस तरह का संशोधन किये हुए ही यदि वहां पर फारेस्ट पंचायतें कायम की जांय तो वहां अधिक आसानी से और ज्यादा अच्छा काम हो सकता है।

अब श्रीमन्, फारेस्ट की डेफिनीशन के बाद में धारा ३८ में नये खंड सी० और डी० के रूप में बढ़ाये गये हैं। सी० में कहा गया है कि फारेस्ट मीन्स "a land intended to be utilized as forest। तो इंटेंशन की बिना पर भी वह फारेस्ट माना जायगा और फारेस्ट डिपार्टमेंट का जो रवैया है वह मैं अर्ज कर चुका हूं तो इन बातों पर प्रवर समिति में गौर किया जाय और उसे परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो। विष्ट जी ने कहा कि यह सब काम कांग्रेस को जिताने के लिये हो रहे हैं। मैं कहूंगा कि मामला इससे उल्टा है। अगर जिताने के लिये होते तो मैं मंत्री जी का अहसान मंद होता।

श्री अधिष्ठाता---आपका खयाल है कि हराने के लिये किया है?

श्री हरिदत्त काण्डपाल---जी हां, और मालूम पड़ता है कि उन्होंने इसको जनसंघ इसे साथ गांठ करके किया था। इसलिये मैं और अधिक न कहकर इसको परिधि बढ़ाने तथा सको प्रवर समिति में भेजने के लिये जो प्रस्ताव है उसका समर्थन करता हूं।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—श्रीमन्, इस विधेयक का महत्व एक आर्डिनेन्स का महत्व है। इस विधेयक के द्वारा सरकार अपनी भूलों का प्रायश्चित कर रही है। श्रीमन्, जमींदारी एबालीशन ऐक्ट के प्रयोग से पहले जब यहां के जमींदारों ने अपने जंगलों को किसी प्रकार से प्रयोग करना चाहा तो सरकार का ध्यान इस ओर गया और उसने जो सन १९२७ का जंगल कानून था उसमें सन् १९५१ और १९५५ में कुछ संशोधन करके इस सदन से यह अधिकार लिया कि वह दरख्तों को काट सके। उस समय सरकार की दृष्टि उस तरफ नहीं जा पायी थी। सरकार की दृष्टि अब किसी कारणों से जब इधर गयी है, और अच्छे समय पर उसकी दृष्टि गयी है, तो उसने इसमें और संशोधन किये हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और मैं समझता हूं कि इसे प्रवर समिति में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको प्रवर समिति में भेजना एक व्यापक दृष्टि से जनता के हित में न होगा। जनता की दृष्टि से, जंगल संबर्द्धन की दृष्टि से, उसके संगठन की दृष्टि से, इसे कभी भी प्रवर समिति में नहीं जाना चाहिये। इसमें ८ धाराओं में संशोधन करके सरकार ने कुछ अधिकार मांगे हैं—वे धारायें हैं २८, ३८, ५२, ५३, और ६८ आदि। इन धाराओं में संशोधन करके सरकार यह चाहती है कि उनकी रचना उचित प्रकार से हो। इसीलिये उसने धारा ३८-एच० से लेकर धारा ३८ एम० संशोधन किये हैं। यह कानून आज से ३३ वर्ष पूर्व सन् १९२७ में बना था और उसके अनुसार अगर कोई अपराध करता था तो उससे केवल ५० रुपये से ज्यादा नहीं लिया जा सकता था, अपराध चाहे उसका कितना ही बड़ा क्यों न हो। अब सरकार ने उसे ५० से बढ़ाकर ५०० कर दिया है। तो आज इतने वर्ष हो गये, रुपये का मूल्य कितना बढ़ गया है, उसको देखते हुए अगर आज सरकार ने ५०० रुपये कर भी दिये तो यह ठीक ही है। इसमें कोई दूसरा मत हो ही नहीं सकता।

दूसरी बात इसमें यह देखने की है कि इस ऐक्ट के जो शब्द हैं वे ऐसे शब्द हैं कि जिनमें आज के आधुनिक यंत्रों की परिभाषा नहीं है। इस कारण से भी इसमें कुछ संशोधन करने की आवश्यकता पड़ गयी। इसमें जो संशोधन हैं वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि उसके लिये मुझे इसे आर्डिनेन्स की संज्ञा देनी पड़ी। इसकी भाषा आर्डिनेन्स की भाषा है। इस विधेयक में जंगल की परिभाषा को, वन की परिभाषा को, व्यापक रूप दिया गया है और उसको एक व्यापक रूप देने के लिये ही पहली जुलाई, १९५२ के दिन जो जमीन जंगल के निकट थी, या जो जंगल थे या उनको जंगल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता था, उसको इस परिभाषा में बढ़ा दिया गया है। सरकार इसको जमींदारी एबालीशन के समय भी देख सकती थी, अपने दृष्टिकोण से आगे भी देख सकती थी, किन्तु उस समय वह उसको न कर सकी और उसी का प्रायश्चित इसमें किया गया है।

इसके द्वारा सरकार एक ऐसी भूमि को लेना चाहती है जो जंगल की दृष्टि से, जनता के हित की दृष्टि से, जंगल के व्यापक संवर्द्धन की दृष्टि से, सरकार ने यह उचित समझा कि जंगल अधिक से अधिक से हों और इस कारण १५ वर्षों के लिये जहां सरकार अपनी विज्ञप्ति जारी करे वहां पर सरकार १५ वर्षों तक उनको अपने संरक्षण में भी रखे। यह अधिकार जरूर दिया है कि कृषि कार्यों के लिये यदि वे पट्टेदार जिन्होंने जमींदारी एबालीशन ऐक्ट के पहले पट्टे ले लिये हों और जो कोर्ट आफ ला में चैलेंज नहीं किये जा सकते, अब उनसे किसी कानून के द्वारा नहीं ले सकते उनको इस विधेयक के द्वारा हम ले सकते हैं, लेकिन उनका वन फिफ्थ अगर उचित समझे तो जुताई के लिये दे सकते हैं, यह उसका एक मार्मिक अंश है जो दोषपूर्ण है और राज्य सरकार को वर्तमान विचार नीति के लिये इस पर ध्यान देने की जरूरत है। वन अधिकारी जो निर्णय दे देगा वह किसी कोर्ट आफ ला में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसीलिये आशुरूप से, तत्काल रूप से उसका निर्णय हो जायगा।

पहला स्वरूप जब जंगलों का १९२७ में बना था जिसको हम विलेज फारेस्ट कह सकते हैं उसके लिये "गो-बैक" हम जा रहे हैं। वह स्वरूप तो नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार को भी देखना चाहिये कि जितने जंगल कटे हैं और कट रहे हैं और जिस तरीके से उच्छेद हुआ है और जिस तरीके से इंटरमिडियरीज ने—दूसरा शब्द उसके लिये नहीं है—पट्टों के द्वारा वनों को

[श्री रामलखन मिश्र]

कानून के बाहर कर दिया था और आज इस तरीके से सरकार की नजर में आ रहे हैं और जंगलों के हित की दृष्टि से और जनता के हित की दृष्टि से सरकार यह विधेयक सामने लायी है, इसको आगे का स्वरूप ही कहा जाय तो अच्छा होगा ।

अब रह गया कि राज्य कर्मचारी अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं, यह एक परम्परा हमारी डेमोक्रेसी में है कि सदन के माननीय सदस्य तो विचार करें और कार्यान्वित करे एक ऐसा दल जो यहां पर विचार में सम्मिलित नहीं रहता । उनमें कुछ ऐसे अधिकारी अवश्य होंगे । कुछ माननीय सदस्यों ने राज्य कर्मचारियों के एकांगी अर्थ का या उनके पूरे अर्थों का या उनके कुछ अपने मनोभावों का यहां पर जिक्र किया है । मैं उनको चैलेंज नहीं करना चाहता, यह तो हमारे मंत्री महोदय का कर्त्तव्य होगा । वे अपने प्रभावक्षेत्र में और नीति संचालन में हमारे ऐसे विधेयकों, जिन्हें हम पारित करते हैं और कानून का स्वरूप देते हैं उनके अन्तर्गत कैसा कार्य हो रहा है उसको बताने का दायित्व उनके ऊपर है और यदि सदन में कोई ऐसी बात एक विधेयक के रूप में या विशेष चर्चा के रूप में आये तब हम उसके ऊपर व्यापक विचार कर सकते हैं; लेकिन इस विधेयक का स्वरूप इतना सुन्दर है और इतना यह व्यापक है और इतना मंगलमय संसार भविष्य में लाने वाला है कि जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते । यह दुर्भाग्य की बात है कि हृदय तो कैपिटलिस्ट का रहता है और वाणी हम किसी कारण से जनहित की बोलने के लिये आते हैं और जब प्रभाव पड़ता है उनके निजी स्वार्थों पर तो स्वभावतः उनके हृदय से चीत्कार आने लगता है ।

अब मैं इसको आगे न बढ़ाकर, क्योंकि हमारे अनेक माननीय सदस्य इस पर कटाक्ष डालना चाहते होंगे, समाप्त करता हूं । कुछ लोगों पर तो इसका बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ेगा, उनको भी आंसू गिराने का मौका इस सदन में मिलना चाहिये । मैं इस विधेयक की हृदय से प्रशंसा करता हूं, संस्तुति करता हूं और अपने माननीय, आदरणीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि वे इस विचार पर तो पहुंचे कि १ जुलाई, १९५२ के अधिकार मांगने का साहस इस सदन में किया ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय कांडपाल जी सरकारी पक्ष के आदमी हैं । उन्होंने यह कह कि . . . .

श्री अधिष्ठाता—आप माननीय कांडपाल जी की शंका दूर कर दें कि वह इस बिल से हारेंगे या जीतेंगे ।

श्री देवनारायण भारतीय—उस पर मैं अपने विचार रखूंगा । सरकार की जो वन सम्बन्धी नीति है उसको उन्होंने प्रदेश के लिये घातक बताया है और शायद यह भी कहा है कि अंग्रेज विदेशी होते हुये भी शासन की क्षमता रखते थे लेकिन आज हमारी कांग्रेसी सरकार स्वदेशी होते हुये भी शासन की क्षमता से हीन है । यह एक बड़ा गम्भीर आरोप है जो माननीय कांडपाल जी ने इस विधेयक की आलोचना करते हुये सरकार पर लगाया है । मैं समझता हूं कि यह सरकार के लिये एक बड़ी चेतावनी है और सरकार को इस बात से सचेत हो जाना चाहिये । माननीय कांडपाल जी ने यह भी कहा कि इस विधेयक को ला कर के वन के सम्बन्ध में जिस नीति को सरकार अपना रही है उससे सन् १९६२ के चुनाव में सरकार के पराजित होने की संभावना है इसलिये भी सरकार के लिये अभी मौका है कि वह सचेत हो जाय और अपनी इस घातक नीति को बदल दे ।

माननीय प्रताप सिंह जी ने जो संशोधन पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं कि यह विधेयक एक प्रवर समिति को भेज दिया जाय सात दिन के लिये और उसको इस विधेयक की परिधि भी बढ़ाने का अधिकार हो । इस विधेयक को सरकार इसलिये ला रही है कि जो मौजूदा वन सम्बन्धी कानून है उसमें कुछ त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों का सुधार हो जाय परन्तु मैं समझता यह

हूं कि जो त्रुटियां वन सम्बन्धी कानून में हैं, वह त्रुटियां, इस विधेयक द्वारा जहां तक जनहित का प्रश्न है, और भी ज्यादा भयानक हो जायंगी। इसलिये इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता है। मेरे मित्र गोविन्द सिंह जी ने बहुत सी दलीलें इस बात के पक्ष में दीं, उनको मैं दोहराना नहीं चाहता लेकिन थोड़ी सी बातें अवश्य कहना चाहता हूं जिनके द्वारा मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि सरकार इस विधेयक को प्रवर समिति में जाने दे।

(इस समय २ बज कर २० मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त, पीठासीन हुये।)

सब से पहले मैं विस्थापितों की समस्या पर प्रकाश डालूंगा। सन् १९४७ में हमारे देश का विभाजन हुआ और हमारे देश के हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दो टुकड़े बने। उस समय एक बड़ी भारी जनसंख्या पंजाब से विस्थापित हो कर हमारे प्रान्त में आ कर बसी और उनमें से बहुतों ने जो कृषि का अनुभव रखते थे, कृषि करने वाले थे, उन्होंने हमारे प्रान्त में आ करके तत्कालीन ज़मींदारों से एक बहुत बड़ी तादाद में जंगलों को पट्टे पर लिये। ज़मींदारों को उन्होंने नज़राना दिया और अपना खून पसीना बहाकर उन्होंने लाखों एकड़ ज़मीन कृषि के योग्य बनाई और आज भी उस पर कृषि कर रहे हैं। कुछ ऐसी भी भूमि है जिसको पट्टे पर लेने के बाद वह नहीं तोड़ सके और वह भूमि आज भी पट्टे में होते हुये जंगल की ही शकल में है लेकिन उस पर जो लगान था उसको भी वह साल ब साल बराबर अदा करते आ रहे हैं। आज सरकार उन जंगलों की भूमि को उनसे छीन लेना चाहती है और साथ ही उस भूमि को भी छीन लेना चाहती है जो कि उन्होंने जंगल को तोड़ कर कृषि योग्य बनाई आज उस पर कृषि कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस कानून से हमारे प्रदेश का नुकसान होगा। आज हमें सब से अधिक अन्न उत्पादन बढ़ाने की प्रदेश में आवश्यकता है और इस कानून के बन जाने से अन्न के उत्पादन में कमी आयेगी।

दूसरी बात यह कि पंजाब से विस्थापित लोग आकर के हमारे प्रदेश में जगह-जगह पर जहां कहीं जगह मिली वहां आबाद हो गये हैं और अब १०, १२ वर्ष का समय बीत जाने पर वे अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं और समाज की सेवा करने योग्य भी बन गये हैं। ऐसी परिस्थिति में उन्हें फिर से विस्थापित करना सरकार के लिये घोरतम अपराध होगा और इससे ऐसी विद्रोह की लहर हमारे प्रदेश में पैदा होगी जो सन् १९६२ के चुनाव में, वास्तव में जैसा कांडपाल जी ने कहा, हमारी सत्तारूढ़ कांग्रेस को भस्म कर देगी। मैं समझता हूं कि कांडपाल जी की चेतावनी से सरकार को लाभ उठाना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि हमारे प्रदेश में ज़मींदारों के बहुत से जंगल अपने भी थे और जमींदारी ज़ब्त होने के साथ-साथ वे सरकार के अधिकार में चले गये। ज़मींदारी ज़ब्त होने से पहले ही सरकार ने कुछ जंगलों को क़ानून बना कर अपने हाथ में ले लिया था। उन जंगलों की लकड़ी, घास आदि हमारे ग्रामवासी जलाने के काम में लेते थे, अपने छप्पर बनाने के काम में लेते थे और उन जंगलों की अनेक पैदावारों से अपनी आमदनी करते थे। लेकिन जब से वे जंगल सरकार के अधिकार में गये तो वे अधिकार जो वहां की जनता को जमींदारों के रहते हुये प्राप्त थे, जनता से छिन गये। मैं चाहता हूं कि वे जंगल ग्राम सभाओं को दे दिये जावें और जनता के वे सब अधिकार सुरक्षित कर दिये जावें जो पहले वे उपभोग करते चले आते थे। वे वहां से लकड़ी लेते थे, घास लेते थे.....

श्री प्रतापसिंह—मान्यवर, कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री देवनारायण भारतीय—मैं निवेदन कर रहा था कि जो जंगल सरकार ने ज़मींदारों से लिये थे और जो आबादी के क़रीब के हैं, जिनका रक़बा गांवों के रक़बे में शामिल है, उन जंगलों को ग्राम सभाओं के अधीन कर दिया जाय, जिससे वहां की जनता को जो कष्ट उन जंगलों के सरकार के अधिकार में दिये जाने से हो गया है वह दूर हो जाय। मैं समझता हूं कि इन बातों का समावेश इस विधेयक में नहीं है। इसलिये मैं अधिक न कह कर माननीय प्रताप सिंह

[श्री देवनारायण भारतीय]

जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति को भेज दिया जाय जिससे वहां इसमें आवश्यक सुधार हो सकें।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—अधिष्ठाता महोदय, मैं इस इंडियन फारेस्ट संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं।

इस विधेयक पर २ संशोधन इस आशय के पेश किये गये हैं कि इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाय। मुझे इसमें कोई विशेष आपत्ति नहीं होती, परन्तु मैं यह महसूस करता हूं कि हमारे नियमों के अन्तर्गत इसकी परिधि बढ़ाना हमारे लिये सम्भव नहीं होगा। इसलिये इसे प्रवर समिति में या संयुक्त प्रवर समिति में भेजने से सिवाय समय लगने या विलम्ब होने के कोई लाभ होने वाला नहीं है।

इस विधेयक के सम्बन्ध में एक आशंका राजा वीरेन्द्रशाह जी ने पेश की कि जिन काश्तकारों के पास ये जमीनें हैं वे जब्त हो जावेंगी और उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। मान्यवर, जहां तक मैं विधेयक को समझ सका, उसमें कहीं भी जमीन के जब्त होने की बात नहीं है। इसमें तो केवल यह है कि वनों की रक्षा के लिये सरकार को अधिकार होगा कि १५ वर्ष के लिये उन्हें अपने अधिकार में ले ले। यह भी लिखा है कि उनकी बची हुई आमदनी उनके मालिकों को दे दी जायगी।

एक बात रामलखन जी ने कही कि हमारे हजारों एकड़ जंगल कट गये। मैं भी यह महसूस करता हूं कि जंगलों के लगाने की या काटने की हमारी सरकार की कोई स्थिर नीति नहीं रही है। जमींदारों के तो कटे ही, साथ ही सरकार का भी कितना ही वन का रक़बा कई मौक़ों पर कटा। जब हमारे प्रदेश में अधिक अन्न उपजाने की लहर चली, बिना किसी प्लान्ड मैथड के, जंगल काटे गये। जब यह महसूस हुआ कि जंगल को बचाया जाय तो एफ़ारेस्टशन का तरीक़ा सूझा। इसलिये जंगलों के सम्बन्ध में हमारी कोई कनसिस्टेंट नीति होनी चाहिये। एक उदाहरण मैं सरकार की ख़िदमत में पेश करना चाहता हूं। एक तरफ तो सरकार यहां तक आगे जाती है कि पट्टेदारों से भी जमीन लेना चाहती है और कहती है कि अगर वहां जंगल नहीं हैं, कट गये हैं तो नयी पौध लगायी जायेंगी और दूसरी तरफ मुझे याद पड़ता है कि पीलीभीत कालोनाइजेशन नाम की एक स्कीम उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू की है जिसमें ८५ या ८८ लाख रुपया ख़र्च किया जायगा। पीलीभीत के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने बताया था कि इतने हज़ार एकड़ जमीन पीलीभीत में बेकार पड़ी हुई है जिस पर कालोनाइजेशन किया जा सकता है। कई साल के बाद जब जमीन का सर्वे किया गया तो यह बतलाया गया कि यह जमीन खेती के क़ाबिल नहीं है। तो आज जंगल विभाग से ७,५०० एकड़ जमीन की मांग की जा रही है कि उस पर सरकार कालोनाइजेशन करेगी। यह बात सही है कि जंगल विभाग ने अभी तक सहमति नहीं दी है। लेकिन आप से मेरा निवेदन है कि आप इस बात को देखें कि जंगल की जमीन को कालोनाइजेशन के लिये इस्तेमाल न किया जाये।

मान्यवर, जहां तक इस विधेयक का संबंध है, जैसा कि मैंने शुरू में ही अर्ज़ किया, इसमें ४ संशोधन किये गये हैं। पहला यह कि जब जमींदारी टूटी थी तब जमींदारों ने अपनी वन भूमि के पट्टे कर दिये थे वह लोग जंगलों को साफ़ कर देना चाहते थे उनको रोकने के लिये १९५६ में कानून बनाया गया था लेकिन उससे पर्याप्त लाभ नहीं हुआ। पेड़ काटने पर तो कन्ट्रोल लगाया गया लेकिन फ़ारेस्ट को बढ़ाने में सरकार कामयाब नहीं हो पायी थी। इसलिये सरकार ने इस अधिकार को लेने की बात कही है। दूसरा संशोधन इसमें यह है कि जुर्माने को ५० रुपये से बढ़ा कर ५०० रुपया कर दिया जाय। यह बात सही है कि आज वक्त को देखते हुये कीमतें बहुत बढ़ गयी हैं। २७ साल पहले का यह कानून है। इसलिये यह संशोधन उचित ही मालूम पड़ता है। तीसरा संशोधन इसमें यह है कि इसमें बजाय बैलगाड़ी के वेहिकिल्स कर दिया गया है जिससे स्मगलिंग को रोका जा सके और उसमें ट्रक्स जो इस्तेमाल होती हैं, उनका भी समा-

वेश हो जाय। इसके अलावा गढ़वाल के सोयम वनों को पंचायतों को सुपुर्द करने की बहुत दिनों से मांग रही है, लेकिन वह मांग बहुत दिनों से होने पर भी पूरी नहीं हुई। उसके लिये भी नियमों में संशोधन की बात कही गयी है। पर्वतीय जिलों के निवासियों की और उस क्षेत्र के विधायकों की वन सम्बन्धी हमेशा से ही कुछ शिकायतें रही हैं। इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि पर्वतीय क्षेत्र के लोगों के लिये वन जीवन का आधार हैं और उनको सैकड़ों सालों से कुछ हकूक़ मिले हुये थे, लेकिन आज चाहे सरकारी नियमों के कारण हों या आपके अधिकारियों की अनुभवहीनता के कारण हों, उन लोगों को काफी कठिनाई हो गई है। इसके लिये एक फैक्ट फाइन्डिंग कमेटी सरकार की ओर से बिठाई गयी थी जिसको बने हुए एक डेढ़ साल हो गया उसने अपनी रिपोर्ट भी दे दी, लेकिन मैं नहीं समझ सका कि अब तक उस को हाउस के सामने क्यों नहीं रखा गया है। वह रिपोर्ट हाउस के सामने आनी चाहिये कि उन्होंने क्या क्या सिफारिशें कीं और यह भी बताना चाहिये कि क्या वजह है कि सरकार उन सिफारिशों को क्यों नहीं मानना चाहती।

एक बात यह भी कही गयी कि केवल वनों का संरक्षण ही काफी नहीं है बल्कि उनके द्वारा जो उपज होती है उसकी भी सही कीमत मिलनी चाहिये। इस बारे में हाउस में दो तीन उदाहरण भी दिये गये। जंगलों की एक प्रोडक्ट लीसा होती है जिसका इस्तेमाल इन्डियन टरपेन्टाइन कंपनी बरेली करती है। सन् १९४२ में जब कि यह सरकार यहां नहीं थी और हममें से बहुत से साथी जेलों में थे, उस समय कानपुर के एक उद्योगपति को लीसा देने का २० साल का एग्रीमेंट किया गया था आजादी के बाद बहुत से मुआहिदों को,ख़त्म किया गया जो कि जनहित में नहीं थे लेकिन इस बारे में पब्लिक इन्टरेस्ट का ख़याल नहीं किया गया है। कहा जा सकता है कि पहले यह कंपनी प्राइवेट थी और आज सन् १९५० के बाद से इसमें सरकार के ७९ प्रतिशत शेयर है लेकिन आज भी एक प्रकार से यह प्राइवेट कन्सर्न ही है, पब्लिक नहीं है। लेकिन यह बात कही जा सकती है, कि उस मुनाफे का बहुत बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट को ही आता है। लेकिन अगर आंकड़ों को देखा जाय तो जिस भाव में लीसा कंपनी को दिया जाता है वह कोआपरेटिव सोसाइटीज़ को दिये गये लीसे के भाव से ३, ४ रुपया मन कम है। अब तक प्रति वर्ष ३ लाख मन लीसा दिया जाता था लेकिन अब ५ लाख मन दिया जाया करेगा क्योंकि उसकी कैपेसिटी बढ़ गयी है। तो इस तरह से लीसा कम कीमत पर देने से विभाग को २० लाख रुपये का घाटा होता है। जिस भाव पर आक्शन किया जाता है उसका अन्तर ११,१२ और १४ रुपया मन तक बैठता है और इस हिसाब से करीब ६० लाख रुपया का फ़र्क़ कीमत में जाकर पड़ता है। अगर आधा हिस्सा भी मुनाफे में मिल जाता तो हम समझ सकते थे कि एक तरफ जो वन को घाटा होता है वह दूसरी तरफ मेकप हो जाता है, लेकिन वह भी नहीं होता। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि इतने साल तक आपने जो निभाया वह निभाया लेकिन अब उसकी मियाद ख़त्म होने को है, अब उस एग्रीमेंट को दोहराया जाय और उनसे उचित कीमत ली जाय।

इसी तरह से कत्थे की बात है। बरेली की कत्था फैक्टरी को जो खैर के पेड़ दिये जाते हैं उनकी दूसरी कीमत है और भारतीय कम्पनीज़ को दूसरी कीमत पर दिये जाते हैं। विदेशी कम्पनी को सस्ते रेट पर आप दे रहे हैं और अपनी भारतीय कम्पनियों को अधिक रेट पर दे रहे हैं। पार्लियामेंट सेक्रेटरी साहब सिर हिला रहे हैं, अगर मैं ग़लत होऊं तो वह ठीक कर दें, जहां तक मेरी ४–६ मास पहले की जानकारी है उस के अनुसार मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इधर कोई तब्दीली हुई हो तो मैं नहीं कहता, वह बता दें लेकिन जैसा मैंने कहा अभी तक बात ऐसी ही है। मेरे कहने का मतलब केवल यही है कि किसी के साथ कोई डिसक्रिमिनेशन, फेवरटिज्म या तरफदारी का व्यवहार नहीं होना चाहिये।

इसी तरह की एक और मिसाल दी गई, हालांकि उसका इस विधेयक से सीधा सम्बन्ध नहीं है। स्टार पेपर मिल को लकड़ी देने की बात कही गई। मैं इसको नहीं मानता कि आप ने जो ट्विस्टेड वुड पेपर मिल को दी वह नहीं देना चाहिये लेकिन देखना यह है कि अगर वह

[श्री नवलकिशोर]

लकड़ी पल्प बनाने के लिये दी गई तो क्या वह उस काम में ही वहां इस्तेमाल हुई या नहीं, अगर हुई तो कोई एतराज नहीं है लेकिन अगर पल्प बनाने के बहाने से उस को लेकर बाजार में बेच कर, ७ पैसे मन की लकड़ी को ज्यादा दामों पर बेचा गया है तो वह बहुत नामुनासिब बात है। इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिये और उस पर उचित कार्यवाही करनी चाहिये।

और भी बहुत सी शिकायतें मेरे दोस्तों ने कीं, मैं समझता हूं कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब मौजूद थे उन्होंने उन को नोट किया होगा। वह उन शिकायतों को देखेंगे। कहा गया कि वन विभाग के अफसरान १ रुपया सेर घी खरीदते हैं और १ रुपए का दस सेर गेहूं खरीदा जाता है, माननीय वीरेन्द्र शाह जैसे, जिम्मेदार भाई ने यह बात कही है तो जरूर इस तरह की बातें होंगी, इन बातों की जांच होनी चाहिये और उसके बाद अगर वह साबित हों तो दंड मिलना चाहिये, केवल किसान को ही एक खपच तोड़ लेने पर ५० रुपया जुर्माने की सजा न होनी चाहिये।

एक बात और कहूंगा, यद्यपि उससे इस विधेयक का कोई सम्बन्ध नहीं है। हमारे कुछ दोस्तों ने मौजूदा चीफ कन्जरवेटर आफ़ फारेस्ट के एक्सटेंशन के बारे में कहा, इस चीज का कोई वास्ता इस बिल से नहीं था लेकिन मैं भी एक बात यह महसूस करता हूं और मुझे याद है कि भारतीय सर्विसेज की यह परम्परा रही है कि आमतौर से उन लोगों को कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाता है, मैं भी उन लोगों में से हूं, जो एक्सटेंशन के फेवर में नहीं हैं और न रहा हूं लेकिन अगर उन को एक्सटेंशन दिया जा रहा है तो इस बात को साफ़ होना चाहिये कि किस तरह से वह विभाग के लिये इनडिस्पेंसेबिल हैं और क्या उसका जस्टिफिकेशन हो सकता है और जैसा कि मेरे साथी ने कहा कि पता नहीं क्यों ३ साल का एकदम एक्सटेंशन दिया जा रहा है। इन चीजों से जो भ्रम फैलता है कि पक्षपात बरता जा रहा है, वह दूर होना चाहिये। इसका सम्बन्ध विभाग की नीति से है इसलिये यह आवश्यक है कि इस तरफ मंत्री जी अवश्य अपना ध्यान दें।

एक और बात कह कर खत्म करना चाहता हूं और वह यह कि जो बातें यहां कही गईं और विशेष तौर से जो कांडपाल जी ने कहा, अपनी कठिनाइयां और दिक्कतें बतायीं, यहां तक कहा जो पंचायतें आलरेडी हैं जिनको सरकार अपनी आमदनी में से १, २ परसेंट देती है उनका भी हजारों रुपया सरकार के पास है। तो मैं मंत्री जी से कहूंगा कि यद्यपि उन बातों का इस विधेयक से सम्बन्ध नहीं है, लेकिन फिर भी वे उन सब कठिनाइयों को देखें और जो एक कामप्रीहेन्सिव रिपोर्ट बनी थी उस की रिपोर्ट जल्द से जल्द पेश करें।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—मेरा भी एक संशोधन है।

श्री अधिष्ठाता—इस प्रकार कहने से काम नहीं चलेगा। मैं आपका ध्यान रखता हूं लेकिन यह तरीक़ा ग़लत है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—अधिष्ठाता महोदय, इस विधेयक को जो मैंने देखा तो एक आध खंड को छोड़कर जो हिन्दी में है बाकी अंग्रेजी में होने के कारण समझ नहीं पाया, लेकिन उसके उद्देश्य और कारणों से सरकार की नीयत का पता लगता है। क्या नीयत है? दूसरी लाइन में उद्देश्य और कारणों का एक जुमला छपा है "ज़मींदारों ने बहुत से वन-क्षेत्रों को पुनरुद्धार और बाद में कृषि प्रयोजनों के निमित्त प्रयोग में लाये जाने के लिये पट्टे पर उठा दिया था।" क्या जुर्म किया था? अगर जमीन कृषि के निमित्त उठा दी थी तो बड़ा भारी गुनाह किया था और उसी का बदला लेने के लिये यह विधेयक आया है। एक तरफ़ तो कृषि मंत्री कहते हैं कृषि का उत्पादन घटता जा रहा है, खाद्य मंत्री कहते हैं हमारे पास खाद्यान्न नहीं हैं और एक तरफ़ वन मंत्री कहते हैं, माफ़ कीजिये अधिष्ठाता महोदय, क्योंकि रूलिंग हो चुकी है कि वन मन्त्री नहीं कहा जा सकता है, इसलिये मैं वित्त मंत्री कहूंगा, तो वित्त मंत्री कहते हैं नहीं, कृषि निमित्त जो उठा दिये गये हैं वे सब छीन लिये जायं। आपस में तीनों मंत्रियों की बात में विरोधाभास है। समझ में नहीं आता कौन सी बात असली है या तीनों बातें नकली हैं।

आगे उन्होंने कहा है "राज्य के व्यापक हित की दृष्टि से इन वनों का संरक्षण नितान्त आवश्यक है।" राज्य का व्यापक हित तो मंत्री जी को बहुत प्रिय है मगर जनता का व्यापक हित जिन्होंने १५ साल से जमीन का मजरुआ किया है, अपने बच्चों का और अपना हाड़ मांस गला दिया है, न मालूम कहां से लायी हुई सम्पत्ति तलवार की धार से बचाकर पाकिस्तान से लाये थे वह भी गला दी। उनका भी कोई हित कहीं पर व्यापक है? और अगर नहीं है तो मंत्री जी का यह कहना कि राज्य के व्यापक हित की दृष्टि से इन वनों का संरक्षण नितांत आवश्यक है, मैं समझता हूं यह हित गलत है।

इसी तरह से उद्देश्य और कारणों के पैरा २ की पहली लाइन में लिखा हुआ है "वन सम्बन्धी अपराध के मामलों में कार्यवाही करने में वन अधिकारियों को बड़ी कठिनाई अनुभव होती है। इस धारा के अधीन वनाधिकारी किसी वन सम्बन्धी अपराध के मामले में उस व्यक्ति से जिसके द्वारा ऐसा अपराध किये जाने का संदेह हो, प्रतिकर स्वरूप जो ५० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकार करके उसमें राजीनामा कर सकता है....।" यानी अपराध किये जाने का संदेह हो। वन के किनारे रहने वाले किसान जंगल के अन्दर टट्टी फिरने भी गये तो संदेह पैदा हो गया, गिरफ्तार किये गये और सज़ा हो गई और ५०० रुपये की तो उनकी झोपड़ी भी नहीं होती है। जंगल के किनारे पक्के मकान बिरले ही देखने को मिलेंगे। अगर यहां के रहने वालों पर पांच सौ रुपये जुर्माना हो गया तो उनकी बैल बधिया और छप्पर सब देकर भी उन्हें फुरसत नहीं मिलेगी। कोई किसान टट्टी गया या मूतने गया तो उस पर संदेह होगा। यहां अंग्रेजों की तरह तो प्रथा है नहीं, यहां तो हिन्दुस्तानी तरीके में देहातों के अन्दर लोग टट्टी फिरते हैं मैदान में...

श्री अधिष्ठाता—यह टट्टी और मूत की बात हटाइये, कोई और बात कहिये।

श्री शिवप्रसाद नागर—मैं तो संदेह के लिये कह रहा था कि लोग इस प्रकार के कामों को करने में भी संदेह में पकड़े जायेंगे। तो इसके उद्देश्य और कारणों को देखने से यह पता चलता है कि ४,६,१० मील के भीतर कोई बस नहीं पायेगा, कोई खेती नहीं रह जायगी।

तीसरा पैराग्राफ इसी उद्देश्य और कारण में इस प्रकार लिखा हुआ है:—"इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ की धारा ५२(१) में रक्षित वनों में कोई अपराध करने में प्रयुक्त समस्त औज़ारों, नावों, बैलगाड़ियों या पशुओं को जब्त कर लेने की व्यवस्था है।" इसका अर्थ यह हुआ कि वन प्राधिकारी ट्रकों, बसों, ट्रैक्टरों, साइकिलों को जब्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये इस धारा के अन्दर नही आतीं। इसमें एक बात रह गयी। माननीय मंत्री जी को कारों को और लिखना था। अगर बसें लकड़ी चुरा सकती हैं, अगर ट्रैक्टर्स लकड़ी चुरा सकते हैं और यहां तक कि साइकिलें शहतीर साखू को बांध सकती है तो फिर कारों में चार पहिये होते हैं उनमें चोरी का बहुत डर है। कार इसमें सम्मिलित नहीं की गयी है। वह लखनऊ में रहती है ज्यादातर इसलिये ही नहीं रखी गयी है। अगर साइकिलों के सम्बन्ध में यह कानून लागू होता है तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा काला कानून कभी ब्रिटिश हुकूमत के समय में नहीं बना जैसा यह विधेयक बनाया गया है। मैं माफी चाहता हूं और विनम्र निवेदन करता हूं कि हिन्दी में इसका तर्जुमा होने के कारण शायद माननीय मंत्री जी ने इसको पढ़ा नहीं होगा। इसके अनुसारतो अगर साइकिल वन के बीच से निकल जाय तो बस संदेह पर साइकिल फारेस्ट गार्ड साहब ने रोक ली और डी० एफ० ओ० साहब के बंगले सुपुर्द वह हो गयी। अजीब कानून है। इसकी विचित्रता तो मेरी समझ में नहीं आती।

जिस वक्त यह कानून लागू होगा तो वनों के क्षेत्र में एक बड़ा भीषण आन्दोलन खड़ा हो जायगा और इतना भयानक आन्दोलन वह होगा कि वनों के क्षेत्र के कांग्रेसी सदस्य एक बार वित्त मंत्री के बंगले पर इकट्ठा हो कर उस आन्दोलन का प्रदर्शन करेंगे जो वे उस क्षेत्र में देखकर आयेंगे। यह बड़ा भयानक लक्ष्य है तो इसको निकालना चाहिये। ट्रैक्टर वहां चलता है उस फार्म के पास वन के बीच में यदि फारेस्ट रोड है और कोई दूसरी सड़क नहीं है, जिसमें ट्रैक्टर की गुजरान हो और ट्रैक्टरउस रास्ते से गुजरेगा तो वह रोक लिया जायगा, वे हैरेस किये जायेंगे, इस कानून का

[श्री शिवप्रसाद नागर]

बेजा इस्तेमाल होगा, खेतीबाड़ी चौपट होगी, किसान तबाह हो जायेंगे और घबड़ाकर वह ट्रैक्टर बेचेंगे, कृषि का उत्पादन घटेगा, खेती नष्ट होगी । इसलिये बड़े ताज्जुब की बात है कि इस तरह का विधेयक आया है । अरे, बसें तो सवारियां ढोती हैं, उसमें शहतीर कैसे आ सकती है ? कौन सी लकड़ी है जो उसमें आ सके ? उसमें सीटें इतनी होती हैं कि लाठी तक रखने की गुंजाइश नहीं होती है, आज भी जब बसों में कोई किसान बैठा होता है और उसके पास लाठी होती है तो उसको अपनी लाठी रखना मुश्किल होता है । भला उस बस में जंगल के शहतीर चोरी चले जायेंगे ? किस दृष्टिकोण से यह संशोधन तैयार किया गया है, बड़ी विचित्र बात है । इसलिये मैं समझता हूं कि जंगल के क्षेत्रों के रहने वालों से सलाह ले कर यह संशोधन तैयार किया गया होता तो बहुत अच्छा होता । मगर खस की टट्टियों में, मंद मंद खुशबू आने वाली जगहों पर और कूलर लगी जगहों पर बिजली के पंखों के नीचे यह बिल तैयार किया गया है । बड़ी हैरत होती है इसके उद्देश्य और कारण को देख कर । इसके उद्देश्य और कारण कुछ और हैं और छपे और कुछ हैं ।

एक बात की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । बहुत लम्बा चौड़ा रकबा वनों का है । अगर उतनी लम्बी चौड़ी तकरीर जंगलों के किनारे शुरू कर दूं तो रीछ भालू और भेड़िये सब निकल आते लेकिन यह भाषण इस सदन में हो रहा है । जंगल के किनारे रहने वाले जो जंगल के सहारे बसते हैं, खाते हैं, जानवर चराते हैं, फूंस और बांस से अपनी झोपड़ी और छाता बनाते हैं वे वहां पर इस प्रकार रहते हैं जैसे जंगलों में पशु रहते हैं । उन गरीबों पर जुल्म ढाने के लिये यह विधेयक लाया गया है । उन पर रहम व तरस आना चाहिये जो ५० रुपये की पूंजी नहीं रखते लेकिन ५०० रुपये का जुर्माना आप उन पर आयद करने जा रहे हैं । क्या लखनऊ के लोग वहां जुर्माना देंगे ? जुर्माना देंगे खीरी और पीलीभीत के लोग जो मकई और धान पैदा करते हैं । ५० रुपये के बजाय ५०० रुपये का जुर्माना रखा गया है यह बड़ा काला कानून है यह कानून उन किसानों को जिन्दा फूंक देगा जो वनों के किनारे बसने वाले हैं ।

पृष्ठ ८ में की तीसरी पंक्ति में लिखा गया है कि वनों की हालत गिर चुकी है । इसका जिम्मेदार कौन है ? जिम्मेदार है यह सरकार प्राइवेट फारेस्टों में जिनको जमींदारों ने छोड़ा था, कत्थे के पेड़ थे और वनों के कर्मचारियों ने कत्था बनाने के लिये ठेकेदारों से लम्बी रकमें ले कर बिना आक्शन के पेड़ कत्था बनाने के लिये बेच दिये ।

श्री अधिष्ठाता---इसका बिल से कोई सम्बन्ध नहीं है । दूसरे माननीय सदस्य ज्यादा डिटेल्स में जा रहे हैं । जब वह दफा आयेगी तो उस पर बहस वह कर लेंगे ।

श्री शिवप्रसाद नागर---मैं किसी दफा पर नहीं बोल रहा हूं । उद्देश्य और कारण पर बोल रहा हूं । पृष्ठ ८ पर आप देखें कि जिस नीयत से वह बिल बनाया गया है उसमें तीसरी लाइन में यह दिया हुआ है कि वनों की हालत गिर चुकी है । किसी धारा या क्लाज से इसका मतलब नहीं है । इस बिल के बनाने का मंशा यह है कि वनों की हालत गिर चुकी है । वनों की हालत इसलिये नहीं गिरी कि वहां के किसान पेड़ों की पत्ती तोड़ लेते हैं या शहतीर उठा लेते हैं । इसलिये गिरी है कि वहां के कर्मचारियों ने ठेकेदारों को प्राइवेट तरीके से चोरी से कत्था बनाने की इजाजत दी । लखीमपुर के जंगलों में सैकड़ों मील तक ठूंठ लगे रह गये हैं और पेड़ कट गये । जब कत्था बन गया और जंगल कट गया तो सिर्फ दो बोरे कत्था वहां पर बरामद किया और कह दिया गया कि तुम्हारा चालान किया । लाखों रुपये का बंटवारा ठेकेदारों और वन कर्मचारियों के बीच हो गया, उनका फायदा हो गया और दो बोरे की जगह पर चार बोरे का जुर्माना हो गया और वह जुर्माना दोनों ने मिलकर भुगतान कर दिया । जो कत्थे के जंगल कट गये हैं, मंत्रीजी किसी दिन चलें, वहीं बेलरायें, तिकुनिया में मेरी ससुराल है, मंत्रीजी को भी शिकार का शौक है और मुझे भी शिकार का शौक है, मैं उनको दिखलाऊं । माननीय सुरथ बहादुर शाह भी वहीं के रहने वाले हैं, उन्होंने भी जो कत्थे के जंगल छोड़ दिये और जो सरकार के

जंगल बन गये उनको किस तरह से आपके वन विभाग के लोगों नें नष्ट किया। तो वनों की हालत गिरी इसलिये। इसलिये नहीं गिरी कि उनके किनारे बसने वाले किसान ने उनको नुकसान पहुंचाया हो।

वनों की हालत इसलिये और भी गिरी है कि, जैसा कहा गया हमारे एक समधी हैं लखीमपुर में, वह कत्थे का काम करते हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, कानपुर में भी उनकी दूकान है, मैंने उनसे पूछा कि एक कत्थे के पेड़ की कितनी कीमत पड़ती है तो उन्होंने बताया कि २०० रुपये से कम किसी हालत में नहीं पड़ती है मगर ३१ रुपये ६ आने में वुड प्रोडक्ट, बरेली, को वे दे दिये गये। अरे, अब तो वे बहुत फायदा उठा चुके, ५ वर्ष की सरकार और १० वर्ष का ठेका, हाथ भर की ककड़ी और ९ हाथ का बीज। तो अधिष्ठाता महोदय, वनों की हालत इसलिये गिरी कि जब सस्ते पेड़ फैक्टरी वालों को दे दिये गये तो उन्होंने उनको ऐसे काटा जैसे किसान अपनी खेती को काटता है और हमसे कहते हैं कि ५० के बजाय ५०० रुपये किसान पर जुर्माना कर देंगे। हमको तो देना ही पड़ेगा लेकिन उन पर कुछ नहीं करेंगे जिन्होंने दस वर्ष का ठेका ले कर जंगलों को जड़ से साफ कर दिया।

बड़े ताज्जुब की बात है कि अभी नवल किशोर जी और दूसरे सदस्यों ने भी जिक्र किया कि पेपर मिल, सहारनपुर को सन् १९५६ में ठेका दिया था एक साल का मगर आज तक वह पेड़ काटते चले जा रहे हैं, चीड़ के सारे पेड़ों को साफ कर दिया। सन् १९५६ से १९६० तक काटते ही चले गये। मंत्रीजी से जब कहा गया और सदन में इस बात का प्रश्न उठाया गया तो उन्होंने कहा कि एग्रीमेंट तो नहीं लिखाया गया है, अब लिखाया जायगा। तो वनों की जो हालत गिरती चली जा रही है वह आप और आपकी सरकार गिरा रही है। किसान ने तो वनों के एक एक पत्ते की इस तरह से हिफाजत की है जैसे वह अपने बोये हुये धान के एक एक पौधे की करता है और इल्जाम हमारे ऊपर कि तुम नष्ट कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर ५० के बजाय ५०० रुपये जुर्माना होगा। हम कहते हैं कि यह बड़ा भारी जुल्म होगा। ऐसा जुल्म तो अंग्रेजी जमाने में भी नहीं हुआ था। इसके अलावा, श्रीमन्, वनों की हालत गिरने का एक कारण यह भी है कि एक आना घन फुट के हिसाब से दो लाख घन फुट से ऊपर लकड़ी दे दी गयी कि बनाओ पेपर। वह ठेका खत्म भी हो गया मगर अब भी बराबर पेड़ काटते जले जा रहे हैं। और लुत्फ की बात तो यह है कि आज तक स्टार पेपर मिल, सहारनपुर में चीड़ की लकड़ी से कागज बनाने वाली मशीन अभी तक नहीं आई।

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि और उसको चुनौती देना चाहता हूं कि वह बताये कि चीड़ की लकड़ी से कितना कागज बना। नहीं बना और इसलिये नहीं बना कि सस्ती लकड़ी एक आने फीट की मिल गई जिसको वे काटते चले गये। इसलिये वनों की हालत गिर गई और इसका इल्जाम हमारे ऊपर नहीं है। इसके अलावा हमें यह भी बताया जाय कि स्टार पेपर मिल सहारनपुर से जो चीड़ की लकड़ी से कागज बनता है उसका अपने प्रदेश में सोल एजेंट कौन है? कोई नहीं है क्योंकि कागज बना ही नहीं और कागज बनता कहां से जब मशीन तक नहीं आई। इसलिये हम कहना चाहते हैं कि वनों की हालत हमने नहीं गिराई और जुर्माना जो बढ़ाया जा रहा है, यह जुल्म है, अन्याय है। इसलिये कि जो वनों को काट रहे हैं उनको रोकिये, आप अपने अधिकारियों को रोकिये जिनको आप बराबर एक्सटेंशन देते चले जा रहे हैं, उनको रोकिये जिन फैक्टरी वालों को एक सलाम झुकाने से आप फौरन उनके दस्तरखान पर वायदा कर देते हैं कि हम इतना माल देंगे। ऐग्रीमेंट तक नहीं होता और आपके मुंह से बात निकलते ही जंगल के ऊपर कुल्हाड़ी बजी और जब कुल्हाड़ी बजी तो सफाई होती चली गई और जब सफाई होते-होते सारा जंगल मैदान हो गया, तो क्या होगा, जोती ही जायगी और क्या वहां डांस होगा कि फुटबाल की फील्ड बनेगी। वह तो हल के नीचे ही आयेगी और इसके अलावा दूसरा कोई हल ही नहीं है। इसलिये श्रीमन्, जो बातें मैंने कही हैं उनका मंत्री जी जवाब देंगे और इस पर विचार करेंगे कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय।

श्री उदयशंकर (जिला बस्ती)—अधिष्ठाता महोदय, यह जो सदन के सामने विधेयक है, इसकी स्प्रिट का जहां तक ताल्लुक है इससे किसी आदमी को इंकार नहीं हो सकता कि यह अच्छी स्प्रिट है और इसके मुताबिक जंगल की तरक्की होनी चाहिये। लेकिन जो माननीय सदस्य ने अपने भाषणों में शंकायें जाहिर की हैं उनमें बहुत कुछ सच्चाई है और इस बिल में से जब तक उन शंकाओं को दूर करने की कोशिश नहीं करते तब तक इस विधेयक का मतलब यह हो जायगा कि हम जंगल के अधिकारियों के हाथ में एक और ऐसा कानून दे देंगे जिसके जरिये से वह लोगों को तंग करें। जहां फारेस्ट की डेफीनीशन की है वहां पर यह अधिकार भी रखा है कि १५ वर्ष के लिये किसी भी जमीन को अपने प्रबंध में ले सकते हैं।

नवलकिशोर जी तथा रामलखन मिश्र जी ने कहा कि यह कंफिसकेशन नहीं है लेकिन मेरी गुजारिश है कि १५ वर्ष के लिये किसी की जमीन जो उसकी जिन्दगी का सहारा है, वह उससे अगर आप ले लें तो वह कंफिस्केशन से भी बुरी चीज है। जमींदारी उन्मूलन के पहले जब कि जमींदारों के हाथ में जमीन थी, खाने की समस्या को हल करने की गवर्नमेंट की पालिसी के अनुकूल जिन्होंने जंगलों में जमीन लेकर अपने खेत बनाये, लाखों रुपया बरबाद किया, कितने सालों तक अपना खून पसीना एक करके उसको खेती के काबिल बनाया, उस आदमी की जिन्दगी वन विभाग के अधिकारी की एक निगाह में तबाह हो सकती है सैकड़ों और हजारों किसान जो जंगलों की जमीनें जोते हुये हैं उनकी गर्दन वन विभाग के अधिकारियों के हाथ में दे दी गई है। वन विभाग के अधिकारी जिस तरह से वन विभाग के सम्बन्ध में अब तक काम करते रहे हैं उससे लोगों की तकलीफ बजाय घटने के बढ़ी है। बदकिस्मती या खुशकिस्मती से हमारे मंत्री महोदय जिनको वनों से बहुत कम वास्ता रहा है, हालांकि विभाग उनके पास रहा है, वह उनकी तकलीफों को समझ भी नहीं सकते।

श्री अधिष्ठाता—दुबे जी, बस्ती में क्या वन है ?

श्री उदयशंकर—तकलीफें न समझने के कारण लोगों की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। तो जब तक आप इस कानून में ऐसी कोई तरमीम न ले आयें कि नेकनीयती से खेती करने वाले जो किसान हैं उसकी जमीन छीनने का अधिकार किसी तरह से वन विभाग के लोगों को मनमाने ढंग पर न हो तब तक इस कानून और इस तरमीम से लोगों को नुकसान ही पहुंचेगा। जहां तक वनों को बढ़ाने का सवाल है, जितनी जमीन खेती करने वालों के अलावा पड़ी हुई है उसी का विकास अगर वन विभाग ठीक ढंग से करे, उसकी पैदावार को उचित दामों पर बेचे, उसको अपनी नाजायज निजी आमदनी का जरिया न बनाये तो प्रदेश और सरकार दोनों का ही भला हो सकता है। पिछले दिनों में वन विभाग के जो कारनामें, लीसा के खैर के पेड़ों के बारे में, चीड़ की लकड़ी के बारे में रहे हैं, वह शर्म की चीज रहे हैं। उसको किसी भी तरह जस्टीफाई नहीं किया जा सकता।

जहां खेती ही लोगों का आधार हो, जहां सरकार के बढ़ते हुये खर्चे को, विकास के बढ़ते हुये खर्चे को मीट करने के लिये लोगों को अपनी आमदनी को टैक्स करके देना पड़े, और जहां सरकार की सीधी आमदनी लेनी हो, उसमें छपे हों तो यह स्थिति अधिक समय तक बर्दाश्त नहीं की जा सकती। जहां सरकार को अपनी चीजों को मुनासिब दामों पर बेचकर के पैसा लेना हो वहां वह पैसा दूसरे रास्ते से चला जाय, और उससे लोगों का नुकसान हो, तो यह ऐसी स्थिति है जिस स्थिति पर सरकार का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि इस तरह से अगर खिलवाड़ उनके साथ होता रहेगा तो अपने खर्चे को मीट करने के लिये जनता इसे बहुत दिनों तक बर्दाश्त नहीं करेगी। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

***श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह** (जिला गोंडा)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह विधेयक जो इस सदन में पेश हुआ है मानी हुई बात है कि इसके उसूल से कोई इन्कार नहीं कर सकता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि जंगलात का मुहकमा जो है और लकड़ी का जो धन है हमारे मुल्क में उसे बढ़ाना चाहिये, उसका किसी तरह से नुकसान नहीं होना चाहिये। इस बिल में विशेषता यह है कि सरकार ने जब्ती का कोई मंशा नहीं रखा है। केवल इरादा यह है कि हम जंगलात को लेकर, इन दरख्तों को लेकर उनकी हिफाजत करें। सवाल यह उठता है कि अभी भी जो मौजूदा कानून है उससे क्या हमारा यह काम नहीं निकल सकता और क्या यह बिल लाना जरूरी है या नहीं? मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि मेरे ख्याल से जो प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट है वह भी इसी मंशा से बनाया गया था और जो जंगलात निजी लोगों के पास हैं उनकी हिफाजत उस बिल के द्वारा हो सकती है। जो कानून में दफायें रखी गई हैं मेरे खयाल से अगर खूबी के साथ उनको बरता जाता तो शायद इस बिल के लाने की विशेष जरूरत नहीं रहती। मैं इस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा जैसा कि हमारे साथियों ने कहा है कि नुकसान वास्तव में सरकार की लापरवाही और सरकार के अहलकारों की गैरजिम्मेदाराना हरकतों से ज्यादा इस मामले में हुआ है।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार ने महज अपने राजनीतिक खेल के लिये, राजनीतिक चाल के लिये भी जंगलात को काफी नुकसान पहुंचाया है। मैं ध्यान आकर्षित करूंगा भूदान यज्ञ के बारे में। अगर माननीय मंत्री जी हमारे यहां चलने की तकलीफ गवारा करें तो वह देखेंगे कि सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन लोगों ने भूदान में दे दी जो कि जंगल की जमीन थी, जिन पर कि लकड़ी खड़ी थी। सरकार ने उसके लिये खासतौर से हुक्म दे दिया कि उनको आजाद कर दिया जाय लकड़ी काटने के लिये। मैं तो यहां तक कहूंगा कि न तो वह जमीन भूदान में पहुंची और न सरकार में रही, बल्कि जहां की तहां रह गई और उन जंगलों की लकड़ी बराबर कटती जा रही है। तो अगर हिफाजत का मंशा सरकार का है और जैसा कि बिल में पेश किया गया है उससे मालूम होता है कि मंत्री जी की मंशा है तो इस तरफ भी वह ध्यान दें और महज कानून लाकर और जो चन्द लोगों के पास थोड़ी सी आमदनी रह गई है उसको हड़प लेने से जंगल का खजाना कायम नहीं रह सकता। इस बिल से एक बड़ी भारी शंका उत्पन्न होती है। इससे कोई फायदा तो होगा नहीं क्योंकि इससे न तो भूदान की लकड़ी बचती है और न जैसा कि अन्य साथियों ने कहा है कि जंगलात की लकड़ियों का जिन्होंने बुरी तरह इस्तेमाल किया है उसकी हिफाजत होती है, बल्कि मुझे एक डर है .....

श्री प्रतापसिंह--श्रीमन्, कोरम नहीं है। मैं यह दूसरी दफा कोरम की कमी की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

(गणपूर्ति के लिए घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह--श्रीमन्, जैसा कि मैं निवेदन कर रहा था कि इससे एक बड़ी भारी शंका पैदा हो जाती है। अभी सीलिंग बिल इसी सदन में कुछ दिन पहले पास हो चुका है। उसमें यह कहा गया था कि जो बागात हैं या ग्रोव लैंड हैं उनको मुक्त किया जायगा। जिन कुर्सियों पर हमारे जंगलात के मन्त्री जी बैठे हुये हैं उन्हीं पर हमारे माल मंत्री और माल उपमंत्री ने बड़े जोरों से यह आश्वासन दिया था कि जो ग्रोव या बागात छोड़े जा रहे हैं वह बिला शुबहा छोड़े जा रहे हैं और उनको कोई आंच नहीं आने पायेगी। मगर इस कानून के अन्दर फारेस्ट की जो डेफिनिशन दी गई है उसके अन्दर बिला लिहाज फारेस्ट के यह माने होंगे कि किसी किस्म का दरख्त चाहे किसी इन्सान ने लगाया हो, या खुदरा पैदा हो गया हो उन सब को फारेस्ट में शरीक किया जायगा। इससे डर पैदा होता है कि आज न सही कभी आगे ऐसी कोई बात न हो कि जो हमारे बागात छोड़े गये हैं उन पर आंच आ जाय। इसलिये मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह हमारे उन संशोधनों पर गौर करें जो कि हमने इसके मुताल्लिक दिये हैं। अगर उनको दिक्कत हो तो इस सदन में अपनी नीयत और मंशा वह पूरा-पूरा जाहिर कर दें ताकि किसी किस्म की गलतफहमी न रह जाय। इन शब्दों के साथ मैं प्रताप सिंह जी के प्रस्ताव का, जो उन्होंने प्रवर समिति में भेजने के लिये रखा है, समर्थन करता हूं

[श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह]

क्योंकि इस बिल के अन्दर हम यह देखते हैं कि फायदा कम और नुकसान ज्यादा होने वाला है और मुमकिन है कि प्रवर समिति में जाने से इसमें सुधार हो और बाद में एक लाभप्रद बिल साबित हो ।

श्री सुरथबहादुरशाह--श्रीमन् अधिष्ठाता महोदय, इस समय जो हमारे वित्त मंत्री हैं और वन मंत्री भी हैं वह वास्तव में कुछ अरसा पहले न्याय मंत्री रह चुके हैं और दरअसल फाउन्डेशन या बुनियाद उनकी बैरिस्टरी की है । अगर वह वकालत के मद्देनजर से और उस नजरिये से इस बिल को पेश करना चाहते हैं और उसकी वकालत करते हैं, तब तो हम उनकी प्रशंसा करने के लिये तैयार हैं, लेकिन अगर उनकी मंशा यह कहने की हो कि नहीं, वह अवाम की बहबूदी के लिये, या वह जनता के उद्धार के लिये और अवाम की भलाई के लिये करते हैं तो मुझे बहुत नम्रतापूर्वक आपसे यह अर्ज करना है कि हमें उनकी राय से विरोध ही नहीं, बल्कि इस बिल से बेइन्तहा इख्तिलाफ होगा । श्रीमन्, हमारे वन मंत्री इस बात से वाकिफ हैं कि मेरा घर जंगल के करीब है । वह अगर जंगल के मन्त्री हैं और जंगली साहब हैं तो मैं भी एक जंगली आदमी हूं । इससे वह वाकिफ हैं । मगर जंगल के मुताल्लिक जो दुश्वारी और मुसीबत वहां पर हम लोगों को भुगतनी पड़ती है और उसका जितना अनुभव मुझको है उनको कदापि नहीं हो सकता । मैं इसके मुताल्लिक ज्यादा न कहकर इतना कहना ही मुनासिब समझता हूं कि उनकी तरफ के दो माननीय सदस्य, एक अल्मोड़ा के और दूसरे बस्ती के, इन दोनों के भाषण या तकरीरों से यह जाहिर होता है कि सरकार की यह मन्शा सिर्फ नामौजूं ही नहीं बल्कि गलत है । अगर आप उद्देश्यों का मुलाहजा फरमायें तो वह यह फरमाते हैं कि :

"On the strength of the leases so made a large section of interested parties began, or are now eager, to clearfell such forests."

यानी अपने स्वार्थ के लिये, अपने फायदे के लिये, जो कि उसमें इन्टरेस्टेड हैं, वह स्वार्थी जन अपना मकसद हासिल करने के लिये, फारेस्ट के इन्टरेस्ट को जियोपैराडाइज करके उनको साफ कर देना चाहते हैं अर्थात अपने स्वार्थ के कारण वन का सफाया करके राष्ट्र के हितों को आपत्ति में डालते हैं ।

श्रीमन्, यह किस का इंटरेस्ट या हित है ? सरकार खुद तो योजना के नाम पर, प्रगति के नाम पर, प्रास्पैरिटी और विकास के नाम पर चाहे जो करे, लेकिन अगर हमारे यहां जायज दरख्त भी काटे जायं तो वह नाजायज करार दिये जाते हैं । कमायूं की तराई में आपने जंगल के जंगल कटवा दिये, लेकिन वह सब जायज हैं इसलिये कि वहां विकास होगा, तरक्की होगी और हम अपने यहां काश्तकारी के लिये अगर एक दरख्त काट कर खेत साफ कर लें तो वह नाजायज हो जाता है । हम स्वार्थी, हम खुदगरज, हम में हुब्बुल वतनी नहीं, देश प्रेम नहीं, उस सारे की मोनापाली उन लोगों की है जो सामने विराजते हैं ।

अब मैं आप से दो तीन बातें अर्ज करना चाहता हूं । हमारे यहां जंगल के करीब की भूमि को फिर सुरक्षित करने में और उसे जंगल में शामिल करने में वह दुश्वारियां होंगी कि जिनका बयान नहीं किया जा सकता और इसका एक ही मकसद हो सकता है । अगर मंत्री जी उस मकसद को मंजूर कर लें कि वे अपने कर्मचारियों और अहलकारों को "a longe hand and bigger rope" असीमित अधिकार देना चाहते हैं, तो मैं बैठ जाऊंगा, लेकिन वह इसे तसलीम नहीं करेंगे । वह तो कहेंगे कि हम यह राष्ट्र देश और सूबे की बहबूदी और भलाई में कर रहे हैं । यह नहीं कहेंगे कि नागरिकों को ज्यादा परेशान करने के लिये कर्मचारियों को यह अधिकार दिये जा रहे हैं । हैरसमेंट की कोई इंतहा होती है । मैं मामूली सदस्य हूं लेकिन चुना हुआ हूं और ९१,००० की कांस्टीट्यूयेन्सी का प्रतिनिधि हूं । मैं आज जुर्रत रखता हूं माननीय वन मंत्री को डिफाई करने की, ललकारने की उनसे मांगता नहीं, अर्ज नहीं करता । क्या वह यह बतलाने की जहमत गवारा करेंगे कि १९५६ से तीरी जिले में उन्होंने जंगलात विभाग के

खिलाफ कितनी अपीलों को माना ? एक भी नहीं । मुहकमे में साइक्लोस्टाइल्ड पर्चे रक्खे हुये हैं कि मुहकमें ने छानबीन की और "Governor is pleased to reject your application" मैं पूछना चाहता हूं कि कितनी अर्जियां उन्होंने मंजूर की हैं ? मैं उस इलाके का हूं और मुझे उसका तजुर्बा है, अनुभव है । मैं जानता हूं कि क्या होता है ।

दूसरे १९५४ में जो गजट शाया हुआ जिसमें पूरा खाका खिंचा हुआ था और पूरे विस्तार से ब्योरा दिया हुआ था और उसके अनुसार उस जमीन को जंगल में शामिल करने के लिये खूंटे गाड़ दिये गये थे। बाद में गलती महसूस हुई, जो जाहिर थी, और वह यह कि उनको सही हालात मालूम तो थे नहीं, पटवारी ने जहां जंगल लिख दिया वहां उन्होंने जंगल मान लिया। पटवारी तो आधार होता है । मैं इसकी मिसाल इतनी जल्दी यहां सोच तो नहीं सकता, लेकिन जो मौजूदा हालत है उसके हिसाब से यह बहुत मौजूं है कि आप सुबह किसी गांव में चले जाइये, वहां के लोग जब हाजत रफा करने जाते हैं तो कहा जाता है कि जंगल गये हैं । उसी तरह से जहां पटवारी साहब ने लिख दिया कि जंगल है तो उसे मिनिस्टर साहब ने मान लिया कि जंगल है। वह फारेस्ट चाहे डेढ़ एकड़ में एक ही दरख्त हो, मगर चूंकि पटवारी ने लिख दिया है, इसलिये वह जंगल है ।

तो मैं यह अर्ज करूं कि जब इन्होंने उसमें एक लैकूना पाया और जब मुकदमेबाजी हुई, तो उसमें कुछ बातों को तो सरकार ने माना और कुछ को नहीं माना । फिर दूसरा तरीका इख्तियार किया और एक दूसरा गजट जारी कर दिया जिसमें न तो जमीन का ब्योरा दिया गया न और कुछ, केवल गांव के नाम लिख दिये गये थे । उससे जो कुछ भी समझा जाय । तो फिर अजसरे नौ मुकदमेबाजी शुरू हुई । उसके बाद भी फिर थोड़ी सी बातों को माना कुछ को निकाला गया । इसके बाद भी अजसरे नौ मुकदमेबाजी होती है । उसके बाद फिर कुछ को निकाला । यह तो ऐसा सोचते हैं कि "The king can do no wrong", यानी हम जो करें वह हमेशा सही होगा इसलिये यह कभी कोई गलती कर ही नहीं सकते। जब तक इनके अन्दर से यह भावना नहीं मिटेगी तब तक इनका जो यह कहना है कि इनके अन्दर भी देश प्रेम है, वह सत्य नहीं कहा जा सकता, वह सब झूठ होगा । अगर वाकई में इनके अन्दर प्रेम है, अगर हमारे वन मंत्री की दरअसल में नीयत ठीक है, तो मैं अर्ज करूंगा, कि वे इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजें जो कि इसकी छानबीन करे । और अगर आपका यह मकसद नहीं है, आपको कोई देश-प्रेम नहीं है, तब तो कोई बात नहीं है, अभी आप प्रश्न उपस्थित करवा दें, उधर के लोग कहेंगे हां, इधर से कहेंगे नहीं, चूंकि उनकी तादाद ज्यादा होगी, यह कह कर कि हां की संख्या ज्यादा है, वह तुरन्त पास हो जायेगा । किन्तु अगर इनकी नीयत साफ है, और जो लक्ष्य है उसे पूरा करना चाहते हैं, तो इसे तुरन्त प्रवर समिति के सिपुर्द किया जाय । इन शब्दों के साथ मैं नैनीताल के माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करता हूं और साथ ही साथ माननीय सदस्य बस्ती ने, और माननीय सदस्य अल्मोड़ा ने, जो इस प्रस्ताव का समर्थन किया है उसके लिये मैं उनको केवल धन्यवाद ही नहीं देता हूं बल्कि उनकी सराहना भी करता हूं कि उन्होंने उस दल में होते हुए भी यह हिम्मत दिखाई जो उस तरफ के अन्य किसी माननीय सदस्य को न हुई ।

दूसरी बात मैं यह अर्ज करूंगा कि इसी में आगे चल कर यह भी लिखा है--

".....Serious difficulty is experienced by the Forest Officers in dealing with forest offence cases under section 68.....".

यानी यह कहा है कि जो इनके विरुद्ध केसेज होते हैं उनके तय करने में दुश्वारियां होती हैं । किन्तु कानून के खिलाफ जहां कर्मचारियों की साजिश से जंगल के जंगल सफा करके आपस में बटवारा कर लिया जाता है वहां क्या होता है ? वह किसकी साजिश से होता है ? वह क्या उन जंगलों के करीब रहने वाले काश्तकारों की साजिश से होता है ? श्रीमन्, मैं अर्ज करूं कि खीरी जिले में दो किस्म की रेवेन्यू कलेक्ट की जाती थी--एक नकशी और खती । नकशी

[श्री सुरथबहादुरशाह]

वह होती थी कि अगर आप जमीन जोतते थे तो लगान देना पड़ता था और नहीं जोतते थे तो उस पर लगान नहीं पड़ता था। तो उस समय तहसीलदार या जमींदार जोतने वाले से लगान वसूल कर लेते थे और अगर नहीं जोतते थे तो नहीं वसूल करते थे। यह कैफियत ३ साल तक चलती थी और तीन साल लगातार जोतने पर पटवारी इन्दराज करता था अन्यथा नहीं। अब ३ साल तक इन्दराज न होने की वजह से उस खेत की दशा और कैफियत कभी जान नहीं पड़ती थी। उसके बाद खेती की प्रथा कायम हुई। यानी inspite of the fact that. . . .

श्री अधिष्ठाता—कृपा करके हिन्दी में ही बोलें।

श्री सुरथबहादुर शाह—मैं हिन्दी में ही बोलूंगा लेकिन चूंकि यह बिल अंग्रेजी में है. . . .

श्री अधिष्ठाता—आप तो सेंटेंस के सेंटेंस अंग्रेजी में बोलते हैं।

श्री सुरथबहादुर शाह—यह तो मंत्रिगण भी करते हैं, मैं ही अनोखा नहीं हूं। खैर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है मैं उसका तर्जुमा कर देता हूं।

श्रीमन्, मकसद कुछ यह था कि उसमें कल्टीवेशन यानी काश्त न हो तब भी लगान दे और जब हो तब भी दें तो उसको खेती कहने लगे और जहां नकशी थी वहां खेती हो गयी और पटवारी इन्दराज करने लगे। लेकिन नकशी के मातहत इन्दराज न होने की वजह से चूंकि उसको जंगल और झाड़ी लिख दिया था तो उसी का अब नाजायज फायदा उठा रहे हैं और उसे जंगल माना जा रहा है। अब भी खीरी के उन क्षेत्रों में, जैसे खैरीगढ़ परगना, पलिया परगना, निघासन और धौरहरा के परगने हैं, मैं दावा करता हूं कि वन मंत्री या वन उप मंत्री. . . .

श्री अधिष्ठाता—वह "वित्त मंत्री" हैं, "वन-मंत्री" नहीं हैं। कई दफा आपने "वन मंत्री" कहा है। उनका डेजिगनेशन "वित्त मंत्री" है।

समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—जब तक वन मंत्री न कहें उनका लेक्चर नहीं बनता है।

श्री अधिष्ठाता—आप अपना भाषण जारी रखिये।

श्री सुरथबहादुर शाह—वह फरमा रहे थे कि "मेरा लेक्चर नहीं बनता है" क्योंकि वह जानते हैं कि इधर से जो कुछ भी कहा जायगा उसके जवाब में वह समझते हैं कि वह किसी साहबजादे को मुनासिब जवाब देने के लिये खड़ा न कर सकेंगे। यह फिरऔनियत, यह हंसी पलटेगी और खुदा चाहेगा तो डेढ़ साल में ही पलटेगी। खैर, मैं माफी चाहता हूं।

जनाब, अर्ज यह है कि उस बात को दृष्टिगोचर न रखते हुए कि किस किस्म के कानून बनाना है, यह कहना कि चूंकि हर चीज के दाम ८—१० गुने बढ़ गये लिहाजा जुर्माना भी १० गुना बढ़ाना चाहिये तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आई० पी० सी० और सी० आर० पी० सी० में जितने जुर्माने हैं वह वित्त मंत्री ने न्याय मंत्री की हैसियत से, जब कि वह न्याय मंत्री थे, सब दुनिया की अर्निंग कैपेसिटी के हिसाब से बढ़ा दिये? तब क्यों उन्होंने उनको बढ़ाने की बात नहीं सोची?

श्री अधिष्ठाता—गैम्बलिंग ऐक्ट में उन्होंने बढ़ा दिया।

श्री सुरथबहादुर शाह—क्या सभी में उसी प्रोपोशन से बढ़ाया गया? अगर ऐसा हुआ तो इधर भी बढ़ाइये। यह सही है कि कानूनी नुक्तेनजर से कोर्ट फीस बढ़ गयी है, लेकिन सभी जुर्मानों की तादाद नहीं बढ़ी है।

खैर, तो इस वजह से कहीं पर तो लाइन ड्रा करेंगे, सीमा निर्धारित करेंगे, हद मुर्करर करेंगे या नहीं ? जंगल के किनारे की जो जमीन है आखिर वह कितनी हो, एक फर्लांग हो, एक मील हो, एक योजन, १० योजन, आखिर कितनी होगी ? लेकिन वह तो चाहते हैं कि जहां तक उनका सवाल है वह तो सब मोहमल रहे, पता न चलने पाये किसी को, और जब हमारा सवाल आये तो हमें निर्धारित कर दिया जाय। भई, वाह वाह ! सुबहानअल्लाह ! ! क्या न्याय है ? क्या मतलब है ? क्या नजरिया है। इसकी तारीफ नहीं की जा सकती।

फिर श्रीमन्, आगे मुलाहजा फरमायें। यह आगे फरमाते हैं कि;

"This will prove a more effective deterrent to habitual law breakers" यानी जो आदत से जुर्म करते आ रहे हैं उनके लिए एक किस्म की रोक करने के लिए यह ज्यादा असरदार होगा, मैं एक बात बहुत आजिजी से और नम्रतापूर्वक वित्त मंत्री कम फारेस्ट मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि क्या और जितने भी ऐक्ट्स, कानून कवायद और धारायें वन विभाग की तोड़ी जाती हैं उन पर भी आप इसी दृष्टिकोण से विचार करते हैं ? क्या उनको भी आप इसी नुक्ते नजर से देखते हैं ? उनके अहलकारान कानून तोड़ते हैं, उनके दोस्त अहबाब जंगलों में रात को बैटरी के साथ बिना लाइसेंस व परमिट के शिकार खेलते हुये पाये जाते हैं, वह थाने पहुंचाये जाते हैं लेकिन मुझे यह कहने के लिये माफ करेंगे कि जिला कांग्रेस कमेटी के हजरात तशरीफ लाकर उनको वापिस ले जाते हैं। अगर वित्त मन्त्री कम फारेस्ट मन्त्री पूछने की तकलीफ गवारा करें तो मैं दिन, तारीख, तिथि, समय और जगह अर्ज करने को तैयार हूं।

(देवरिया के श्री दीननारायण मणि त्रिपाठी द्वारा तिथि से क्या मतलब पूछे जाने पर)

चूंकि दिन और सन् बदल दिये जाते हैं उनका पता भी नहीं चलता इसलिये मैंने तिथि कहा कि वह भी मैं बतला दूंगा। मगर आप शकसंवत और हिजरी पूछेंगे तो वह भी बतला दूंगा यदि हुजूर गुरुजन हैं तो मैं भी गुरूजनों के साथ रहता हूं। मकसद यह है कि एक तरफ तो इस बात की आड़ ली जाती है कि हम कायदे कानूनों को बहुत मानते हैं और कानून तोड़ने वालों को दण्ड देना चाहते हैं लेकिन दूसरी तरफ इतनी लैग्जिटी कि हमारे आदमी जो कायदे कानून तोड़ने वाले होंगे उन पर वह लागू नहीं होगा। श्रीमन्, गांवों में, एक पंडित जी के लड़के ने एक धोबी के गदहे को मारा जिससे वह मर गया। धोबी ज्योतषी के पास पहुंचा जो कि पंडित जी स्वयं थे और उनसे उसने पूछा कि गदहा मारे क्या पाप होता है। पंडित जी समझ गये कि उनका ही पुत्र फंस चुका है इसलिये उन्होंने विचार कर कहा कि "जो होइ है हमरे सन्तोषी, तो गदहा मारे नाहीं दोषी।" तो उधर के आदमी अगर कायदे कानून तोड़ें तब भी उन पर कुछ नहीं होता, लेकिन अगर दूसरा कोई जीविका के लिये या गलती से कुछ कर डाले तो उस पर ५०० रुपये ठोंके जायं और बेदखली का मुकदमा चले।

इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या संकोच है, क्या वजह है, क्या हिजाब है क्यों नहीं आप प्रवर समिति में भेजते ? आखिर आप ही की वहां पर भी ज्यादा तादाद होगी, जो चीज यहां तय होगी वह वहां से भी तय हो सकती है। इसलिये आपका इस प्रस्ताव की मुखालिफत करना बिलकुल गलत है, इससे कोई परम्परा या ट्रेडीशन स्थापित नहीं होती।

श्रीमन्, माननीय सदस्य बांसी ने जो कहा, मैं उनके शब्द दुहराना चाहता हूं कि "सरकार अपनी भूलों का प्रायश्चित करने जा रही है"। मुझको इतनी उर्दू आती नहीं कि प्रायश्चित का तरजुमा करूं लेकिन अंग्रेजी में इसे "एटोन" कहते हैं यानी सरकार अपनी भूलों को एटोन करने जा रही है। मैं विनम्रतापूर्वक माननीय वित्त मंत्री कम फारेस्ट मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या वे उन भूलों को, उन लैकुनाज को, उन लूपहोल्स को जो कि मुनासिब थे जिनसे काश्तकार को कुछ रक्षा मिल सकती थी उनको बन्द करके हमारे भविष्य को बन्द करने नहीं जा रही हैं ? या इनका लक्ष्य यह होने जा रहा है कि अभी तक जो इन लोगों को हैरेसमेंट किया है, उसको और बढ़ाना चाहते हैं ? अगर हमारे जिले में यह हो सकता है तो जिन और जिलों में जंगलात हैं उन सब जिलों में भी होता होगा।

[श्री सुरथबहादुर शाह]

सन् ५४ से हम लोग जो जंगल के पास वाली कांस्टीटुऐंसी वाले हैं उनमें से अधिकतर लोगों की नींद हराम हो रही है। रोज एक नया दावा उन पर कर दिया जाता है। अगर एक से बचते हैं तो दूसरा कर दिया जाता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने भूमि के मुकदमे को तीन मर्तबा जीता लेकिन किसी न किसी रूप में जाकर यहां तक करना पड़ा कि लखनऊ में सरकार से अपील करनी पड़ी और यहां से साइक्लोस्टाइल पर्चा मिल गया कि Rajyapal is pleased not to gran tsuch and such

एक बात और डिफाई करता हूं, ललकार कर पूछता हूं कि मुझे बताया जाय कि कितनी अपीलें सरकार ने कीं और उसके फेवर में डिसाइड हुईं और कितनी मुद्दाअलेह काश्तकारों ने कीं और उनके फेवर में डिसाइड हुईं। आप देखेंगे कि शायद एक भी अपील काश्तकारों के फेवर में डिसाइड न हुई है और सरकार की भेजी गयी एक भी अपील खारिज न हुई होगी। इसके लिये मैं एक शार्ट नोटिस क्वेश्चन भी देने वाला हूं। आज इसलिये कहे देता हूं कि सरकार यह न कह सके कि हमको अनअवेअर या अचानक ही पकड़ लिया गया। हां तो, माननीय सदस्य बांसी ने प्रायश्चित की बात कही। उन्होंने माननीय मंत्री जी को बधाई दी और धन्यवाद दिया। मैं क्या कहूं? लखनऊ में एक कौम है जिसको काश्मीरी कहते हैं। अगर मैं उस जमाअत का होता तो वाह वाह के पुल बांध देता। लेकिन खुशकिस्मती से मैं न तो भांड हूं और न कांग्रेसी मेम्बर। लिहाजा मजबूर हूं मुझे कोई बुग्ज लिल्लाही नहीं है, मैं जहां वह तारीफ के काबिल हैं वहां उन की तारीफ जरूर करूंगा लेकिन यहां मैं उनसे मिन्नत करूंगा कि अब भी वक्त है, वह सोचें, वह अड़ें नहीं, उन की जमाअत बड़ी है हाथ उठाने वाले उन के पीछे बहुत से हैं लेकिन वह जरा गौर करें और इस को प्रवर समिति में भेजें। मुमकिन है कि सूबे के तमाम लोगों की जीविका जंगलों पर मुनहसिर न हो लेकिन कई जिले हैं कि जिन की खासी आबादी जंगलों पर निर्भर है, वही उन की जीविका के साधन हैं। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर मंत्री जी से मिन्नत और निवेदन करूंगा कि वह इस को प्रवर-समिति में भेजें और पूरी छानबीन के बाद इस पर विचार करने का मौका दें।

श्री रामचन्द्र उनियाल (जिला टेहरी-गढ़वाल)—अधिष्ठाता महोदय, पर्वतीय क्षेत्र खासतौर से वनों से घिरा हुआ है और वहां के रहने वाले पर्वतीय निवासियों ने कई सालों में लगातार इस बात की मांग की है कि वहां के लोगों की जंगलात संबंधी परेशानियों को दूर किया जाय। वहां के विधायकों ने भी माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस विषय में गत वर्ष आकर्षित किया था कि वहां पर वन विभाग ने बहुत सी परेशानियां पैदा कर दी हैं और जो मौजूदा कानून है उस के अन्तर्गत पर्वतीय लोगों के रहन-सहन में रोज की परेशानियां बहुत बढ़ गई हैं। इसी दृष्टिकोण से पिछले साल तक फारेस्ट फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी। अतः इस कमेटी ने सारे पर्वतीय क्षेत्र का दौरा भी किया। उस ने हर क्षेत्र में जाकर वहां के दीन हीन लोगों से जानकारी भी हासिल की थी कि उन की क्या दिक्कतें हैं तथा वे वन विभाग से कैसे पीड़ित हैं। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को ६, ७ महीने पूर्व दे दी। अतः खासतौर से अब पर्वतीय क्षेत्र की जनता को आशा थी कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इस विधेयक में संशोधन आयेंगे और उस क्षेत्र के लोगों को कुछ रियायतें मिलेंगी। लेकिन वह रियायतें तो रहीं दूर, अभी तक उस कमेटी की रिपोर्ट का प्रकाशन भी नहीं हुआ है और न उसकी सिफारिशों का समावेश ही इस में है। इससे आम लोगों की आशाओं पर तुषारपात हो गया। मैं टेहरी उत्तरकाशी का रहने वाला हूं, उस क्षेत्र के स्वयं जंगल भी इस विधेयक में जोड़े गये हैं।

पहले टिहरी-गढ़वाल जिला रियासत थी और अब वह उत्तर प्रदेश का जिला है इसको ११ साल मर्ज हुये हो गये। मर्जर से पूर्व बजाय वहां के वनों के प्रबन्ध तथा जन सुविधा के सुधारने के आज तो हालत और भी खराब है। अगर फारेस्ट फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की सिफारिशों की जांच के बाद यह बिल बनाया जाता तो बहुत सी दिक्कतें दूर हो सकती थीं

और पर्वतीय जनता इसका स्वागत करती लेकिन बिना उन पर गौर किये ही यह बिल पेश किया गया है। इससे साफ जाहिर है कि वन विभाग के लोगों का मन्शा पहाड़ी प्रदेश के लोगों को परेशान करने का मालूम होता है। वन के अध्यक्ष (चीफ कंजरवेटर) भी हमारे जिले में कंजरवेटर रह चुके हैं, वहां उन्होंने तमाम लोगों की दिक्कतों को देखा भी है। टिहरी के स्वयं वनों को सुरक्षित रखने के लिये जो बिल लाया गया है वह तो अब एक बहाना है। मैं नहीं समझता कि क्यों विभागीय अध्यक्ष को ११ वर्ष बाद ऐसे संशोधन लाने की आवश्यकता महसूस हुई। मेरा तो यह विचार मजबूत हो रहा है कि विभाग की एक भावना हमारे पर्वतीय क्षेत्र के प्रति ऐसी हो गई है कि लोगों को किसी न किसी प्रकार तंग किया जाय। यह जंगलात विभाग चाहता है कि ऐसे कानून बनाये जायं जिससे लोग परेशान हों, पीड़ित हों।

फ़ौरेस्ट फ़ैक्ट फाइंडिंग कमेटी के बाद जब मैंने अपने क्षेत्र में दौरा किया तो पाया कि, जो एक बार इसी माननीय सदन में प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने शायद मजाक में कह दिया था कि कभी कभी जंगल में जंगली कानून लागू होता है, जंगलात के अधिकारी उसी को गुरू मानकर कानून को ताक में रखकर सचमुच में जंगली कानून का सा निर्दयतापूर्वक बरताव कर रहे हैं। आज जिनके बिलकुल बगल में पेड़ खड़े हैं उनके घर बिलकुल उजड़े पड़े हुये हैं लेकिन उनको बिना रिश्वत दिये हुये मकान बनाने के लिये लकड़ी तक नहीं दी जाती है। अगर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पर विचार किया गया होता तो शायद इस तरह का विधेयक लाने की कोशिश ही न होती। कई सालों से लगातार पर्वतीय क्षेत्र की जनता चिल्ला रही है लेकिन मंत्री जी के कान में जू तक नहीं रेंगती कभी वहां जा कर देखने का कष्ट किया कि क्या लोगों की हालत ह ? या जो विधेयक नीचे से पर्वतीय जनता को परेशान करने वाले अधिकारियों द्वारा जैसे भी बनाया गया उसी को पेश कर दिया है। हमारी बदकिस्मती है कि जिस इलाके को आज मर्ज हुये प्रदेश में ११ साल हो चुके हैं उसका नाम भी अच्छी तरह से वन मंत्री महोदय नहीं ले रहे हैं। उसका नाम टेहड़ी कहा जा रहा है। फिर वहां की सुविधा का क्या अन्दाजा किया जा सकता है। आप जानते हैं कि हम लोग एक स्टेट में रहते थे, १९३० में वहां पर इसी कारण ढंढक हुआ था, जनता ने वहां की सामन्ती सरकार को उखाड़कर फेंक दिया था। केवल एक बार नहीं ७ बार आन्दोलन हुये। तब से आज ३० साल हो गये हैं, जहां पर स्वयं जंगल की रक्षा हेतु यह विधेयक लाया गया। हम इस प्रदेश के साथ इस तमन्ना तथा इतमीनान के साथ विलीन हुये थे कि हमारी दिक्कतें शीघ्र ही दूर होंगी, लेकिन नतीजा उल्टा हो रहा है। यह टिहरी वालों का दुर्भाग्य है कि सरकार बहुत सी हमारी दिक्कतों को समझ नहीं सकती है।

टिहरी में ४ डिवीजन हैं। टिहरी ने प्रदेश को एक भारी वन सम्पदा प्रदान की है आज पंचायत घर और स्कूल या अन्य सार्वजनिक इमारत बनाने के लिये सामान नहीं मिलता है जब तक रिश्वत न दी जाय तथा अधिकारियों को खुश न किया जाय। जब कि यह सहूलियतें हमको पिछले शासन के समय विद्यमान थीं लेकिन आज हमको दिन प्रति दिन परेशान किया जाता है। दरान्ती छीन कर हमारी मां बहनों को परेशान किया जाता है। मैं नहीं समझता सरकार की क्या नीति है और इस तरह से विभागीय अधिकारी क्यों व्यवहार करते हैं ? यदि हमारे मंत्री तथा विभागाध्यक्ष कभी ऐसे वातावरण में रहे होते तो उन्हें दर्द होता। उन्हें मां बेटियों की परेशानी ज्ञात होती। हर समय कहा जा रहा है कि जो हमारे विभागीय अध्यक्ष हैं उनकी पर्वतीय जनता के प्रति प्रतिक्रिया की भावना है तो क्यों नहीं सरकार उस पर विचार करती है। कहा जाता है कि वनों की रक्षा की जाय। कौन नहीं इसको मानेगा कि वन हमारे देश और प्रदेश की उन्नति के लिये आवश्यक हैं। यह हमारे लिये दुखदाई बात है कि १३.५ परसेंट ही जंगल हैं, उनको बढ़ाना है तभी हमारा प्रांत खुशहाल हो सकता है। लेकिन जो तौर तरीके तथा नीति इस समय अपनाये जा रहे हैं उनसे कभी भी वन बढ़ नहीं सकते हैं। एक तरफ कहा जाता है कि जंगल की सुरक्षा की जाय और दूसरी तरफ ऐशो आराम के लिये कर्मचारी गुज्जर आदि लोगों को वनों में तथा आबादी के पास

[श्री रामचन्द्र उनियाल]

चरान चुगान के परमिट देते हैं कि वे जंगलों को साफ करें। इसमें अधिकारियों को दूध और घी पौवारह हो इस प्रकार की पौवारह यहां तक मनाया जाता है।

ऐसे उदाहरण मौजूद हैं कि ठेकेदारों को मरे गिरे के नाम पर अधिकारियों के जेबों को गरम कर ज्यादा पेड़ दिये जाते हैं लेकिन बगल में जो किसान रहता है जिसने उनकी रक्षा की है और आग से बचाया है बच्चों की तरह पाला पोसा वह लकड़ी के लिये तरसता है। मेरा नम्र निवेदन है कि टिहरी में ११ साल से जंगल जैसे रहे हैं वैसे ही रहने दिये जायं। और वे उसी प्रकार पंचायतों को दिये जायं। जंगलात की जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी उसकी रिपोर्ट जब तक सरकार के सामने न आये तब तक इसमें दि इंडियन फारेस्ट विधेयक में संशोधन नहीं होना चाहिये।

मैं पर्वतीय क्षेत्र का रहने वाला हूं और इस बात को जानता हूं कि हमारी समस्यायें ही जंगलात की समस्यायें हैं और यह हमारा दुर्भाग्य है कि आज तक वे हमारी समस्यायें सुलझ नहीं पाई हैं। मैं मंत्री महोदय से अन्त में इतना निवेदन करूंगा कि वे यह न समझें कि वे पर्वतीय किसानों की सहानुभूति खो कर चैन से रह सकेंगे। वहां लोग इतने परेशान हैं कि कभी कोई बवंडर या तूफान उठ सकता है जिसको माननीय मंत्री जी दबा नहीं सकते।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--मैं माननीय प्रताप सिंह जी के संशोधन का समर्थन करता हूं। इस प्रस्ताव के दो अंग हैं। पहला अंग इस संशोधन विधेयक से संबंधित है और दूसरा इसकी परिधि बढ़ाने से संबंधित है। अगर हम इसके प्रारूप को लें तो उसका मुख्य अर्थ यह है कि भूतपूर्व जमींदारों से सन् १९५६ के विधेयक के द्वारा जो अधिकार फारेस्ट लैंड पर कर लिया गया है और बंदिश लगा दी गयी थी कि वहां पर पेड़ अनियंत्रित ढंग से न काटे जायं उस अधिकार को कुछ बढ़ाने की बात इस विधेयक के जरिये से चाही जा रही है और सरकार यह चाहती है कि १५ साल तक प्लांटेशन का अधिकार बढ़े।

पहले तो मैं वन मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं कि चार साल के बाद उन्हें यह मालूम हुआ कि प्राइवेट फारेस्ट के डेवलपमेंट की भी आवश्यकता है। १९५६ में इस विधेयक को लाने के समय सदन में इधर से कहा गया था कि बागों को काटने से रोकने की व्यवस्था कर रहे हैं लेकिन प्राइवेट फारेस्ट का प्लांट डेवलपमेंट उन ओनर्स के साथ करेंगे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। चार साल बाद मंत्री जी को वह सुझाव हमारा मंजूर हुआ जिसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं। अब वह चाहते हैं कि जो पुराने जंगलों की जमीन है उसका डेवलपमेंट हो। २० प्रतिशत कास्ट आफ मैनेजमेंट, बाकी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर चार्ज लगाकर १५ साल के लिये सरकार जमीन लेना चाहती है।

इसमें कुछ प्रश्न उठते हैं। माननीय मंत्री जी ने कोई उत्तर नहीं दिया कि सेकिंड फाइव ईयर प्लान राज्य का मौजूद है। कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है कि इतने हजार एकड़ भूमि जो प्राइवेट फारेस्ट की है उसको डेवलप किया जायगा। न बजट एलाटमेंट है। मैं नहीं जानता कि सप्लीमेंटरी बजट में क्या हो। न तो बजट अलाटमेंट है और न प्लान में प्राविधान है। लेकिन विधेयक हमारे सामने आ रहा है कि हम प्राइवेट लैंड को डेवलप करना चाहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न यह उठता है कि १५ साल के बाद जो डेवलप्ड फारेस्ट हैं उनका क्या होगा। मान लीजिये कि मैं भूतपूर्व जमींदार हूं। मेरे पास ४ सौ एकड़ है। उसको आपने ले लिया उसमें आपने सेमल के पेड़ लगा दिये, या कूंज के पेड़ लगा दिये तो १५ साल के बाद वह बड़े हो जायेंगे और वह आपके एक्सपर्ट्स की सलाह से डेवलप हो गये तो १५ साल के बाद वह ४ सौ पेड़ मुझे हैंड ओवर हो जायेंगे या क्या होगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसके अलावा एक सिद्धांत की बात भी है कि १५ साल के लिये आप जमीन को हस्तगत कर लेना चाहते हैं लेकिन बिना मुआविजा दिये हुये और १५ साल के बाद उसको प्राइवेट परसन के लिये डेवलप्ड बना देना चाहते हैं और १५ साल में उसको डेवलप्ड बना करके क्या उनको सुपुर्द कर देंगे कि लीजिये इसको बेचिये। जो सिद्धांत इस विधेयक में रखा गया है वह इस की योजना की परिधि से बाहर है। कोई स्पष्ट रूपरेखा मंत्री जी के सामने भी नहीं है कि कितना जंगल वह बढ़ाना चाहते हैं।

तीसरी बात यह है कि इसमें जो परिभाषा दी गई है वह इस प्रकार से है कि इसमें सारे यू०पी० राज्य की जमीन आ जाती है अगर कहीं ला कोर्ट के सामने चले जायं और वहां पर प्ली लें तो जितना कल्टीवेटेड लैंड है वह भी फारेस्ट लैंड में आ जायगी। इसमें आप देखेंगे :

"Forest means a tract of land covered with trees, shrubs, bushes or woody vegetation whether of natural growth or planted by human agency, and existing or being maintained with or without human effort, or such tract of land on which such growth is likely to have effect on the supply of timber, fuel, forest produce, or grazing facilities, or on climate, streamflow, protection of land from erosion, or such matters, and shall include—

(i) land covered with stumps of trees of a forest ;

(ii) land which is part of a forest or lies within it or was part of a forest or lies within it or was part of a forest or was lying within a forest on the first day of July, 1952 ;

(iii) such pasture land, water-logged or cultivable or non-cultivable land, lying within, or adjacent to, a forest, as may be declared to be a forest by the State Government."

कितने सुन्दर शब्द हैं, मैं बधाई देता हूं। इसमें सप्लाई आफ टिम्बर, ग्रेजिंग फैसिलिटीज, इरोजन और क्लाइमेट इनमें कहीं भी खींचतान करके ले जाइये। अदालत में जाइये तो सारी परिभाषा आबादी को छोड़कर . . . .

एक सदस्य—पंचबंगलिया को छोड़कर . . .

श्री नारायणदत्त तिवारी—ठीक पंचबंगलियों को छोड़कर क्योंकि वह भी आबादी में आती हैं सारी चीजें फारेस्ट की परिभाषा में आ जावेंगी। इंडियन फारेस्ट्स ऐक्ट ने आजतक फारेस्ट की परिभाषा करने की गुस्ताखी नहीं की लेकिन यह पहली बार यह सदन और वन मंत्री जी इतनी हिम्मत करें कि फारेस्ट की एक समीचीन परिभाषा प्रस्तुत करें तो मैं इसके लिये उनको बधाई देना चाहता हूं। इसकी परिभाषा अभी तक इन्डेफिनिट है। जिस प्रकार से इस हाउस में न्यू आइटम्स की परिभाषा इंडेफिनिट है उसी तरह से इंडेफिनिट परिभाषा फारेस्ट की भी है। लेकिन हमारे माननीय मंत्री महोदय ने किस खूबी के साथ उसको डिफाइन किया है कि सारे यू०पी० के लैन्ड को उसमें ले लिया।

फिर इस विधेयक के द्वारा सिर्फ जो पुराने फार्म होल्डर्स हैं अगर उन्हीं की जमीन लेने के लिये कहते तो भी कहा जाता, लेकिन जो नया सेक्शन ३८ एच इसमें बढ़ाया जा रहा है वह हर फारेस्ट लैंड के लिये कर दिया गया है जब कि उद्देश्य और कारणों में केवल इम्प्रूव्ड फारेस्ट लैंड के लिये कहा गया है। जो विधेयक में है उसमें सारे प्राइवेट फारेस्ट लैंड की बात है वह चाहे भूतपूर्व जमींदारों की हो या किसानों की हो हर प्रकार की जमीन लेने का प्राविधान है। यह उद्देश्य और कारणों के विपरीत है।

उसी प्रकार से माननीय मंत्री जी एक बात के लिये और भी बधाई के पात्र हैं। वे स्वीकार करते हैं कि वनों की उपज की कीमत आठ दस गुना तक बढ़ गयी है।

(इस समय ४ बजकर ५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सेमल के पेड़ों, कूंजा के पेड़ों और लीसा की फैक्टरियों को सप्लाई करने में कीमत ८,१० गुना होने जा रही है ? अगर माननीय मंत्री जी फाइनल रूप से घोषित कर दें कि जितनी वन की उपज है सब से दाम ८,१० गुने बढ़ गये हैं और वे बढ़ा रहे हैं तो हम इसको सहर्ष स्वागत करेंगे कि वे पांच सौ की पांच हजार का प्राविधान इस विधेयक में करें।

अब मैं पंचायती फारेस्ट ऐक्ट के नियम बनाने की बात पर आता हूं और मांग करता हूं कि कुमायूं पंचायत फारेस्ट रूल्स को विधायन का स्वरूप देना चाहिये। अभी तक रूल्स का कोई लीगल स्टेटस नहीं था। आज पहली बार टेहरी गढ़वाल के नाम पर प्रोटेक्टेड फारेस्ट की परिभाषा जोड़ रहे हैं। टेहरी गढ़वाल के अलावा जो बाकी ६-७ जिले कुमायूं फारेस्ट डिवीजन में हैं वहां जो प्रोटेक्टेड फारेस्ट्स हैं वहां भी फारेस्ट पंचायत काम करती हैं। आज से उन्हें लीगलाइज किया जा रहा है, रिट्रास्पेक्टिव फेक्ट से नहीं किया जा रहा है। इसको रिट्रस्पेक्टिव एफेक्ट से करना चाहिये था।

जो परिधि बढ़ाने की बात है उसका समर्थन मैं दो कारणों से करता हूं। पहली बात तो यह कि हम सब एक मत हैं कि वनों का विकास और उनका संरक्षण होना चाहिये। हम इसमें भी एकमत हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वनों के विकास के लिये जिस प्रकार से इंतजाम किया जाना चाहिये था वह वहीं किया गया। और हम इस बात में भी सहमत हैं कि वनों के विकास के लिये अगर किसी सही विधान की आवश्यकता हो तो उसको भी हमें पारित करना चाहिये। लेकिन क्या इस प्रकार के अधकचरे विधेयक को ला कर सरकार यह समझती है कि भारतीय सरकार या प्लानिंग कमीशन ने जो फारेस्ट पालिसी तय की है उसको हम पूरा करेंगे ? क्या हम समझते हैं कि केवल भूतपूर्व जमींदारों के कुछ फारेस्ट्स को १५ साल तक डेवलप करने के बाद जिसके लिये बजट में कोई रुपया नहीं है--हम वनों को सम्पुष्ट करने जा रहे हैं ? नहीं। तो हमारी यह मांग होगी कि जो हमारी फारेस्ट पालिसी है उसके आधार पर विधेयक आना चाहिये।

दूसरी बात यह कि जो जंगलों के समीप रहने वाले लोग हैं, जिनकी फारेस्ट ऐक्ट के अनुसार यह ड्यूटी है कि उनकी रक्षा करें, उनके जो सामान्य हक हैं पहले से वे उनको मिलने चाहिये। इसका पूरा प्राविधान इंडियन फारेस्ट ऐक्ट में होना चाहिये। तो इसलिये हम इसकी परिधि बढ़ाने की बात कह रहे हैं।

आज क्या हो रहा है ? मैं उन सब बातों को दोहराना नहीं चाहता जिन्हें सभी पक्षों के सदस्यों ने कहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से कोई ज्यादा जिम्मेदारी भी ठहराना नहीं चाहता। मैं तो कुमायूं डिवीजन के लोगों के अधिकारों के सम्बन्ध में केवल इतना कह कर समाप्त करूंगा कि माननीय पंडित गोविन्द वल्लभ पंत ने जब वह उस क्षेत्र से विधान सभा के सदस्य थे और यहां नेता थे और हमारी आजादी की लड़ाई में अग्रणी थे, मैं केवल उनके शब्दों को दोहराना चाहूंगा जो उन्होंने स्वयं इस सदन में कहे थे। उन्होंने कहा था--

"I am not surprised to find that the expert head of the Forest Department considers himself possessed of the exclusive monopoly of wisdom, statesmanship, imagination, foresightedness and farsightedness."

आगे उन्होंने कहा है--

"I do not at all regret the active interest that some of the educated men took in the agitation against the unwise and offensive forest policy which had to be revised as, the force, the justice and the reasonableness of that agitation was ultimately accepted by the Government, but if the Government can accept the assurance of non-officials, I am prepared to say that it started and emanated spontaneously from the masses in Kumaun. For,

after all, it is they who are hit hard by the forest policy, it is they who pointed out the grievances which forced the attention of the public spirited men in Kumaun."

श्री सैयद अली जहीर—पंडित जी ने जब यह कहा था तो कांग्रेस गवर्नमेंट थी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—तब तो वह खुद कांग्रेस को हेड कर रहे थे और आज भी हेड कर रहे हैं और आप ही की सलाह के लिये है। यह आपकी सलाह के लिये कहा जा रहा है। जो बात पहले थी वही बात आज भी है। माननीय पंत जी ने कहा है कि:—

"Secondly I have been inviting the attention of the Government for several years past to the high rates of charcoal and fuel in Naini Tal. It is unfortunately not a question which effects the people of the hills only. In fact if fuel and charcoal were sold at the prohibitive rates at Naini Tal the sufferers would be mostly the people who are there like our guests."

श्रीमन्, आज भी वही बात है। जिस बात के लिये हम पहले एजीटेट कर रहे थे वही बात आज भी दुहराना पड़ रही है।

अब श्रीमन्, कुमायूं फारेस्ट कमेटी की बात लीजिये और जो इसका प्रस्ताव है उसके विरोध में यह प्रस्ताव लाया जा रहा है। कुमायूं फारेस्ट कमेटी के बारे में माननीय पंत जी की जो राय उस समय थी वही आज भी बिलकुल सही लागू होती है। वह इस प्रकार है कि:—

"I think the Commissioner of Kumaun, the Conservator of Kumaun and we are entitled to this much of courtesy (otherwise there is no use having any Committee as the Kumaun Forest Committee) that their resolution passed unanimously should be accepted by the Government,otherwise this Committee should be dissolved."

RESOLUTION

"That the protected and reserved forests, Class I, situated within the Sal Assi boundaries of every village in Kumaun should be made over to the village communities to be held and managed by them in accordance with rules framed for the purpose with due regard to the existing rights of other villages and these boundaries should be marked."

आज भी श्रीमन्, वही माजरा है। कुमायूं फारेस्ट कमेटी बन गई है लेकिन उसके प्रस्तावों को ठुकराया जाता है और उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। उनके ऊपर विचार तक नहीं होता है। मैं नहीं जानता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने कितने प्रस्ताव इस कमेटी के देखे हैं। मैं तो यह कहता हूं कि या तो इस कमेटी के प्रस्तावों को माना जाय या फिर इसको भंग कर दिया जाय।

श्रीमन्, मुझे खेद है कि माननीय पंत जी के उद्धरणों को तीस साल के बाद मुझे देना पड़ा। मुझे दुख है कि पंत जी के अनुयायी, उनकी बात को, उनकी रीति को मानने वाले लोग जो इस सरकार को सुशोभित कर रहे हैं। वह उन शब्दों को भूल गये हैं, जिनकी उन्होंने घोषणा की थी। खैर, मैं अब भी यह प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर हमें सद्बुद्धि दे, खुदा हमें हिम्मत दे और हमारी मदद करे कि जो हमारी नीति और सिद्धांत हैं उनको हम लागू कर सकें और गरीब देहातियों को जो हक नहीं मिल पा रहे हैं, उनको मिलें और उन हकों को हम ऐक्ट में प्रोवाइड कर सकें, यह न हो कि चीफ कन्जर्वेटर आफ फारेस्ट की मेहरबानी पर उनको छोड़ दें। जो वनों के पास रहते हैं उनके बिना सहयोग के हम वनों की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं चाहे कितने ही तार वगैरह क्यों न लगायें। श्रीमन्, यह सर्वमान्य सिद्धांत है जिसको हम सब ने स्वीकार किया है। हम उनकी मांगों को पूरी करने में क्यों अपने को असमर्थ पाते हैं ? वन के विकास के साथ-साथ वहां के रहने वाले नागरिकों का भी विकास होना चाहिये। इस पृष्ठभूमि में मैं मांग करूंगा कि इस विधेयक की परिधि को बढ़ाया जाय और इसको प्रवर समिति में जाना चाहिये और जो इसमें दोष हों उनका निराकरण होना चाहिये।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन के दोनों ओर के होने वाले तर्कों को सुना और मुझे प्रसन्नता है कि हर माननीय सदस्य ने अपने दृष्टि-कोण से जनहित को दृष्टि में रखते हुये अपनी बहस इस आदरणीय सदन में की है और जिन आदर्शों और उच्च भावनाओं से प्रेरित होकर वन मंत्री जी इस विधेयक को सदन में लाये हैं उसका मैं आदर और सम्मान करता हूं। परन्तु उसके साथ यह बता देना चाहता हूं कि हमारे वन मंत्री जी एक वकील रहे हैं। वह कानून अच्छी तरह से जानते हैं। वह डेफिनीशन के बेसिक प्रिंसिपिल को अच्छी तरह से समझते हैं। मैं यह बता देना चाहता हूं कि अगर किसी कानून के बना देने से मुल्क का अहित अधिक होता है, उसके फलस्वरूप मुल्क को बड़ी-बड़ी परेशानियां उठानी पड़ती हैं, तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार के कानून का सदन और जनता स्वागत नहीं कर सकती। वन मंत्री जी को कानून की डेफिनीशंस को इंटरप्रेट करते हुये अदालतों में वर्षों गुजर गये। जो डेफिनीशन फारेस्ट की इस बिल में दी गयी है। वह इतनी विस्तृत है कि सारी जनता के जीवन को खतरे में डाल देगी क्योंकि जिस प्रकार की सभ्यता और संस्कृति 'कस्टम्स' प्रैक्टिसेज हमारे देश में प्रिवेल करती हैं, सरकारी और गैर सरकारी व्यक्ति जिस हद तक अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, उसको देखते हुये हम स्पष्ट बता सकते हैं, जैसा कि हाईकोर्ट के फैसलों में स्पष्ट आ गया कि देश की पुलिस बहुत गैर जिम्मेदार है उसी तरह से फारेस्ट डिपार्टमेन्ट जिसका जनता से बहुत घनिष्ट सम्बन्ध है और पहाड़ी अंचल में फारेस्ट गार्ड, रेंजर और पटवारी जिसको पुलिस पावर्स भी हैं, जनता इन्हीं को सरकार समझती है।

मंत्री महोदय फारेस्ट की ऐसी डेफिनीशन ले आये हैं जिस के अन्तर्गत उन जमीनों को छोड़ कर जो दर्ज और असेस्ड हैं सारी जमीन फारेस्ट के अन्दर आ जाती है। उन जमीनों पर सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन आ जाता है, अगर सरकार चाहे भी तो भी उसके लिये सिविल सूट में जा सकते हैं इसलिये उनको छोड़ कर जो कोई भी दूसरी जमीनें हैं उनको वन की डेफिनीशन के अन्दर लाया जा सकता है। उस डेफिनीशन को कार्य रूप में परिणत करने के लिये मंत्री जी अपने अधिकारियों को इतने अधिकार देना चाहते हैं, जो कि हमारी जनता को तबाह कर डालेंगे। पहले ५० रुपये तक कम्पाउन्ड करने की ताकत उनको दी गयी थी। वह कहते हैं कि अब पांच सौ कर देना चाहिये क्योंकि आजकल भाव बढ़ गये हैं।

This is no argument. It is completely a lame argument.

श्री अध्यक्ष—एक ही भाषा-हिन्दी में बोलिये।

श्री चन्द्रसिंह रावत—मैं समझता हूं कि इस तरह की लंगड़ी दलील दे कर अगर आप इस तरह का कानून लाना चाहते हैं, मुल्क पर लादना चाहते हैं तो यह कतई नाजायज होगा। इतनी बड़ी डोर सरकारी अधिकारियों को दे देना कि अगर थोड़ी भी लकड़ी काट करके ले आये, या उसकी भैंस घुस जाय तो पांच सौ तक जुर्माने का अधिकार उनको है। उस आदमी को तबाह करने का अधिकार आपको दिया जाय, ऐसे लोगों को दिया जाय जो कि अनकंसाइनेबिल होते हैं, जिनकी अन्तरात्मा खत्म हो चुकी होती है केवल अपने एग्रेंडाइजमेन्ट के लिये, अपने इन्टरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिये जो काम करते हैं उनको दिया जाय? कुछ लोग तो अपनी ईमानदारी को दिखाने के लिये कि जल्दी से उनका प्रोमोशन हो इस तरह के काम करते हैं। मैंने देखा है, हमारे एक सरकारी अधिकारी हैं, भरसार स्टेट के इंचार्ज रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं क्या कहूं उन्होंने गांव के बिलकुल खेतों को और मकानों तक को कांटेदार तार से घेर दिया है और यहां तक कि जो पीने का पानी था जानवरों के उसको भी तार से घेर कर जानवरों को पानी पीने से महरूम कर दिया है। इस तरह की आजादी के साथ जनता के साथ बरता जाय यह मैं किसी तरह भी उचित नहीं समझता हूं। अगर आप तत्ववेता हैं ज्ञानवेत्ता हैं, कानून के बड़े वकील हैं, इस चीज को समझ सकते हैं तो समझें, लेकिन कामन मैन की समझ के बाहर की चीज है यह। ऐक्सेंट्रिक लोग ही इसको समझ सकते हैं। एबनार्मली किसी का दिमाग किसी दिशा में ज्यादा बढ़ जाय तो उसको

ऐक्सेंट्रिक कहते हैं और वह उन चीजों को देखता है जिनको कामन मैन नहीं देख सकता ? लेकिन हम तो ऐक्सेंट्रिक लोगों का कानून न तो इस देश के ऊपर लागू करना चाहते हैं और न ऐक्सेंट्रिक कानूनों को हम इस सदन में पास करना चाहते हैं। अगर हमें जनता के हित को देखना है, उसकी रक्षा करनी है, उस की समस्याओं को हल करना है तो कानून को कामन मैन की बुद्धि से हमको देखना होगा, व्यावहारिक बुद्धि से उस मसले को देखना होगा। एक अंग्रेज कवि ने कहा है--

"The Common problem yours mine every-one's.
Is not to fancy what were fair in life, provided it could be.
But first finding what may be and then find how to make it fair.
Up to your means a very different thing.
No intellectual plan of life quite irrespective of life's plainest laws.
But when a man who is man and nothing more may lead within this world."

दुनिया में हुकूमत करने की क्षमता उसी व्यक्ति के अन्दर है जिसने केवल किताबें ही न पढ़ी हों, केवल कानून के पोथे को ही अदालत में न पलटा हो, जिसने इंसानों को, जिसने जमीनों को, पहाड़ों को, नदियों को देखकर उनके बिहेवियर को पढ़ा हो वह इंसान के फैसलों को कर सकता है, वह इंसान के लिये विकास योजना बना सकता है, पोथियों को पढ़कर, कानून बनाना और उनको जनता के ऊपर लादना यह मुल्क को तबाह करना है। जितनी हमारी विकास की योजनायें हैं (They are ending in a fiasco) बड़ा घनघोर अन्याय हो रहा है। सारा पया खर्च करने के बाद जनता को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है क्योंकि वह स्कीमें जनता के जीनियस के खिलाफ हैं, हमारी आदतों, हमारे रहन-सहन, हमारी सभ्यता और संस्कृति के मुताबिक उन स्कीमों का संचालन नहीं किया जा रहा है। इसलिये मुझे अत्यन्त खेद होगा, अगर यह ५० से ५०० का अधिकार आप अपने लोगों को दे देते हैं।

मैं निश्चय रूप से कह सकता हूं, यह मेरा पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार का रवैया आज हमारे लोगों का है वह यहां के रहने वालों का जीना हराम कर देगा। सरकार की तरफ से कह दिया जाता है कि सरकार जनता को फैसिलिटीज देती है लकड़ियां लेने की, मकान के लिये बल्लियां लेने की, लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं निहायत अदब के साथ बताना चाहता हूं--यह बड़े दुख की बात है कि इससे पहले जनता के जो अधिकार थे मोर आर लेस वह समाप्त से हो गये हैं, उनको मकान के लिये, लकड़ी के लिये, हर चीज के लिये बड़ा परेशान होना पड़ता है और वह भी तिहाई चौथाई भी नहीं मिल पाती है। लोगों को अपने जानवर चुगाना मुश्किल हो गया है। बिजनौर जिले के एम०एल०ए० साहब तशरीफ रखते होंगे, वह गवाह हैं, बिजनौर का कलेक्टर जानता है, प्रेसीडेन्ट जानता है, माननीय चन्द्रावती जी यहां तशरीफ रखती हैं, उनके पास तक भी वह बात पहुंची थी, आज तक जहां गांव वालों को अपने जानवरों को चुगाने के हक थे, वह समाप्त कर दिये गये और आज उनके जानवरों को कटघरों में बन्द किया जाता है। यह कौन सी भलाई है उनके साथ, यह हम समझ नहीं पाते हैं।

इस कानून में ५० रुपये से ५०० रुपये आप कर रहे हैं और फिर इसको जनता की भलाई का कानून कहते हैं। इस तरह के कानून जनता को तबाह करने के लिये बनाये जाते हैं। मैं समझता हूं कि हमको यह देखना पड़ेगा कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण से वही हमारा सफल कानून है जिसको मेजारिटी जनता अपनाये और अपनाने के लिये तैयार हो और जिसके पास करने पर जनता के अन्दर एक हर्ष पैदा हो लेकिन जिस कानून से सारी जनता घृणा करती हो, सहेदिल से जिस कानून को नामंजूर करती हो और कदम-कदम पर जिस कानून को तोड़ा जाता हो उस कानून को मुल्क के ऊपर लादना बहुत खेद का विषय है। जिसने जनता के विचारों को पढ़ा है और जनता की भावना को पढ़ा है, जिसने जनता के विकास के इतिहास को पढ़ा है वह कभी इस बात को

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

मान नहीं सकता, चाहे उसके पास कोई एक्स्ट्राआर्डिनरी जीनियस नेत्र हों जो कि हमारे पास नहीं हैं और उस बुद्धि से देखे जो कि मामूली आदमी के पास नहीं है। तो मैं कहता हूं कि ऐसी बुद्धि और ऐसे नेत्रों की जरूरत हमारे इस सदन को कतई नहीं है।

हम तो उस बुद्धि को कारगर समझते हैं और उन नेत्रों को कारगर समझते हैं जो जनता को बनाने की बात करते हैं, जनता की भलाई की बात करते हैं, जो जनता के उत्थान में व्यवहारिक बात करते हैं। कागजी बातों को हम नहीं मानते हैं। कागज में हमने बड़ी-बड़ी योजनायें देखी हैं। इसमें हम अमेरिका और इग्लैन्ड से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हमें अपने देश के अन्दर अपनी आंखों से ही विकास को देखना होगा। यदि उस विकास को देखना हो तो वह विकास हमारे स्पीकर महोदय के झांसी जिले के मैदानों में मौजूद है और झांसी जिले की झोपड़ियों में मौजूद है, उन जंगलों में है, उन खेतों में है। वहां जाकर आप देख सकते हैं। वह विकास यहां पर यू०पी० असेम्बली की स्पीचों में आप देखना चाहते हैं या जो हमारी रिपोर्ट हैं उनमें आप उनको देखना चाहते हैं? मुझे तो उनकी बुद्धि पर खेद है जो यह समझते हैं कि उस विकास को हम कागजों में देखना चाहते हैं। विकास को हम यहां पर स्पीचेज में नहीं देख सकते हैं। विकास का पता हम जनता के दिल को टटोलकर, उनकी झोपड़ियों की हालत को देखकर, खेतों को देखकर और उनके मकानों को देखकर लगा सकते हैं ....

श्री अध्यक्ष—अब आप विधेयक पर आ जाइये।

श्री चन्द्रसिंह रावत—मैं विधेयक पर आ ही रहा हूं। ये बातें मैं जनहित के विषय में ही कह रहा था। मैं निहायत अदब के साथ वन मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिस कानून को जनहित में बनाना लाभदायक है अगर उस कानून से ही जनहित की मौत हो और उसके जरिये से ही जनता के हितों का मर्डर हो तो उससे बढ़कर हमारे लिये खेद और अफसोस की बात नहीं हो सकती है। हमें बार-बार उस जनता के पास जाना है। अगर यह कानून जिस प्रकार से हम इसको आज बनाने जा रहे हैं, मैं अध्यक्ष महोदय, यकीन दिलाना चाहता हूं, इसी प्रकार से पास कर दिया गया तो एक वोट भी कांग्रेस को नहीं मिल सकता है। जंगल के पास रहने वाले वोटर आज नालायक नहीं हैं वह अब सब समझने लगे हैं। इसलिये मैं कहता हूं कि जो कांग्रेस की जड़ को मजबूत करना चाहते हैं वह इस प्रकार के कानून को पास करने की बात नहीं कर सकते हैं। इससे कोई भी सरकार सफल नहीं हो सकती है। जो सरकार को मजबूत करना चाहते हैं वे लंगड़ी और थोथी दलील देकर देश को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। वह मुल्क की दशा को देख कर, मुल्क की गरीबी और आवश्यकता को देखकर ही विकास की बात कर सकते हैं और वही मुल्क के विश्वास को हासिल कर सकते हैं।

आज हमारी जनता बहुत होशियार हो गई और जागृत हो गई है। हम इन कुर्सियों पर बैठे हैं और हमारी सरकार उस जनता के द्वारा बनाई गई है तो यह उसी जनता की बदौलत सब कुछ हुआ है। फिर हमको उस जनता के पास जाना पड़ेगा। अब वह होशियार हो गई है। हर क्षेत्र में आज राजनीति की चर्चा होती है। हमने देखा कि देश कितनी तरक्की पर है, हमारे स्टेट की असेम्बली में और पार्लियामेंट में रोज कानून पास होते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन किया जाय। लेकिन इस वन विभाग में डिसेंट्रलाइजेशन की पालिसी नहीं चल रही है, बल्कि सेंट्रलाइजेशन की पालिसी चल रही है। (शेम शेम की आवाजें) क्या आप जनता पर विश्वास करते हैं? जनता के जो राइट्स हैं क्या वह स्वयं उनकी रक्षा नहीं कर सकती? मानता हूं कि आज जनता में इतनी चेतना नहीं है लेकिन वह तभी आयेगी कि जब आप उसे जिम्मेदारी लेने दें, आप उसे उठाने दें। अगर आज हमारे लीडर दुनिया में न रहें तो क्या हिन्दुस्तान में लीडर पैदा न होंगे? मैं इस बात को नहीं मान सकता, मैं (ताली पीटते हुये) इस दलील को नहीं मान सकता।

श्री अध्यक्ष—आप वक्ता हैं स्वंय ही ताली न पीटें, लोगों को पीटने दें और बिल पर ही बोलें।

श्री चन्द्रसिंह रावत—मैं बिलकुल बिल पर ही बोल रहा हूं और अध्यक्ष महोदय, मेरा तर्क बिलकुल ट्रान्सपेरेन्ट है कि आपको जनता पर विश्वास है और यह कानून जनता पर अविश्वास करता है। जनता को अपना बनाने के लिये उस पर विश्वास किया जाता है, उसके लिये उस पर अविश्वास कैसे किया जा सकता है। आपको क्या अधिकार है जनता पर अविश्वास करने का ? क्या वह स्वंय अपना गला घोट लेगी ? अगर ऐसा हो तो आपको घर घर में पुलिस तैनात करनी पड़ेगी, बीबी खाविन्द को जहर दे देगी और खाविन्द बीबी को। इस तरह की व्यवस्था आप इस प्रदेश और समाज में व्याप्त करना चाहते हैं। यह कोई डिसेन्ट्रलाइजेशन की पालिसी नहीं है। यह तो सेन्ट्रलाइजेशन की पालिसी है। यह कानून नाजायज है। जो वायदें हमने जनता से किये हैं, जो सोशलिज्म की पालिसी हम ने अपनायी है, मैं समझता हूं कि उसे हमें पूरा करना चाहिये। आज यह कहना कि जनता को राइट है और वह अपने भाग्य की विधाता है, गलत है। सरकारी नौकरों को रस्सी दे कर लोगों को उन्हें तबाह करने दें और इस तरह से जनता का हित हो सके, इसमें कतई संदेह है।

हमारे वन मंत्री जी वकील हैं और बड़े दक्ष हैं। मैं समझता हूं कि मेरा तर्क उनके दिमाग में आ गया होगा। अगर उनकी समझ में न आया हो तो यह मेरी बदकिस्मती है क्योंकि मेरे पास ऐसी बुद्धि नहीं है कि इससे ज्यादा सही तरीके से अपने विचार और भावनायें उनके जेहन-नशीन कर सकूं। अगर मेरी विचार रशमियां उनके दिमाग में वे तर्क न प्रतुस्त कर सकें तो अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस होगा। इस के साथ ही साथ मैं बतलाना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय, आप भी साइकोलाजी के स्टूडेंट रहे हैं, उस के हिसाब से जब मैंने इस बिल को देखा तो ऐसा मालूम पड़ा कि इसका ओरिजिनेटर किसी दफ्तर में बैठा है और वहां बैठ कर उसने इस बिल को गढ़ा है। यह बिल जनता से पैदा नहीं हुआ। यह बिल सरकारी अफसरों के दफ्तरों में पैदा हुआ है। नीचे के कर्मचारियों ने शिकायत की कि हमारी बात कोई मानता नहीं, जितना हम पेड़ लगाते हैं वह सब खत्म हो जाता है और इसलिये हम इस बिल को बदलना चाहते हैं। इसमें चन्द व्यक्तियों की बुद्धि की झलक है, स्वार्थ की झलक है। जिस बिल में जनता का हित, उसके स्वार्थ की झलक नहीं दिखाई देती, उसे मैं जनहित का बिल न मानने में कतई मजबूर हूं और अगर इस पर भी इसे जनहित का बिल कहा जाय तो मुझे बुद्धि और समझ कहीं से उधार लेनी पड़ेगी ताकि यह बात मेरी समझ में आ जाय।

श्री अध्यक्ष—बुद्धि की बात आप कई बार कह चुके हैं। आप बुद्धि को इस्तेमाल भी तो करिये।

श्री चन्द्रसिंह रावत—अध्यक्ष महोदय, एक और कानूनी प्वाइन्ट है। वह यह है कि हमारे टेहरी स्टेट में स्वयं जंगल है। इस बिल में यह बताया गया है कि हमने जंगलों को प्रोटेक्टेड फारेस्ट डिक्लेयर कर दिया है और उसका मैनेजमेंट विलेज कम्यूनिटी को सौंप देना चाहते हैं। जब वह प्रोटेक्टेड फारेस्ट डिक्लेयर हो जाता है तो वह उसके मुताबिक इंडियन फारेस्ट ऐक्ट में आ जाता है। मुझे बड़ी हैरानी होती है, इसको देख कर, क्योंकि मैं कानून के इम्पलीकेशन्स को, उसके कान्सीक्वेन्सेज को समझता हूं। इससे क्या नुकसान होगा, इसको मैं समझता हूं। यह ठीक है कि उसके मैन्टीनेन्स के लिये, उसके डेवलेपमेंट के लिये आप उसको सौंप दें, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि उस तरह से आप सरकार और जनता के बीच एक तरह का कन्फिलिक्ट पैदा कर रहे हैं। आखिर इस तरह से आप कौन सा विश्वास जनता में पैदा कर रहें हैं ? आप कौन-सा अहसान जनता के ऊपर कर रहे हैं ? आप हर कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, जनता की नाक में नकेल डाल कर, आप जो अधिकार ले रहे हैं, उससे जनता का लाभ होने वाला नहीं है।

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

आज हम देखते हैं कि अभी शासन करने का तरीका हमारे अन्दर नहीं आया। आज भी हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि डिस्ट्रक्ट बोर्ड का शासन किस प्रकार किया जाय, उसका संगठन किस प्रकार किया जाय। किस प्रकार उसके लिये एमेन्डमेंट लाया जाय। हम आज भी उन तरीकों को इस्तेमाल कर रहे हैं जिनसे नुकसान ही हो सकता है, जनता को कोई लाभ नहीं हो सकता। आज आपके उन तरीकों से जनता बरबाद हो रही है। हम आज भी शासन करना नहीं सीख पाये क्योंकि पहले शासन हमारे हाथ में नहीं था। पहले कुछ सरकार के हाथ में था, कुछ जनता के हाथ में था। दोहरा शासन था इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं हम उनको प्रोटेक्टेड फारेस्ट का रूप देकर कानून अपने हाथ में ले रहे हैं और मैनजमेंट जनता के हाथ में दे रहे हैं, आप उसको खुद ही सब टेक ओवर क्यों नहीं करते? अगर आपको जनता में विश्वास है, अगर डिसेन्ट्रालाइजेशन आफ पावर्स की आपकी पालिसी है, अगर सोशलिज्म की ओर आप आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो आप क्यों उसको प्रोटेक्टेड फारेस्ट कर रहे हैं? उसको वापिस क्यों नहीं लेते? यह सब कानून की बातें हैं, और इसको बड़ी जिम्मेदारी के साथ देखना चाहिये। हमारी जरा सी नासमझी के कारण जनता दुखित होती है, परेशान होती है, उससे जनता लुट जाती है। इसलिये इस पर गम्भीरता के साथ हमें विचार करना चाहिये और इस तरह का कानून नहीं लाना चाहिये।

श्री लालबहादुर (जिला वाराणसी)—अध्यक्ष महोदय, मैं अब आपकी आज्ञा से क्लोजर मूव करना चाहता हूं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—अब प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—९०,
विपक्ष में—३५)

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, एक निवेदन है कि इसमें जितने भी सदस्य बोले थे, माननीय सदस्य बनारस को छोड़कर, मेरे खयाल से सभी ने विरोध किया। तो मैं समझता हूं कि लाबी में डिवीजन होना चाहिये, क्योंकि व्हिपिंग के आगे जो हमारे साथ थे वह भी झुक गये।

श्री अध्यक्ष—नहीं, वह कुछ नहीं होगा। श्री प्रतापसिंह, आप जवाब देना चाहेंगे?

***श्री प्रतापसिंह**—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी साथियों का आभारी हूं जिन्होंने मेरे संशोधन पर बोलते हुए उसका समर्थन किया और उनका भी जो केवल गिनती में दो हैं, जिन्होंने इसका विरोध किया। आज मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता इस बात से हो रही है कि मुझे विश्वास था कि विरोधी दल को पूर्ण समर्थन मिलेगा, लेकिन इतना नहीं था कि ट्रेजरी बेंचेज से जो भी बोलेंगे वह सभी हमारी बात का समर्थन करेंगे और आपके सामने प्रत्यक्ष है। जो हमारा प्रस्ताव है कि प्रवर समिति को यह विधेयक जाना चाहिये उसका समर्थन उस ओर से भी किया गया। मैं माननीय हरिदत्त कांडपाल, चन्द्रसिंह रावत, उनियाल और दुबे जी का बहुत आभारी हूं कि जिन्होंने हमारी बातों का समर्थन किया।

मान्यवर, उधर बैठे हुये एक भी सज्जन ने यह नहीं कहा कि इसको प्रवर समिति में जाने की आवश्यकता नहीं है और कोई ऐसी दलील नहीं दी जिसका उत्तर देना उचित हो, लेकिन फिर भी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनके उत्तर में मुझे यह कहना है कि आज फारेस्ट फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जिसकी चर्चा की गई, बिना उसकी रिपोर्ट आये हुये ही बन्दोबस्त प्रारम्भ कर दिया गया। इसलिये वहां १९११ में जो बन्दोबस्त था उसके बाद जो हक हकूक आबादी के बढ़ने से, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल से आये हुये लोगों के नये गांवों में बसने से जो उनके हक बढ़ गये हैं उन जिलों में सन् १९११ में जो हक दिये गये थे उनका कोई बन्दोबस्त नहीं किया जा रहा है बल्कि जो खाली जमीन पड़ी है उसके लिये सेटिलमेंट आफिसर रखे गये हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वह तानाशाह हैं, जिसकी जमीन चाहते हैं ले लेते हैं। मान्यवर, जब पन्त जी यहां पर थे तब उन्होंने सेटिलमेन्ट के बारे में एक बात कही थी और अभी जब नारायणदत्त तिवारी जी बोल रहे थे तो मंत्री जी ने कहा कि क्या पन्त जी गवर्नमेंट थे। मैं उसको यहां पर आपकी आज्ञा से रखना चाहता हूं।

"We hold that where a considerable time has passed since the reservation of a forest, it is proper to revise the rights and to see if consistently with the interests and demands of the forests they can stand a larger and heavier strain and in case they can, to enlarge the rights that may have been allowed previously, we want to follow the principle of revision of revenue settlement even in the matter of forest settlement."

इसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार से है :—

"हमारा मत है कि जहां वनों के सुरक्षतीकरण को काफी समय हो गया है, वहां अधिकारों में संशोधन करना तथा यह देखना आवश्यक है कि क्या जंगल मांग तथा आवश्यकता के अन्तर्गत अधिक बोझ वहन कर सकते हैं और यदि वे कर सकते हैं तो उन अधिकारों को बढ़ाना, है जिनका उपभोग संभवतः जनता पूर्वकाल में करती थी। हम वनों के सम्बन्ध में भी राजस्व बन्दोबस्त के संशोधन सम्बन्धी सिद्धान्तों का अनुकरण करना चाहते हैं।"

मैं वन मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर संशोधन लाना आवश्यक था तो उनको यह संशोधन लाना चाहिये था कि १९११ के सेटिलमेंट के मातहत हमारे हक और रियायतें कम हो गई हैं इसलिये इस संशोधन को लाने की आवश्यकता पड़ गई। मैं पूछना चाहता हूं कि किस विधेयक और किस धारा के मुताबिक वह सेटिलमेंट करवा रहे हैं, वह तो केवल जमीन लेना चाहते हैं। मैं आपकी इजाजत से बतलाना चाहता हूं कि अलमोड़े में ३९४७ गांवों के हक अंकित हैं लेकिन २२० गांवों के हक कहीं भी अंकित नहीं है। इसी प्रकार से नैनीताल में ५९९ गांवों के हक अंकित हैं लेकिन ६३ गांवों के कहीं हक नहीं दिये हुये हैं। आप सारी जमीन अपने हाथ में लेना चाहते हैं।

मान्यवर, इस बिल में कहीं इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि १५ साल के बाद उन जंगलों को जिनके विकास में बहुत रुपया लग गया होगा उसको किस नियम के मातहत वापिस देंगे। इतनी बात तो एक साधारण आदमी भी समझ सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या जंगल के विकास, के नियम नहीं बने हुये हैं कि ५० फीसदी या २५ फीसदी रुपया जंगल के विकास में लगना चाहिये लेकिन मुझे मालूम है कि इस प्रकार का लाखों रुपया पड़ा हुआ है, वह कहीं नहीं लगाया जा रहा है। श्रीमन्, १९०७ में एक अंग्रेज कुमाऊं कमिश्नर ने बरेली दरबार में कहा था कि कुमाऊं फारेस्ट की सारी आमदनी विकास में लगनी चाहिये। लेकिन रुपया नहीं लगाया जा रहा है। मैं मंत्री जी की मंशा पर कोई शक नहीं करता, लेकिन यह कानून तो विभाग बना रहा है। इसका सम्बन्ध जनता से नहीं है बल्कि विभागीय अधिकारियों से है।

मान्यवर, पहले जिन लोगों को माफी की लकड़ी मिलती थी वह उनको नहीं मिल रही है। मैं पीलीभीत के माननीय सदस्य का आभारी हूं कि उन्होंने यह बताया कि जंगलात की ओर से जो माफी की लकड़ी मिलती थी वह रेवेन्यू को ट्रान्सफर कर दी गई है। मान्यवर, थारूज का एक इलाका है। वह वहां पर घास काटने गये जिसको कि बैप कहते हैं। उनकी डेड़ सौ गाड़ियां रोक दी गई और उनसे कह दिया गया कि यह तुम को नहीं मिल सकतीं। मैं जानना चाहता हूं

[श्री प्रतापसिंह]

कि आप जो संशोधन करना चाहते हैं क्या उसकी सिफारिश कमेटी ने की है ? मैं आपकी इजाजत से फारेस्ट फैक्टस फाइंडिंग कमेटी का यह पढ़ना चाहता हूं ।

"The period in which Tharus may remove the fuel may be extended from 2 to 3 months."

यह फुअल के लिये है लेकिन घास के लिये भी एप्लाई किया जा सकता है । मेरे पास इत्तिला है कि १५० गाड़ियों के लिये अधिकारियों ने वैप लेने से रोक दिया । थारू लोग मंत्रीजी तक नहीं पहुंच सकते हैं और विभागीय अधिकारी परम्परागत से चले आये हुये अधिकारों की अवहेलना कर रहे हैं ।

आज पंतजी की उन्नति हो गई है और उनके फालोअर्स की भी तरक्की हो गई है, लेकिन क्या इस सरकार का यह कर्तव्य नहीं है कि वह उनकी बात को माने जो उन्होंने पहले कहीथी ? पन्तजके शब्दों की अवहेलना करना मंत्री जी के लिये कहां तक शोभा की बात है ? मैं थी भी देखत हूं कि बारबार प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की ओर से यह मांग आती है कि सरकार की करनी और कथनी में फर्क है । इसका ज्वलंत उदाहरण मंत्री जी की उस बात से है जो उन्होंने कही है और जिससे यह प्रकट होता है कि पन्तजी के भक्तों ने सरकार तो बनाई है, लेकिन जो उन्होंने कहा उसे नहीं करना चाहते हैं । मान्यवर, मुझे तो बड़ी तकलीफ होती है इसलिये कि मैं नौजवान हूं । हजारों लाखों रुपया हम यहां असेम्बली में खर्च करते हैं । जब मिनिस्टर बनना होगा तो पन्तजी से कहा जायगा कि आप हमारे हिन्दुस्तान के माने हुये राजनीतिज्ञ हैं,लेकिन जब पन्तजी जनता के हित की बात करते हैं तो कहते हैं कि हमारी सरकार है । इसलिये मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि मेरा सुझाव है कि इस विधेयक को प्रवर समिति को जाना आवश्यक है । अगर सरकार हम विरोधियों की बात को नहीं मानती है तो माननीय हरिदत्त कांडपालजी और उनियालजी की बात को तो माने जिन्होंने चार संशोधनों में जोरदार शब्दों में कहा है कि अगर जंगल के अधिकार जनता को नहीं दिये गये तो वहां बलवा हो जायगा । कान्डपाल जी ने तो कहा है कि वहां एक भी वोट कांग्रेस को नहीं मिल सकेगा । माननीय चन्द्रसिंह जी ने कहा कि वन मंत्री स्वंय जावेंगे तो भी एक वोट उनको नहीं मिल सकता है । इसलिये मैं चाहता हूं कि हम और आप एक जगह बैठें और तय करें कि किस प्रकार से हम वन की निधि की सुरक्षा कर सकते हैं और कैसे जनता का लाभ कर सकते हैं ।

बड़े–बड़े डैम्स के लिये जंगल के जंगल काट दिये जाते हैं । नानक सागर और सारदा सागर के लिये हजारों एकड़ जंगल काट डाले गये । मगर टनकपुर से हरिद्वार तक की पट्टी की जनता की इकानामी फेड हो रही है और उनको बसाने का प्रश्न जब आता है तो कहा जाता है कि जरा सा टुकड़ा भी खाली नहीं है । अगले साल बजट पर कहा जायगा कि आमदनी इतने करोड़ पहुंच गई है, लेकिन वह किस मतलब की है जब कि वह जनता के हितों की रक्षा करने के लिये काम में नहीं आती है ? हम तो सरकार को रोज ही ललकारते हैं लेकिन वह अपने ४, ५ विधायकों की ललकार को समझें और जनता की मांग को समझें । कुमायूं फारेस्ट कमेटी की रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं इस आदरणीय सदन में आई ? जब कि इसमें डिप्टी मिनिस्टर भी थे और उसपर ३०,००० रुपया खर्च हुआ है जो जनता का पैसा है ? तो फिर क्यों नहीं रिपोर्ट हम लोगों को दी गई ? हम सरकार से जवाब तलब करते हैं कि ३०,००० रुपया खर्च करके वह रिपोर्ट किसकी जेब में है ? क्या वह माननीय मन्त्री जी की जेब में है या चीफ कंजर्वेटर आफ फारेस्ट की जेब में है ?

एक जमाना था कि पन्त जी उस कमेटी के मेम्बर थे और आज हम लोग उसके मेम्बर हैं । जब फारेस्ट फैक्ट्स फाईंडिन्ग कमेटी बनी तो एक तानाशाह अफसर ने अपने सबार्डिनेट से कहा था कि क्या यह कमेटी है, जो मैं आर्डर देता हूं वह करना होगा । बेचारा कन्जर्वेटर नौकर है, न करे तो निकाल दिया जाय । उन्होंने कहा था—

"To-day they are asking for *ballies*, to-morrow they will ask for doors and windows....."

यानी यह कि आज तो बल्ली मांगते हैं लेकिन कल को दरवाजे और खिड़कियां मांगेगें । विलायत के आदमी भी जो चीज देते थे उसको आज हमारे दोस्त इन्कार कर रहे हैं, दोस्तों के दोस्त और रिश्तेदारों की बात हम क्या कहें और फारेस्ट विभाग के मुख्य धिष्ठाता आज इस प्रकार का हिटलरी फरमान देते हैं । अलीजहीर साहब तो बहुत ही नर्म दिल मिनिस्टर हैं । उन का स्वभाव तो मुलायम है, उनको इस फारेस्ट के शासन को बदलना होगा नहीं तो उनकी मिनिस्टरी भी किसी दिन खतरे में पड़ जायगी । इन शब्दों के साथ में नम्र शब्दों में निवेदन करता हूं कि हमारे आज के मासूम से प्रस्ताव को मान लिया जाय और इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ा अनुग्रहीत हूं विरोधी पक्ष के सदस्यों का और शासन दल के सदस्यों का भी जिन्होंने मेरी बातों का समर्थन किया । मैं उन लोगों का भी अनुग्रहीत हूं जिन लोगों ने इसका विरोध किया लेकिन थोड़े से शब्दों में वैसे उन्होंने मेरा समर्थन ही किया । आज सदन में जिस प्रकार का विवाद हुआ है शायद इस प्रकार का विवाद आज से पहले कभी न हुआ हो जिसमें विरोधी पक्ष और सरकारी पक्ष की एक ही राय हो । विभाजन की बात ही दूसरी है उसमें तो पार्टी का अनुशासन मानना ही पड़ता है । लेकिन उसमें भी चन्द्र सिंह रावत जैसे बहादुर लोग बाहर चले गये और वोटिंग के बाद वापस आ गये । श्रीमन, यह माननीय मन्त्री जी के लिये एक इशारा है । उनको सोचना चाहिये कि क्या बात है कि इस बात पर विरोधी दल और शासन दल के सभी सदस्य एक मत हैं ।

श्री अध्यक्ष—अब आप कल जारी रखें । मैं एक सूचना देता हूं ।

आगरा यूनिवर्सिटी सिनेट और बोर्ड आफ हाई स्कूल एन्ड इण्टर-मीडियेट के लिये नाम वापसी की तिथि में वृद्धि

श्री अध्यक्ष—आगरा यूनिवर्सिटी सिनेट और बोर्ड आफ हाई स्कूल एण्ड इन्टरमीडि-येट के निर्वाचन के लिये जिनकी नामजदगी हुई है उनके नाम वापस लेने के लिये आज तक का समय था । लेकिन मुझ से यह कहा गया है कि कई पार्टियों के सचेतकों की तरफ से यह लिखकर आया है कि नाम वापसी का समय बढ़ा दिया जाय २९ तारीख तक जिससे चुनाव का मौका न आये । मैं २९ तारीख तक का समय नाम वापस लेने के लिये बढ़ाता हूं लेकिन अगर चुनाव की फिर आवश्यकता हुई तो वह ७ सितम्बर को होगा ।

(इसके बाद सदन ५ बजे, अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ:
२२ अगस्त, १९६०

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५–१६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४८१ पर)

सूची संख्या १

केन्द्रीय सरकार से उत्तर प्रदेश के लिये सन् १९५७ से लेकर जनवरी, १९६० तक साफ्ट (हार्ड कोक) स्टीम कोल घरेलू ईंधन के लिये तथा स्लैक कोल भट्ठों के लिये जो निम्नलिखित मात्रा में प्राप्त हुआ ।

आकड़े वैगनों में

	साफ्ट (हार्ड) स्टीम कोल	कोल (स्लैक कोयला चूर)
सन् १९५७	८,७१२	२४,८४९
सन् १९५८	१०,२०७	४४,९१८
सन् १९५९	९,५०६	४४,९०३
जनवरी, १९६०	९९४	८३३

सूची संख्या २

उत्तर प्रदेश के पांच कवाल टाउस को १९५८ से जून ३०, १९६० तक निम्नलिखित सोफ्ट, हार्ड कोक तथा स्टीम कोल घरेलू ईंधन के लिये प्राप्त हुआ ।

आकड़े वैगनों में

जिले का नाम	१९५८ प्राप्ति	१९५९ प्राप्ति	१९६० जून तक प्राप्ति
कानपुर	१५६६	२०९६	६४८
इलाहाबाद	९७०	७०१	२७४
वाराणसी	८९०	९०४	४७४
आगरा	१२९५	११८७	३३२
लखनऊ	८८१	६३५	२७६

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १३१ एल० ए०—१९६०—८४५ ।